षष्ठम् माला, खंड I, अंक 10, बुधवार, 6 अप्रैल, 1977/16 चैत्र, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. I, No. 10, Wednesday, April 6, 1977/Chaitra 16, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

सत्यमेव जयते

[खंड I में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10, बुधवार, 6 अप्रैल, 1977/16 चैत्र, 1899 (शक)
No. 10, Wednesday April 6, 1977/Chaitra 16, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 28	*Starred Questions No. 21 to 28	1—12
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	SHORT NOTICE QUESTION. Nos.3	12—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:	
तारांकित प्रश्न संख्या 29 से 40	Starred Questions Nos. 29 to 40.	13—18
अतारांकित प्रश्न संख्या 51 से 151	Unstarred Questions Nos. 51 to 151	18—58
विशेषाधिकार का प्रश्न —	Question of Privilege—	
बलात् नसबन्दी के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा सभा से बाहर नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के बारे में	Alleged announcement of a policy matter by the Minister of Health and Family Planning outside the House *re.* Compensation to victims of forcible sterilisation.	58
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	58—78
वित्तीय समितियां (1976-77) एक समीक्षा	Financial Committees (1976-77)--A Review	78
संसदीय समितियां–कार्य सारांश	Parltamentary Committees—Summary of Work.	78
कालटैक्स [कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटैक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत के उपक्रमों का अर्जन] विधेयक	Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Bill—	78—88
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagesan	78
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	79
श्री आर० के० अमीन	Shri R.K. Amin	80
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	80
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	80
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Goptal Reddy	81
श्री विनोद्भाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth	81
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	82
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	84
खण्ड 2 से 21 और 1	Clauses 2 to 24 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N.Bahuguna	85

किसी नाम पर अंकित यह† इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) संशोधन विधेयक	Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of Use in Land) Amendment Bill	88—91
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	88
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	88
खण्ड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	89
आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन) विधेयक	Prevention of Publication of Objectionable Matter (Repeal) Bill .	91—102
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री लालकृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani	
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwar Rao	91
श्री जगन्नाथ शर्मा	Shri Jagannath Sharma	91—92
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathavar	92—93
डा० रामजी सिंह	Dr. Ram Jee Singh	93
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	93—94
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu	94
श्री आर० एल० वर्मा	Shri P. L. Verma	94
श्री एस० कुन्डु	Shri S. Kundu	94—95
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	95
श्री उग्रसेन	Shri Uggrasen	96
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	96—97
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	97—98
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	98—99
श्री सौगुता राय	Shri Sougata Roy	99
चौ० बलवीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	100
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	100
श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	100—101
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	101—102
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani	102

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 6 अप्रैल, 1977/16 चैत्र, 1899 (शक)
Wednesday, April 6, 1977/Chaitra 16, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची में 20 प्रश्न हैं । यदि आप चाहते हैं कि अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जायें तो आप केवल एक या दो अनुपूरक प्रश्न पूछें। परन्तु यदि आप बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे तो केवल दो तीन प्रश्नों के ही उत्तर दिए जा सकेंगे । अतः इस मामले में मैं आपका सहयोग चाहता हूं ।

समाचार के संबंध में सरकार की नीति

*21. **श्री विनेश जोरदर**
[श्री एस० जी० मुरुदगैयान : } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "समाचार" नामक समाचार एजेंसी के सम्बन्ध में सरकारी नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) प्रेस की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करने की दृष्टि से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाचार एजेंसी के कार्यों में एकाधिकार न हो, सरकार "समाचार" नामक समाचार एजेंसी के सम्बन्ध में नीति के समूचे प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिनेश जोरदर : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार "समाचार" नामक समाचार एजेंसी की नीति और उसके कार्यकरण पर नए सिरे से विचार करेगी ।

गत 19 या 20 महीनों की आपातस्थिति और उस ढंग को, जिससे पी० टी० आई०, यू० एन० आई० और अन्य समाचार एजेन्सियों को मिलाकर एक कर दिया गया था और इन विभिन्न समाचार एजेन्सियों को जबरदस्ती और दबाव से मिलाकर "समाचार" नामक एक समाचार एजेन्सी बनाया गया था और पत्रकारों, विशेषकर समाचार एजेन्सियों के रिपोर्टों पर किए गए दमन और अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार के दमनकारी उपायों के शिकार हुए और कितने 'मीसा' के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध उठाए गए विभिन्न दाण्डिक उपाय क्या थे ?

पत्रकारों को भविष्य में इस प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : प्रश्न **समाचार** के पुनर्गठन से सम्बन्धित है। समाचार एजेन्सियों के विलय के दौरान यदि उत्पीड़न का कोई मामला हुआ है, तो मंत्रालय उसकी जांच करेगा और इस सम्बन्ध में आवश्यक

कार्यवाही करेगा। मामले में चलती-फिरती जाँच कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। परन्तु यदि सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट मामला लाया जाता है तो वह इसकी जरूर जांच कराएगी।

श्री दिनेश जोरदर : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस नीति पर कब पुनर्विचार किया जायेगा, क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि इन छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों और अन्य पत्रिकाओं को समाचार एजेन्सियों से सस्ते मूल्य पर समाचारों की कैसे सप्लाई की जाएगी और सारे देश में विभिन्न समाचारपत्रों, विशेषकर शेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को, समाचारों की सप्लाई के लिए और किस प्रकार की मशीनरी स्थापित की जा सकती है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की नीति है और पुनर्गठन की प्रस्तावित योजना में इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जायेगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या सरकार प्रेस सलाकार निकाय स्थापित करने का विचार कर रही है ताकि सरकार और प्रेस के बीच लोकतंत्री सिद्धान्त स्थापित किए जा सकें।

श्री लालकृष्ण अडवानी : प्रश्न का सम्बन्ध देश में प्रेस की स्वतन्त्रता से है। मंत्रालय इस समय समूचे प्रश्न पर विचार कर रहा है।

जहां तक 'समाचार' सम्बन्धी मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व नीति सम्बन्धी एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा।

SHRI Y. P. SHASTRI : I would like to know from the hon. Minister whether the news agencies so amalgamated will be separated ? P.T.I., U.N.I., Hindustan Samachar and Samachar Bharti were amalgamated into one news agency by the previous government with a view to keep it under government's control, but the new government do not want to follow this policy. May I know whether Government propose to take a definite decision to allow all the erstwhile four agencies to function independently ?

SHRI L. K. ADVANI : So far as the policy of my Government is concerned, it is very clear. We are against the government control on news agencies. Secondly, we do not want monopoly in the sphere of news agencies. But we will certainly consider what measuers will be proper to reverse the situation arisen out of amalgamation—specially keeping in view the fact that the interests of the employees working in Samachar do not suffer.

कुछ समाचार-पत्रों आदि को विज्ञापन न दिया जाना

*22. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे दैनिक, साप्ताहिक और अन्य पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिनको भूतपूर्व सरकार ने विज्ञापन देना बन्द कर दिया था; और

(ख) क्या उपरोक्त आदेश रद्द कर दिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) 20-3-1977 के दिन की स्थिति के अनुसार जिन समाचारपत्रों को विज्ञापन दिए जाने बन्द रहे उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए सं० एल० टी० 100/77]

(ख) निलम्बन आदेशों को विशेषकर उनको जो राजनीतिक आधार पर जारी किए गए थे, रद्द करने के लिए प्रत्येक मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच की जा रही है। 100 मामलों में से 81 मामलों में उक्त आदेशों का पहले ही पुनर्विलोकन किया जा चुका है और उनको रद्द कर दिया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि समीक्षा का वास्तविक आधार क्या है या इन मामलों की जांच करते समय किन-किन मुद्दों पर विचार किया जाता है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : जैसा कि मैंने पहले ही अपने उत्तर में बताया है कि जहां यह बात लगभग स्पष्ट है कि किसी समाचारपत्र या पत्रिका की विज्ञापन राजनीतिक कारणों से बन्द किए गए थे या उस

पत्र की स्वयं की प्रतिस्पर्धा के कारण बन्द किए गए थे, उनकी जांच हो चुकी है और और आदेश रद्द किए गए हैं। जून 1975 की स्थिति को पुनः लाना कोई कठिन बात नहीं है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मामलों में, जिहां विज्ञापन किसी पत्र की अश्लील विषयवस्तु के कारण बन्द किए गए हैं, सरकार का विचार भिन्न होगा। अतः अभी तक मेरे पास लाए गए 100 मामलों में से 81 मामलों में आदेश रद्द किए गए हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं जो सूची यहां दी गई है क्या वह पूरी है ? मेरी जानकारी के अनुसार मासिक पत्र, जिन्हें सरकारी एजेन्सियों से विज्ञापन मिलते हैं, बन्द कर दिए गए। 'एक साथे' एक ऐसी बंगला पत्रिका है जो पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य पत्र जयश्री है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पिछली सरकार द्वारा जिन पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, उनकी जांच की जाए। क्या वह इन मामलों की तुरन्त जांच कराएंगे और उन्हें विज्ञापन देने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : यदि कोई माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मामला बताए तो मैं उसकी अवश्य जांच कराऊंगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मंत्री जी देश में प्रत्येक समाचार के प्रति न्याय करेंगे।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : हम राजनीतिक आधारों पर किसी के विरुद्ध भेदभाव न रखने की नीति के प्रति वचनबद्ध हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ समाचारपत्रों को बन्द कर दिए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है, उन्हें विज्ञापन देने की बात तो दूर रही ? मैं 'मदरलैंड', का उदाहरण देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पिछली सरकार की कार्यवाही में सुधार करेगी, जिसने ऐसे समाचारपत्रों को समाप्त कर दिया था क्या सरकार पिछली सरकार बनाम मदरलैण्ड के समूचे मामले की जांच कराएगी ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैंने अपने उत्तर में स्थिति बताई है और मैंने ऐसे समाचारपत्रों की सूची दी है जिनके बारे में आपातस्थिति के दौरान यह कार्यवाही की गई। दी गई तारीख 20 मार्च है। इनमें 'मदरलैण्ड' और 'आर्गेनाइजर' शामिल हैं जिन्हें आपातस्थिति से पूर्व भी विज्ञापन नहीं दिए जाते थे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न विज्ञापनों के बन्द किए जाने से सम्बन्धित है न कि किसी विशेष अवधि से सम्बन्धित है। अतः विज्ञापन देने के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : MR. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister whether it is fact that huge amounts were spent by Government in giving advertisements to newspapers for getting wide spread publicity of the five-point programme and the statements of Shri Sanjay Gandhi who is worthless fellow and who had no connection with the Government and if so the amount spent in this regard ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

SHRI KARPURI THAKUR : on a point of order Sir, No person, whosoever he may be, should be called worthless fellow. It is unparliamentary to say so.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है तथा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय, क्या हम जान सकते हैं कि क्या सरकार उन मामलों की भी जांच कर रही है, जिनमें कतिपय समाचार पत्रों का अनुचित पक्ष लिया गया है और उन्हें संरक्षण दिया गया है और क्या सरकार गैर-सरकारी विज्ञापनों सहित विज्ञापनों के सम्बन्ध में कोई व्यापक नीति बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : महोदय यह अति महत्वपूर्ण मामला है और मैं सरकार की विज्ञापन नीति के सभी पहलुओं की जांच कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह सही है। आपात के दौरान

कुछ पत्रों के साथ पक्षपात किया गया तथा कुछ को संरक्षण दिया गया। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सरकार की विज्ञापन सम्बन्धी नई नीति निष्पक्ष हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप निर्णय किए जाने के बाद उसे सभा पटल पर रखेंगे।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : निर्णय लेते ही उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि भतपूर्व सरकार ने विज्ञापन दाताओं पर यह दबाव डाला था कि वे कतिपय समाचार पत्रों को, जो कि सरकार की कार्यवाही की आलोचना करते थे, विज्ञापन न दें। क्या वह इस बारे में जांच करेंगे यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचारपत्रों को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण दिया जाए?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, गत 19 महीनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जिन्हें सही नहीं कहा जा सकता। हम उन शिकायतों को दूर करना चाहते हैं। जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी।

जहां तक विज्ञापन सम्बन्धी सामान्य नीति का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि विज्ञापन सम्बन्धी समूची नीति पर विचार किया जा रहा है और सभा के समक्ष एक व्यापक विवरण रखा जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है, यदि मेरे ध्यान में वे मामले लाए गए जिनमें लिखित रूप में अथवा मौखिक तौर पर दबाव डाला गया है तो मैं अवश्य उन की जांच करूंगा और समुचित कार्यवाही की जाएगी।

नक्सलवादी बन्दी

*23. **श्री प्रद्युम्न बल**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न कारागारों में कितने नक्सलवादी बन्दी निरुद्ध हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके मामलों पर पुनर्विचार करने तथा उन बन्दियों को मुक्त करने का है जिनके विरुद्ध विशिष्ट आरोप नहीं हैं अथवा जिनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 25 मार्च, 1977 को आंन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल में 645 नक्सलवादी नजरबन्द हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि नजरबन्द ऐसे सभी नक्सलवादियों को, उन मामलों को छोड़ कर जहां ऐसी नज़रबन्दी हाल की हिंसक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण की गई थी, रिहा कर दिया जाए। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी जा रही है कि जिन मामलों में नक्सलवादी अन्तर्ग्रस्त हैं, उनको शीघ्र निपटाया जाए।

श्री प्रद्युम्न बल : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में नक्सलवादी बन्दियों की संख्या केवल 645 है, जब कि मेरी जानकारी यह है कि इन बन्दियों की संख्या कहीं अधिक है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा, बिहार तथा अन्य स्थानों में इन बन्दियों की संख्या बहुत अधिक है। मैं समझता हूं कि उनकी संख्या को स संख्या में नहीं जोड़ा गया है। वास्तव में देश में इनकी संख्या कई हजार है। मैं जानना चाहता कि क्या सरकार उन के विरुद्ध लम्बित मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगी तथा इन मामलों में क्या कार्यवाही की जायेगी?

चौधरी चरण सिंह : मेरी सूचना राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं राज्य सरकारों से और पूछताछ करूंगा।

श्री प्रद्युम्न बल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि इन बन्दियों पर पुलिस द्वारा अनेक अत्याचार किए गए हैं इन्हें बुरी तरह पीटा गया है। मैंने उनके शरीर पर निशान देखे हैं। कोरापुट जेल में बन्द एक महिला बन्दी के स्तनों पर लोहे की गर्म प्लेट रख दी गई। उसके पति को भी शारीरिक

यातनाएं दी गईं । वह भी कोरापुट जेल में ही बन्द हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में जांच की जाएगी और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जायेगा ? क्या तथाकथित नक्सलवादी सर्दी से मर गए हैं इन सब बातों की जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि वह और पूछताछ करेंगे ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इन बन्दियों को जिन परिस्थितियों में रखा जा रहा है, उसे देखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह निदेश जारी किए गए हैं कि इन्हें राजनीतिक बन्दी समझा जाए और इनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए ? दूसरे क्या उन व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध मामले लम्बित हैं, पैरोल अथवा जमानत पर छोड़ा जाएगा, ताकि उन की स्थिति में सुधार हो सके ?

चौधरी चरण सिंह : जैसा कि मैंने कहा है, उनकी रिहाई के निदेश जारी किए जा रहे हैं अतः उनके साथ किए जा रहे व्यवहार के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण कान्त : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे समूचे मामले की पुनः जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें राज्य सरकारों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह "नजरबन्द" शब्द के आधार पर प्राप्त हुई है, न कि इस आधार पर कि "विभिन्न आरोपों के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए ।" जेलों में हजारों ऐसे आदमी हैं जिन पर गत दस वर्षों से मुकदमे चलाए जा रहे हैं और उन मुकदमों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नई सरकार की नीति तथा देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय साम्यवादी दल (एम एल) ने 1 अप्रैल को एक संकल्प पारित किया था, जिस से ज्ञात होता है कि वे हिंसा के मार्ग को छोड़ रहे हैं और देश की लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया तथा आगामी चुनावों में भाग लेना चाहते हैं । नई परिस्थितियों में क्या वे सुनिश्चित करेंगे कि सब दलों के नेता रिहा किए जायें ताकि वे गलत शक्तियों से लड़ने में हाथ बटा सकें और नक्सलवादियों की मुख्यधारा में शामिल हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का अन्तिम भाग अनावश्यक है ।

चौधरी चरण सिंह : सम्भवतया इन बन्दियों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है । पहले वे हैं जो बन्दी हैं तथा जिनके विरुद्ध मामले नहीं हैं । उनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी तुरन्त रिहाई के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं । दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जिनके विरुद्ध हिंसा के मामलों की जांच की जा रही है । हमने कहा है कि जांच शीघ्र पूरी की जाए । तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन के विरुद्ध मुकदमे चलाए जा रहे हैं । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि मुकदमों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाए । चौथी श्रेणी में वे हैं जिन को सजा दी जा रही है । इन के बारे में हमारी यह नीति है कि वे अपनी पूरी सजा भुगतें । इन मामलों में जो कानून कहता है, वैसा ही होना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार से पूछा गया था कि उड़ीसा की जेलों में कितने नक्सलवादी बन्दी है तथा इनमें ऐसे बन्दियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध मामले लम्बित हैं । मुझे जानकारी है कि उड़ीसा की जेलों में कुछ ऐसे बन्दी है, जब कि माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार उड़ीसा के जेलों में ऐसा कोई बन्दी नहीं है । क्या उड़ीसा सरकार से पूछा गया था और यदि हां, तो उसने क्या उत्तर दिया ?

चौधरी चरण सिंह : मैं सब राज्य सरकारों से पूछताछ कर रहा हूं ।

डा० बलदेव प्रकाश : माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि हिंसा के मामलों में राज्य सरकारों से कहा गया है कि जांच शीघ्र पूरी की जाए । परन्तु हमें ज्ञात है कि हिंसा के मामले बेबुनियाद हैं और जानबूझ कर बनाए गए हैं । क्या ऐसे मामलों में संघ सरकार एक निष्पक्ष केन्द्रीय जांच कराने के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि हमारे विरुद्ध भी झूठे मामले बनाए गए थे और हमें जेल में बन्द कर दिया गया था । अतः इस बारे में जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है । कि ये मामले झूठे थे अथवा वास्तव में हिंसा हुई थी ।

चौधरी चरण सिंह : यह निर्णय केवल न्यायालय करेंगे कि मामले झूठे हैं अथवा सच्चे हैं । ऐसे मामलों में जिन में मुकदमे चल रहे हैं । यह निर्णय करने के लिए कि मामले सच्चे हैं अथवा झूठे, सरकार शायद कोई प्राधिकरण नियुक्त नहीं कर सकती । मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि मुकदमा चलाने वाले अधिकारी

सरकार के रवैये को ध्यान में रखेंगे, परन्तु हम उनसे यह नहीं कह सकते कि मुकदमे वापस लिए जाएं। शायद न्यायालय इस की अनुमति न दें और उनके बारे में नए सिरे से जांच की जाए।

SHRI MADHU LIMAYE : Atrocities have been committed against the so called Naxlities and Naxlite detenus. I have definite information about Prasant Kumar son of Prof. Chakarvarti of Bhagalpur University, who was brought out of Bhagalpur jail and short dead by Police and it was recorded that he was shot at as he was fleeing away. I want to know whether Central Government will intervene in such cases and conduct enquiries and whether instructions will be issued to State Governments ?

CHAUDHRI CHARAN SINGH : If my hon. friends brings to our notice such cases we will definitely ask the State Governments to investigate into the matters and if we are not satisfied with the investigations made by the State Governments, we will consider as to what can be done by the Central Government in this regard.

डा० सुशीला नायर : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि इन बंदियों में से महिला बंदियों की संख्या कितनी है ? क्या महिला बन्दियों के साथ किए गए अत्याचार की उन्हें कोई जानकारी है ?

चौधरी चरण सिंह : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की शिकायतें

*24. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की लम्बे अर्से से चली आ रही शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) स्टाफ आर्टिस्टों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से अर्थात् स्टाफ आर्टिस्टस् यूनियन के साथ मंत्रालय, निदेशालय और केन्द्र स्तर पर होने वाली अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठकों के दौरान, व्यक्तिगत अभ्यावेदनों के द्वारा, संसद सदस्यों या अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों के माध्यम से समय समय पर सरकार के ध्यान में लाई जाती है। इस प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाता है और जहां सम्भव होता है उनको दूर किया जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों की लम्बे अर्से से चली आ रही शिकायतें मुख्यतया उनके शुल्क मान अच्छे करने, सेवा निवृत्ति के लाभ देने और पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करने के बारे में हैं। इसके सम्बन्ध में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

स्टाफ आर्टिस्टों की कुछ अधिक महत्वपूर्ण और लम्बे अर्से से चली आ रही शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	शिकायतें	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई
1.	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुल्क मानों में संशोधन करना।	स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्क मान जून, 1976 में संशोधित किए जा चुके हैं। उनको 1-1-73 से लागू किया गया है।
2.	सेवा-निवृत्ति के लाभ देना।	एक दिसम्बर, 1975 से स्टाफ आर्टिस्टों को अंशदायी भविष्य निधि और कुछ शर्तों के साथ ग्रेच्युटी के लिए पात्र बना दिया गया है।
3.	पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करना।	पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करने की दृष्टि से स्टाफ आर्टिस्टों के भर्ती नियमों में 1976 में संशोधन किया गया था।

श्री समर मुखर्जी : विवरण से यह पता चलता है कि जो भी कार्यवाही की गई है, वह पिछली सरकार द्वारा की गई है। क्या नई सरकार बनने के बाद, उनकी मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : कुछ लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । सत्र के बाद मैं ऐसोसिएशन के लोगों से और दूसरे आर्टिस्टों से मिलूंगा । उनकी तीन प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं । इस समय मोटे तौर पर स्टाफ आर्टिस्ट सरकारी कर्मचारियों के समान हैं। मुख्य अन्तर केवल पेंशन के बारे में है । वे सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन के हकदार नहीं हैं किन्तु उन्हें ग्रेच्युटी मिलती है। इसको लेकर भी कुछ शिकायतें हैं जिन पर विचार किया जाएगा ।

SHRI UGRASEN : May I know whether Government have under consideration a proposal to convert A.I.R. and Television into a Corporation and to give representation to staff therein so that they may solve their problems themselves ?

SHRI L. K. ADVANI : It is a wide issue and our Government propose to convert the media like A.I.R. and Television into an autonomous body. Whatever structure change we may contemplate to bring about but we must redress the grievances of the staff artists.

आपात स्थिति के दौरान जेलों में या पैरोल पर रिहा नजरबन्द व्यक्तियों की मृत्यु

*25. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**
श्री बशीर अहमद } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान, राज्यवार, जेलों में कुल कितने नजरबन्द व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जांच करने का है जिनके कारण जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ग) पैरोल पर रिहा कितने नजरबन्द व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ग) हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम 1971 के अधीन नजरबन्द किए गए उन व्यक्तियों की संख्या, जिनकी हिरासत में अथवा पैरोल के समय मृत्यु हो गई थी, का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी । **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे यह सूचना कभी नहीं देंगे ।

चौधरी चरण सिंह : मैं इतना निराशावादी नहीं हूं ।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि हिरासत में आंसुका के नज़र बन्दियों की मृत्यु के सभी मामलों में न्यायिक जांच कराई जाए, जहां यह अभी तक नहीं कराई गई है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जो नज़रबन्द व्यक्ति हिरासत में मरे उनकी संख्या	जो नज़रबन्द व्यक्ति पैरोल के समय मरे उनकी संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	1
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	बिहार	4	शून्य
4.	गुजरात	4	3
5.	हिमाचल प्रदेश	1	शून्य

1	2	3	4
6.	जम्मू व कश्मीर	2	शून्य
7.	कर्नाटक	1	शून्य
8.	केरल	1	शून्य
9.	महाराष्ट्र	10	2
10.	मणिपुर	शून्य	शून्य
11.	मेघालय	शून्य	शून्य
12.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	शून्य	शून्य
14.	पंजाब	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान	शून्य	शून्य
16.	सिक्किम	शून्य	शून्य
17.	तमिल नाडु	2	शून्य
18.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
19.	उत्तर प्रदेश	14	सूचना प्रत्याशित है ।
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
2.	अण्डमान व निकोबार	शून्य	शून्य
3.	चण्डीगढ़	शून्य	1
4.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	2	2
6.	गोवा, दमन व दीव	शून्य	शून्य
7.	लक्ष द्वीप	शून्य	शून्य
8.	मिजोरम	शून्य	शून्य
9.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य
	जोड़	41	9

हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में सूचना प्रत्याशित है ।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी: जिन लोगों की जेलों में मृत्यु हो गई, उनके परिवारों के बारे में वर्तमान सरकार क्या कर रही है ?

चौधरी चरण सिंह : सरकार इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या सरकार उन लोगों के लड़के-लड़कियों को रोजगार और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी ।

चौधरी चरण सिंह : इस समय में केवल यही कह सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी ।

श्री बशीर अहमद : पिछली सरकार ने जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं । आज के 'स्टेट्समैन' अखबार में धूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपने आपका और अपने पुत्र का बचाव किया है । उन्होंने कहा है कि कुछ भूतपूर्व विरोधी सदस्यों से झूटे आरोप लगाए गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जांच आयोग कब बनाया जायेगा । क्या वह उन आरोपों की जांच करेगा जो उन लोगों पर लगाए गए हैं जिन्होंने जेलों में लोगों पर अत्याचार किए हैं ।

क्या माननीय मंत्री जानते हैं एक फिल्म अभिनेत्री, श्रीमती स्नेहलता को भी सताया गया और रिहाई के बाद उसकी मृत्यु हो गई? क्या जांच आयोग इस मामलों की जांच करेगी? मजिस्ट्रेट द्वारा जांच से यह पता नहीं चल सकेगा कि लोगों पर कितने अत्याचार किए गए हैं। जेलों में अत्याचारों के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। जांच आयोग कब नियुक्त किया जायेगा?

चौधरी चरण सिंह : आपात-स्थिति के दौरान हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त जांच नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मैं सम्भवतः इस सम्बन्ध में कल सभा में एक वक्तव्य दूंगा।

श्री रामचन्द्र मलिक : आंसुका के अधीन नजरबन्द किए गए लोगों में से अभी तक 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है--41 की जेलों में और 9 की पैरोल के दौरान। यह सूचना सरकारी तौर पर दी गई है। क्या राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार ने उनके परिवार के सदस्यों को उनकी आर्थिक हालत जानने के बाद उन्हें कोई वित्तीय सहायता या अन्तरिम राहत दी है या देने का विचार रखती है?

चौधरी चरण सिंह : खेद है मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

प्रेस सेन्सर अधिकारियों के व्यवहार की जांच

*26. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में समाचार पत्रों की पाण्डुलिपियों के सेन्सर के दौरान प्रेस सेन्सर अधिकारियों के तरीकों और व्यवहार के बारे में कोई जांच करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : सामान्य औपचारिक जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यदि कोई विशिष्ट शिकायतें की जाएंगी तो उनकी जांच की जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या मंत्रालय और मुख्य सेंसर अधिकारी द्वारा समय:समय पर जारी किए गए निदेशों को सभा-पटल पर रखा जाएगा? इन निदेशों के अनुसार किन-किन पत्रों को अपना प्रकाशन बन्द करने के लिए बाध्य किया गया। क्या भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने स्वयं अपने अधिकारियों के माध्यम से हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित किया कि उनके प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार, श्री कौशिक और उनके समर्थकों पर किए गए हमले की खबर चुनाव के समय स्थानीय अखबारों द्वारा दबा ही पाए और यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सेंसर द्वारा समाचार-पत्रों को जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए थे उन्हें सभा-पटल पर रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता है कि चुनाव में प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार पर किए गए हमले सम्बन्धी समाचार को दबाने की कोशिश की गई थी और इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने कहा कि वे मार्गदर्शी सिद्धांत सभा-पटल पर रखेंगे। मैंने निदेशों के बारे में पूछा है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : यदि हम मार्गदर्शी सिद्धांतों पर दृष्टिपात करेंगे तो प्रश्न का उद्देश्य पूरा हो पायेगा। बहुत से निदेश दिए गए थे, कुछ जबानी दिए गए थे और कुछ लिखित रूप में। इस सरकार की स्थिति यह है कि अब कोई सेंसरशिप नहीं है। सभी मार्गदर्शी सिद्धांत वापस ले लिए गए हैं और समस्त ढांचे को समाप्त कर दिया गया है।

श्री समरेन्द्र कुंडु : आपात-स्थिति के दौरान तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने आक्रामक प्रचार किया था। उस समय समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को व्यवस्थित ढंग से जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा गया था। और सेंसर को एक बुरे उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया गया। सेंसर सूचना और प्रसारण विभाग, सेंसर, दूरदर्शन तथा प्रेस का उपयोग झूठी बातों का प्रचार करने के लिए किया। अब माननीय मंत्री जी ने मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के बारे में कहा है। कुछ सेंसर अधिकारियों ने मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री को खुश करने

के लिए ऐसी बातें कीं, जिन्हें मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत नहीं रखा गया है । ऐसे कई मामले हैं । उदाहरण के लिए दि इंडियन एक्सप्रैस, दि स्टेटसमैन, दि जनता, आदि कई दैनिक समाचार-पत्रों को ले लीजिए । मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि उन मामलों की जांच की जायेगी जहां सेंसर ने मार्गदर्शी सिद्धांतों की अवहेलना की है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । दूसरे मंत्री महोदय सभा को आश्वासन दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समूचे कार्यकरण की जांच की जाएगी और इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कई बातों ऐसी हुई हैं, जो कि मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आतीं । किन्तु मेरी जानकारी में जो भी मामले आए हैं, ऐसा लगता है कि ये सब बातें तत्कालीन मंत्री जी के निदेशानुसार की गई हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस प्रश्न का सम्बन्ध विशेषरूप से प्रेस सेंसर अधिकारियों के तरीकों तथा व्यवहार से है। मंत्री जी ने अभी बताया है कि सरकार की वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों की पूरी तरह से संवीक्षा करने की नीति नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार समाचार-पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं के मालिकों, सम्पादकों, तथा रिपोर्टरों से प्राप्त शिकायतों पर उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है, जिन्होंने मौखिक और कभी मौखिक आदेशों के न होते हुए भी मंत्रियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए तथा अनुचित व्यवहार किया। एक लेखक और सतम्भ लेखक के रूप में मैं भी इस प्रकार के अनुचित सेंसरशिप का शिकार बना हूं । क्योंकि हमें अपना अखबार नहीं छापने दिया गया । इन सब बातों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि मेरे तथा मंत्री जी के जीवनकाल में ही नहीं अपितु राष्ट्र के जीवन में ऐसी बातें पुनः न हों।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस तरह के अनुचित तरीकों की जांच की जानी चाहिए जोकि भारत में प्रेस स्वतन्त्रता के इतिहास पर कलंक हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की बातें न हों । इसके लिए संवैधानिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक स्तर पर भी उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मैं आपकी सलाह को भी ध्यान में रखूंगा ।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Mr. Speaker, I want to raise a point of order. The list of questions which has been given to us, does not contain Question No. 1 and 2. We got only question No. 3.

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न काल के बाद में मिलेगी।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्री को पता है कि आकाश-वाणी के कलकत्ता स्टेशन ने आकाशवाणी से टैगोर के गीतों को प्रसारित करने से रोका है। उनके "एकला चलोरे" नामक गाने को गांधीजी भी बहुत पसंद करते थे, किन्तु उसे आकाशवाणी से प्रसारित नहीं करने दिया गया । यह आपात स्थिति के दौरान किया गया था। क्या सूचना और प्रसारण मंत्री को इसका पता है ? वह इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं। क्या उन्हें पता है कि "इंडिया इज इंदिरा" के सिद्धान्त के अनुसार आकाशवाणी से मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में मत देने के लिए कहने से कुछ घंटे पूर्व भूतपूर्व प्रधान मंत्री के उपदेश प्रसारित किए गए थे । इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : टैगोर के "एकला चलोरे" नामक गीत को आकाशवाणी से प्रसारित करने से रोकने से की बात मेरे ध्यान में आई है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की बातें हमारे कार्यकाल के दौरान ही नहीं वरना भविष्य में कभी भी नहीं होंगी ।

चिल्का में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

*27. **श्री गणनाथ प्रधान : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित चिल्का में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) और (ग) भूमि अर्जित कर ली गई है। सिविल निर्माण कार्य को दो चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण को आगे और दो उप-चरणों में विभाजित किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट को न्यूनतम सुविधाओं के साथ चालू करने के लिए प्रथम उप-चरण की योजना बनाई गई है। इस उप-चरण में 2.2 करोड़ रुपए व्यय होगा और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है तथा यह आशा की जाती है कि यह 1979 के प्रारम्भ में पूरी हो जाएगी। दूसरा उपचरण जिसमें लगभग 1.19 करोड़ रुपए लगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के लिए अन्य सुविधाएं तथा सुखसाधन प्रदान करेगा और इसके 1979 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। परियोजना के दूसरे चरण का कार्य प्रथम चरण पूरा हो जाने के बाद हाथ में लिया जाएगा।

प्रथम चरण के पहले उप-चरण का कार्य ज्यूंही पूरा हो जाएगा बायज ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

SHRI GANNATH PRADHAN : I would like to know from the Hon. Minister as to how much allocation was made for this purpose and how much work has been done. What are the difficulties due to which this work is not being carried on properly.

SHRI JAGJIWAN RAM : The work is going on. The first phase would be completed in the beginning of 1979 and thereafter the admission of boys will start.

SHRI GANNATH PRADHAN : Arrangements should be made to provide drinking water there and if the work is not being executed properly the other difficulties should also be looked into.

SHRI JAGJIWAN RAM : I did not say that the work is not going on smoothly. The basic requirements should be met before the classes start. It is essential to provide drinking water before the Boys Training Establishment starts functioning.

श्री एम० एस० संजीवराव : हम सब को पता है कि हमारे देश की रक्षा में नौसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त यह हमारे देश का सौभाग्य है कि बम्बई हाई में हमने तेल के बहुत बड़े भंडार आरक्षित रखे हुए हैं। हमें यह भी पता है कि पहले ही 20 लाख टन का उत्पादन होने जा रहा है और 1980 तक तटदूर छिद्रण से 100 लाख टन तेल का उत्पादन होने लगेगा। बदलती परिस्थितियों में, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि हमें इन बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करनी है, इस कार्य में नौसेना की सुविधा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री जगजीवन राम : हमारी ऐसी ही योजना है। इस समय विशाखापत्तनम में इस तरह का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जहां प्रतिवर्ष 600 लड़के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब प्रतिवर्ष 900 लड़कों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है और अंत में हमारा उद्देश्य इस संख्या को 1200 प्रतिवर्ष करने का विचार है।

श्री समरेन्द्र कुंडु : इस प्रश्न को पूछते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से अपील कर सकता हूं कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि उड़ीसा बिहार की ही तरह पिछड़ा हुआ राज्य है। इस योजना में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। आज एक घोषणा की गई है कि प्रशिक्षण केन्द्र 1979 के आरम्भ में कार्य करना शुरू कर देगा। क्या 1979 की बजाए यह 1978 के आरम्भ में शुरू नहीं हो सकता?

श्री जगजीवन राम : इसका अर्थ यह है कि यह एक वर्ष पूर्व आरम्भ हो जाए। मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या ऐसा संभव हो सकता है।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय और रेलवे आदि के विज्ञापनों का छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को दिया जाना

28. ***श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, रेलवे और अन्य सरकारी उपक्रमों के छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को दिए जानेवाले विज्ञापनों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापनों के लिए दी जाने वाली राशि में कितनी वृद्धि होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) तथा (ख) समाचारपत्रों को विज्ञापन प्रचार की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं न कि वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में। परन्तु, इन सीमाओं में रहते हुए, छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों विशेषकर उन समाचारपत्रों जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, का सरकारी विज्ञापनों के लिए उपयोग वर्धित मात्रा में किया जायेगा। इसलिए इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विज्ञापन वित्तीय सहायता के लिए नहीं दिए जाने हैं। किन्तु ऐसे देश में जहां बड़े-बड़े समाचार पत्रों पर एकाधिकार गृहों का नियन्त्रण है, क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि छोटे, मध्यम समाचार पत्रों तथा युवा पत्रकारों को प्रोत्साहन दिया जाए। विज्ञापन के माध्यम से उनकी सहायता किए बिना वे अपने पत्र का परिचालन किस तरह बढ़ा सकते हैं? क्या सरकार निष्पक्ष रुप से विज्ञापन वितरित करने के लिए कोई नीति निर्धारित करने जा रही है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : जैसा कि मैंने कहा है, विज्ञापन वित्तीय सहायता देने के लिए नहीं हैं। अन्यथा विज्ञापन राजनीतिक संरक्षण का उपकरण बन जाएंगे। किन्तु सरकार ऐसा नहीं चाहती। किन्तु सरकार एक नीति तैयार करेगी, जिसमें छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के लिए उपाय करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, और जहां तक कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका "जनशक्ति" का सम्बन्ध है, यद्यपि इनके बारे में श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय ने निलंबन के आदेश वापस ले लिए हैं, किन्तु रेलवे बोर्ड तथा अन्य प्राधिकार इन्हें विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे ? दूसरी बात यह है कि "सूर्य" नामक पत्रिका को कितने विज्ञापन दिए जाते हैं। इस पत्रिका को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है जोकि आपात स्थिति के दौरान अस्तित्व में आया है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : इस तरह के दो मामले हैं। पहली बात मुझे यह बताई गई है कि एक समाचार पत्र को रेल विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं। मैं इस पर विचार करूंगा। जहां तक सूर्य का सम्बन्ध है, इस बारे में मुझे सूचना दी जाए।

श्री के० मल्लना : एकाधिकार समाचार पत्रों को श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय की ओर से विज्ञापन देने की नई सरकार की क्या नीति है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : इस बारे में हमारी नीति नकारात्मक नहीं अपितु स्वीकारात्मक नीति होनी चाहिए और वह नीति ऐसी होनी चाहिए कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों, विशेषकर, भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का पक्ष लिया जाए।

अन्य सूचना प्रश्न संख्या 3

SHORT NOTICE QUESTION 3

योजना आयोग के उपाध्यक्ष का त्यागपत्र

अ० सू० प्र० सं० 3. **श्री तेज प्रताप सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है अथवा नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्री पी० एन० हक्सर ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है किन्तु उनसे अनुरोध किया गया है कि वे कुछ समय और अपने पद पर बने रहें ताकि सरकार उपयुक्त वैकल्पिक प्रबंध कर सके।

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I would like to know from the Prime Minister that by what time steps will be taken to replace the members and Deputy Chairman of the Planning Commission. Because for inclusion of new policies in the budget allocations have to be

made and these members and Deputy Chairman have also their contribution in preparing budget.

SHRI MORARJI DESAI : We will do so as early as possible.

SHRI TEJ PRATAP SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether such rules are not necessary in our country under which the Deputy Chairman and all members of the Planning Commission, Ambassadors, and Governors should resign after the formation of new Government. If such rules do not exist, whether new Government will adopt such rules as exist in other democratic countries.

SHRI MORARJI DESAI : We need not to copy others.

SHRI RAMDHARI SHASTRI : Are you not accepting his resignations ?

SHRI MORARJL DESAI : He does not want to continue.

SHRI SHARAD YADAV : Smt. Indira Gandhi was the leader of Congress Government and Mr. Haskar and others were working under her. Now, since she has been ousted in the recent elections, therefore all of them who were working under her should be removed and their resignations should be accepted. (*Interruption*)

SHRI MORARJI DESAI : We cannot accept their resignations just now, because we have to make some alternative arrangements and therefore after examining all the aspects, we will take decisions.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या

*29. **श्री बसन्त साठे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या का प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए कोई नई नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या की व्याप्ति संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1977 को संसद् में दिए गए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के अभिभाषण की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सरकार की सामान्य नीति बताई गई है । सरकार को ग्रामीण, शहरी और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या की पूरी तरह से जानकारी है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही अभिभाषण में यह बात विशेष रूप से कही गई थी कि सरकार का विचार ऐसी नीति अपनाने का है जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें, इसमें कृषि, कृषि उद्योग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, विशेष रूप से इस समय उस सामान्य नीति को विशिष्ट कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वित करना संभव नहीं है।

जहां तक शिक्षित बेरोजगारी की समस्या की व्यापकता का संबंध है, दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 51.05 लाख है। इन आंकड़ों के श्रेणीवार ब्यौरे का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 को रोज़गार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में पंजीकृत (मैट्रिक और उससे ऊपर के) शिक्षित रोजगार चाहने वालों की उनके शैक्षणिक स्तरों के वर्गीकरण के अनुसार संख्या :—

(हजार में)

क्रम सं०	शैक्षणिक स्तर		31-12-1976 को वर्तमान रजिस्टरों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या (अ)
1.	मैट्रिक		2829.1
2.	हायर सैकेंडरी पास व्यक्ति (इन्टरमीडिएट /स्नातक-पूर्व सहित)		1255.2
3.	स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित) जोड़ :		1020.4
	(1) कला	469.0	
	(2) विज्ञान	266.1	
	(3) वाणिज्य	146.5	
	(4) इंजीनियरी	18.4	
	(5) चिकित्सा विज्ञान	8.6	
	(6) पशुचिकित्सा	0.5	
	(7) कृषि	9.2	
	(8) विधि	3.2	
	(9) शिक्षा	90.3	
	(10) अन्य	8.7	
	जोड़		5104.6

टिप्पणी— (1) सूचना अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के अन्त में एकत्र की जाती है।

(2) दिल्ली को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शी ब्यूरो के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

(3) ऊपर दिए गए आंकड़े पूर्णांकों में देने के कारण मेल नहीं खाते।

अ : अनंतिम :

सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन

*30. **श्री के० गोपाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के भूतपूर्व मंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त सरकारिया जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) और (ख) सरकारिया जांच आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन 19-1-1977 को प्रस्तुत किया, जो सात आरोपों के अन्तर्गत नौ मदों से संबंधित है जिनमें जांच पूरी हो चुकी है। प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित पहली अप्रैल, 1977 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

आपात स्थिति के दौरान भारत रक्षा नियमों और 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*31. **श्री शिब्बन लाल सक्सेना**
श्री हुकमदेव नारायण यादव } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 25 जून, 1975 के पश्चात् 20 मार्च, 1977 तक महीनेवार कितने व्यक्तियों को भारत रक्षा नियमों और 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ;

(ख) क्या उनमें से अब भी कोई व्यक्ति जेलों में हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आंसुका के अन्तर्गत महीनेवार गिरफ्तारियां तथा अभी तक नजरबन्द व्यक्तियों के ब्यौरे से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

25 जून, 1975 से 19 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 34,630 व्यक्ति नजर बन्द किए गए थे । इनमें से 28,386 व्यक्तियों के बारे में आंसुका की धारा 16-क के अन्तर्गत घोषणाएं की गई थीं और इन सब को 21 मार्च, 1977 को 25 जून, 1975 को घोषित की गई आपातस्थिति के रद्द हो जाने पर रिहा कर दिया गया है ।

2. भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है, और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मारुति लिमिटेड

*32. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड, हरियाणा ने कितनी बस बाडियों और रोड रोलरों का निर्माण किया है और ;

(ख) इन बाडियों के खरीदार कौन हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने मारुति लि० हरियाणा को बस की बाडियों अथवा रोड रोलरों का निर्माण करने के लिए न तो कोई औद्योगिक लाइसेंस दिया है और न ही इसका पंजीकरण किया है । उद्योग निदेशालय, हरियाणा ने बताया है कि मैं० मारुति हेवी वेहीकल्स (प्रा०) लिमिटेड, हरियाणा रोड रोलरों का निर्माण करने के लिए एक लघु उद्योग एकक के रूप में पंजीकृत है । चूंकि रोड रोलरों और बस की बाडियों का निर्माण संबंधी कार्य केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त नहीं है इसलिए इन वस्तुओं के बारे में कोई उत्पादन और अन्य आंकड़े भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

Subsistence Allowance to Detenus

*33. SHRI LAXMINARAIN NAYAK
SHRI RAGHAVJI } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether detenus under MISA and DIR having no means of livelihood were given subsistence allowance by Government for their families; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHRI CHARAN SINGH) : (a) The Defence and Internal Security of India Rules 1971 do not provide for preventive detention of any person. There is provision for grant of subsistence allowance to persons arrested under these Rules. In respect of persons detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 most of the State Governments have framed rules for grant of allowance to the families of the detenus. According to available information the Governments of Assam,

Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Chandigarh Administration have granted allowance to the families of detenus in the past.

(b) A statement showing the broad outlines of the provisions made by the various State Governments regarding grant of allowance to the families of detenus is laid on the Table of the House. **[Placed in Library.** *See* **No. LT.-101/77].**

आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति

*34. **श्री समर गुह**
श्री कंवर लाल गुप्त } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार एक ऐसा उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का है जो गोली चलाए जाने, लाठी चार्ज किए जाने की घटनाओं और सरकार द्वारा जेलों के अन्दर और बाहर की गई अन्य दमनात्मक कार्यवाहियों की सार्वजनिक जांच करेगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : सरकार को आपात कालीन अवधि के दौरान विभिन्न दुष्कर्मों, कदाचारों, दमनकारी उपायों आदि की शिकायतों में जांच कराने की आवश्यकता की जानकारी है। सारे मामले की पूरी जांच की जा रही है और सरकार चालू सत्र के दौरान सदन में एक वक्तव्य देगी।

संसद् के दोनों सदनों की कार्यवाही के प्रकाशन पर सेंसर

*35. **श्री बी० सी० कांबले :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समाचारपत्रों में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और विशेषकर तत्कालीन विरोधी पक्ष के सदस्यों के भाषणों को सेंसर कर के प्रकाशित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और वे आदेश किस प्राधिकार के अधीन जारी किए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई अगस्त, 1975 में हुए संसद के अल्प अवधि के सत्र के दौरान, तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री के आदेश से सभी कार्यवाहियों पर पूर्व सेंसरशिप लागू किया गया था। मंत्रियों के वक्तव्यों को छोड़कर जिन्होंने सेंसरशिप का उल्लंघन नहीं किया, किसी और भाषण को रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी गई। जनवरी, 1976 में हुए सत्र के दौरान पूर्व सेंसरशिप उन्हीं कार्यवाहियों तक सीमित रखा गया जो सेंसरशिप आदेश के क्षेत्र में आती थी। पूर्व सेंसरशिप में मार्च, 1976 से पूर्णतया ढील दे दी गई थी, किन्तु सम्पादकों और संवाददाताओं से कुछ उन विशेष मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया जो मुख्य सेंसर द्वारा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की स्वीकृति से जारी किए गए थे।

हल्दिया उद्योग समूह में उद्योग

*36. **श्री सुशील कुमार धारा : :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया उद्योग समूह में विभिन्न उद्योगों को पूरा करने के लिए क्या-क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी ;

(ख) प्रत्येक उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) विभिन्न उद्योगों में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तथा उनमें इष्टतम उत्पादन कब तक होने लगेगा; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (घ) जहां तक उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है वर्ष 1974-76 में 14 आशय पत्र और 1 औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। ये आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस पूरा किए जाने की विभिन्न स्थितियों में हैं। एक परियोजना द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने में सामान्यतः तीन से चार वर्ष तक का समय लगता है। उद्यमियों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों की अवधि बढ़ाने, उन्हें रद्द करने और उनका प्रतिसंहरण करने का प्राधिकार सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय का होता है तथा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की देखरेख करने तथा उसे पूरा किए जाने का दायित्व भी उसी मन्त्रालय का होता है। विभिन्न परियोजनाओं के प्रारम्भ होने और पूर्ण होने सम्बन्धी सविवरण जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

ऐसा समझा जाता है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने हल्दिया उद्योग समूह (काम्प्लैक्स) में लघु उद्यागों के लिए औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिए भूमि प्राप्त कर ली है। औद्योगिक बस्ती में शेडों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है। अतः लघु उद्योग एककों की स्थापना का कार्य शेडों का निर्माण हो जाने के बाद ही शुरू होगा। यह कार्य राज्य सरकार का है तथा कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब के कारण केन्द्र अवगत नहीं है।

Akashvani and Doordarshan as Autonomous Corporation

*37. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV
SHRI P. K. KODIYAN } : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Akashvani and Doordarshan into an autonomous corporation; and

(b) if so, by what time ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) The matter is under consideration of the Government.

Enquiry into working of Akashvani

*38. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry into the working of Akashvani; and

(b) whether the working of Akashvani during the period of internal emergency will also be enquired into ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) and (b) There is no proposal, at present, for a formal enquiry in the matter. However, the decisions taken during the period of the emergency, which are in any way deviations from the pre-emergency norms, are being reviewed and revised.

संजय गांधी सम्बन्धी समाचार

***39. श्री आर० के० म्हालगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1976 से 18 जनवरी, 1977 तक आकाशवाणी पर संजय गांधी संबंधी कितने समाचार प्रसारित किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : दिल्ली से प्रसारित केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों में 192।

श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दे खराब होने के बारे में जांच

***40. श्री एस० कुंडु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच करने का निर्णय किया है कि जेल में नजरबन्दी की अवधि में श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दे कैसे खराब हुए ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : सरकार ने इस मामले में जांच कराने का निर्णय किया है। जांच का ठीक-ठीक तरीका और उसका क्षेत्र स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय से परामर्श करने के बाद तय किया जाएगा।

चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

51. श्री ओ० पी० त्यागी : क्या गृह मंत्री सैनिक स्कूल, चित्तौडगढ़ के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि के बारे में 10 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों ने एक वर्ष बाद विद्यार्थियों के अभिभावकों को फिर कहा है कि वे वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 की बकाया राशि जमा करायें, और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़, से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन से फीस की रकम के प्राप्त होने तक छात्रों के माता-पिता से बाकी रकम भेजने को कहा गया था। परन्तु दिल्ली प्रशासन से भुगतान प्राप्त होने के बाद माता-पिता से वसूल की गई ऐसी रकम वापस कर दी जाएगी। दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा आवश्यक धन का प्रबंध कर लिया गया है और अतिरिक्त धनराशि के भुगतान को प्राधिकृत किया जा रहा है।

Profit/Loss of Super Bazar Branches in Delhi

52. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state the profit/loss incurred by various branches of Super Bazar in Delhi during the last two years, branch-wise ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : The Coopeartive Store Ltd., (Super Bazar) Delhi has adopted a system of centralised accounting which does not show branch-wise profit/loss position. As the co-operative year ends on 30th June, the last two completed cooperative years relate to 1974-75 and 1975-76. The accounts for the years 1974-75 and 1975-76 are still under audit. According to the provisional proforma accounts, the Super Bazar has made a net profit of about Rs. 4.46 lakhs and Rs. 7.26 lakhs for the years 1974-75 and 1975-76 respectively.

MISA Detenus in Madhya Pradesh

53. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons arrested under MISA in Madhya Pradesh during emergency;

(b) the number out of them of political and economic offenders as well as of those arrested for other reasons, separately;

(c) the number of MISA detenus who died in jails;

(d) the names of the jails in which lathi charge was resorted to and whether a judicial enquiry in this respect was held; and

(e) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHRI CHARAN SINGH) : (a) During the period 25th June, 1975 to 19th March, 1977, 5,550 persons were detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 in the State of Madhya Pradesh.

(b) to (e) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

54. श्री अण्णा साहेब गोटखिण्डे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बे समय से चले आ रहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का संतोषजनक समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की रूप रेखा क्या है ; और

(ख) क्या इस विवाद का समाधान करने के लिए सरकार का कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) वर्तमान सरकार को सारे मामले पर अभी विचार करना है। इस अवस्था में, सन्तोष जनक समाधान करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की रूप रेखा तैयार करना अथवा एक समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। सरकार का प्रयास होगा कि मामले को यथाशीघ्र तय किया जाए।

अन्दमान में आवास स्थलों का आवंटन

55. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंसी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्दमान में बेघर औद्योगिक श्रमिकों को आवास स्थल और भूमिहीन किसानों और श्रमिकों को भूमि आवंटित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो आवंटन की कसौटी क्या होगी और ऐसा कब किया जाएगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) अंडमान में बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में आवास स्थल आवंटित किए गए हैं। अधिकांश ऐसे व्यक्ति औद्योगिक श्रमिक हैं।

2. कृषि भूमि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आवंटित की जाती है। इस समय द्वीप समूह में कोई कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है ।

Cement Factories in Madhya Pradesh

56. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken to set up cement factories in Madhya Pradesh;

(b) if so, the number of places where they will be set up; and

(c) the present progress in regard to the factory proposed to be set up in Maihar, Satna district ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) and (b) Yes, Sir. The Cement Corporation of India are setting up two cement factories in Madhya Pradesh, one at Akaltara (Bilaspur District) and the other at Neemuch (Mandsaur District). They are also expanding their existing unit at Mandhar (Raipur District). In the private sector M/s. Century Cement Ltd. have been licensed for setting up a cement unit at Maihar (Satna District). M/s. Mysore Cement Ltd. have also been granted a letter of intent for setting up of a cement plant at Narsingarh.

(c) M/s. Century Cement Ltd. have already taken the preliminary steps like obtaining the mining lease, acquisition of land, arrangements for power and water supply and the securing of railway clearance in regard to movement. It is understood that orders for plant and machinery have also been placed.

पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों के लिए पीने का पानी

57. डा० विजय कुमार मण्डल : क्या गृह मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को ऐसे गांवों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कोई धन राशि आवंटित की गई है जिनमें हरिजन आदिवासी तथा अन्य पिछड़े समुदाय के व्यक्ति रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 में कितनी राशि आवंटित की गई और उससे कितने गांवों को लाभ पहुंचा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) जिन गांवों में हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, उनमें पीने के पानी की सप्लाई के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। परन्तु राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 1976-77 वर्ष के लिए ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए 245 लाख रुपए की धन राशि की व्यवस्था की गई है। इसमें उन क्षेत्रों समेत राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र आ जायेंगे जिनमें हरिजन, आदिवासी तथा अन्य पिछड़े समुदाय के व्यक्ति रहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जल सप्लाई के लिए 1976-77 में 6,58,455 रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है, जिसमें राज्य के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में 257 गांव आ जाते हैं।

Persons killed in Aircraft Crashes

58. SHRIMATI CHANDRAVATI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of aircraft crashed and the number of persons killed during the rehearsal of airdropping flowers on the late Shri B. N. Chakravarty, Governor of Haryana, on the occasion of inauguration of overbridge on Hissar railway line;

(b) whether any inquiry into the incident was conducted; and

(c) the compensation paid to the officials killed during the rehearsal ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No aircraft belonging to the Defence Services was involved in any accident on the said occasion.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

केरल में परियोजनाएं

59. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल सरकार ने एक जिले में कम से कम एक उद्योग स्थापित करने की परियोजना चलाई है ; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार इस परियोजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए केरल सरकार की उदारतापूर्वक सहायता करने का है।

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) इस मंत्रालय को माननीय सदस्य द्वारा बताई गई विशेष योजना का कोई पता नहीं है। राज्य सरकार से योजना का ब्यौरा मांगा गया है।

(ख) राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मिलने पर राज्य सरकार को सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में डेंडाल्लो गांव में मतदाताओं की कथित पिटाई

60. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में एलूस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 के डेंडाल्लो गांव में 16 मार्च, 1977 को मतदान के दौरान लोगों के किसी दल ने अनुसूचित जाति के हरिजन मतदाताओं को पीटा था और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) गांव का नाम डेंडालूर है, डेंडाल्लो नहीं है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 16 मार्च, 1977 को अपराह्न लगभग 3 बजे, कांग्रेस तथा जनता

पार्टी के समर्थकों के मध्य झगड़ा हुआ था। 8 कांग्रेस के समर्थकों को चोटें लगी थीं जिनमें 7 हरिजन थे। एक घायल अभी भी अस्पताल में है तथा शेष 7 को चिकित्सा के बाद भेज दिया गया था। एक मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जांच पड़ताल की जा रही है। जनता पार्टी के 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक व्यक्ति फरार है।

फिल्मों पर सेंशर

61. **श्री सौगत राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : फिल्मों पर सेंसरशिप, विशेषकर चुम्बन और नग्नता के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी): सरकार की यह नीति रही है कि चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए नियमों और निर्देशों में निर्धारित सेंसरशिप को लागू किया जाए। जहां तक चुम्बन तथा नग्नता का सम्बन्ध है, ठेस पहुंचाने वाले अभद्र या अश्लील दृश्यों की अनुमति नहीं है। जबकि सैक्स विषय पर प्रतिबन्ध नहीं है, इसका प्रतिपादन सौन्दर्यात्मक और संवेदनशील होना चाहिए ताकि इसके चित्रण के ढंग से लोगों को आम तौर पर ठेस न पहुंचे।

सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन

62. **श्री ओ० बी० अलगेशन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारिया जांच आयोग के प्रतिवेदन को एक प्रति, जो कि आयोग द्वारा पेश किया जा चुका है, सभा-पटल पर रखने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस आयोग के कार्यकाल की अवधि 1 फरवरी, 1977 से आगे बढ़ाने का है ताकि वह शेष आरोपों की भी जांच कर सके और उन पर अपने प्रतिवेदन पेश कर सके; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु सरकार को यह निदेश देने का है कि वह इस सम्बन्ध में तेजी से आगे की कार्यवाही करे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई): (क) से (ग) सरकारिया जाँच आयोग द्वारा 19-1-1977 को प्रस्तुत प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर अब तक की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित पहली अप्रैल, 1977 को सभा पटल पर रख दी गई थी। इस रिपोर्ट का सम्बन्ध सात आरोपों के उन 9 मदों से है जिनमें अब तक जांच पूरी हो चुकी है। आयोग के कार्यकाल की अवधि को, जो पहली फरवरी, 1977 को समाप्त होनी थी, 31 जनवरी, 1978 तक बढ़ा दिया गया है।

इडुक्की पनबिजली परियोजना

63. **श्री के० ए० राजन् :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इडुक्की पन-बिजली परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस परियोजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष में इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) इडुक्की जल-विद्युत परियोजना चरण-एक की 130-130 मेगावाट की तीन विद्युत् उत्पादन यूनिटें चाल कर दी गई हैं। चेरुथोनी बांध के केस्ट द्वारों के उत्थापन कार्य को छोड़कर जो कि हाथ में है, इस परियोजना के सारे सिविल इंजीनियरी कार्य पूरे हो गए हैं।

1977-78 वर्ष के लिए राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कुछ शेष मदों के संबंध में सीमित मात्रा की अदायगी अग्रिमों के प्रति समंजन करके और वसूलियां करके की जाएगी। अतः चालू वर्ष के लिए परिव्यय हेतु प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

कोल इण्डिया लिमिटेड

64. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने कुछ राज्यों में अपने वितरण केन्द्र खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ;

(ग) कितने राज्यों में कोयले का गैर-सरकारी माध्यम से वितरण हो रहा है; और

(घ) क्या 'हार्ड कोक' की बिक्री करने के लिए सरकार ने कोल इण्डिया लि० की अपनी दुकानें खोलने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) जी हां, कोल इण्डिया लिमिटेड ने, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में साफ्ट कोक और स्लैक कोयले के वितरण का कार्य अपने हाथ में लिया है ।

(ग) अन्य राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में साफ्ट कोक का वितरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में, एजेंटों तथा डिपो धारकों के माध्यम से किया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

कोट्टयम जिले में अखबारी कागज परियोजना

65. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टयम जिले में अखबारी कागज परियोजना की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भूमि और खेत के उन मालिकों, जिनसे इस परियोजना के लिये भूमि अर्जित की गई है, के संबंधियों को रोजगार में प्राथमिकता देने का है; और

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और यह कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ।

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरशन लि० ने परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा स्थान समतल करने का कार्य प्रायः पूरा हो गया है । कच्चे माल का संभरण तथा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के लिए व्यवस्था कर दी गई है । कारपोरेशन ने डिजाइन तथा इंजीनियरी का कार्य करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त कर लिए हैं। निर्माण कार्य चल रहा है और देर से मिलने वाले वस्तुओं के लिए भी क्रयादेश दे दिए गए हैं।

(ख) जी हां। भूमि अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार के स्थायी आदेश हैं ।

(ग) 16.14 करोड़ रुपए। परियोजना अक्तूबर 1978 तक पूरी हो जानी चाहिए ।

धर्मपुरी जिले में भारी उद्योग

66. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है।

(ख) क्या वहां पर भारी उद्योग चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उद्योगों का स्वरूप क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त प्राप्त करने की पात्रता हेतु तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नए एकक स्थापित करने हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान / राजसहायता योजना 1971' के अन्तर्गत निवेश राजसहायता प्राप्त करने की पात्रता

के लिए धर्मपुरी जिले के सात ताल्लुकों अर्थात् धर्मपुरी, पालाकोड़, हासुर, देनकीनीकोटा, कृष्णनगरी, उत्तानगरै और हारूर को चुना गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में धर्मपुरी जिले में केन्द्रीय क्षेत्र का भारी उद्योग चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस जिले के निजी क्षेत्र में तीन पार्टियों को टेक्सटाइल मशीनरी बनाने वाले एकक स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं।

मूल्य पर्ची लगाने संबंधी योजना

67. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य -पर्ची लगाने संबंधी उस योजना को छोड़ दिया गया है, जिसके अधीन सभी उपभोक्ता और अन्य वस्तुओं पर उन का मूल्य लिखा होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे तमिलनाडु में लागू किया जा रहा है ;

(ग) सम्पूर्ण भारत में इस योजना को समान रूप से प्रभावी करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या उन्हें पता है कि आम चुनावों के बाद तमिलनाडु में दुकानदारों ने मूल्य पर्चियां हटा दी हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) तमिलनाडु (डिस्प्ले आफ स्टाक्स, प्राइसेस एंड मैन्टेनेन्स आफ एकाउन्टस) आर्डर के अन्तर्गत मूल्य-पर्ची लगाने की योजना लागू है।

(ग) मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शित करने की योजना सभी राज्यों में लागू है।

(घ) आम चुनावों के बाद तमिलनाडू में उक्त आदेश का आम उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है। उल्लघन के अलग अलग मामलों में कानून के अनुसार पिछले महीनों की तरह मार्च, 1977 में भी कार्रवाई की गई।

Expenditure on tours performed by Shri Sanjay Gandhi

68. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the State-wise expenditure incurred on the arrangements made for the tours and the meetings of Sanjay Gandhi from July, 1975 to January, 1977 and by whom this expenditure was borne;

(b) under what authority and with whose permission he made use of the official aeroplanes and with whose permission he performed stone laying and inauguration ceremonies of the Government organisations; and

(c) whether Government propose to conduct an inquiry into the anti-national activities committed by him during Emergency, if so, by what time ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHRI CHARAN SINGH) : (a) & (b) The information is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations.

(c) The question of enquiring into excesses, misdeeds and malpractices committed during the emergency has already been raised in the House in a Private Members Resolution tabled by Shri Jyotirmoy Bosu. The Government are examining the matter and a statement on the issue will be made in the current Session of the House.

चित्तूर जिले में उद्योग

69. **श्री पी० राजगोपालन नायडू :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कोई भारी उद्योग आरम्भ कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में किसी भी भारी उद्योग के स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में डेलीगेटों का चुनाव

70. **श्री शिव सम्पत :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के उप-नियमों में यह व्यवस्था है कि निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक 500 सदस्यों या उसके भाग के लिए एक डेलीगेट के अनुपात से सदस्यों द्वारा डेलीगेट चुने जाते हैं;

(ख) क्या समिति के निदेशक मंडल ने वर्ष 1977 के दौरान डेलीगेटों के चुनाव के लिए निर्णय किया है कि यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में समिति के सदस्यों की संख्या 750 या अधिक हो तभी दो डेलीगेट चुने जाने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या विशेष कारण हैं और क्या इस बीच उपनियमों में इस प्रकार का संशोधन करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) बोर्ड को सलाह दी गई थी कि चूंकि उपनियमों में कोई संशोधन अन्तग्रस्त नहीं है इसलिए इस विशेष प्रश्न को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता। निर्णय, डेलीगेटों की संख्या को उचित सीमाओं में रखे जाने के व्यावहारिक विचार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

रामन पन बिजली परियोजना

71. **श्री के० बी० छेत्री :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रामन पन-बिजली परियोजना पर स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। रमन जल-विद्युत् परियोजना की स्वीकृति के लिए अनुमोदन देने पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) और (ग) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

Grant of Indian Citizenship to migrants to Kutch

72. SHRI ANANTRAY DEVSHANKAR DAVE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the reasons for not granting Indian citizenship to people of Sodha community who had migrated to Kutch after the Indo-Pak war; and

(b) whether they had requested Government in this regard several times and if so, the action proposed to be taken by Government thereon ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHRI CHARAN SINGH) : (a) & (b) Some representations had been received from persons belonging to Sodha community requesting for grant of Indian citizenship. Having regard to all the aspects it was not deemed

appropriate to grant them this facility. It is hoped that Pakistan Government will take appropriate measures to create the necessary conditions to enable the affected persons to return to their homes in Pakistan in safety and honour.

Deployment of CRP in Bihar

73. SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether CRP was deployed in Bihar in considerable strength; and

(b) if so, the strength and utility thereof ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) & (b) Prior to the declaration of holding of the recent elections to Lok Sabha, four bns. of CRP had been made available to the Government of Bihar at their request to assist them in the maintenance of Law and order. For the maintenance of law and order during elections, at the request of the State Government, additional 2½ battalions of CRP were made available to them. These additional bns. have since been withdrawn and at present four CRP bns. are left with the State Government.

Allocation for Development of Bihar in Fifth Plan

74. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Central Government have made allocations in the Fifth Five Year Plan for planned development of Bihar;

(b) if so the amount thereof; and

(c) the time by which Government propose to give assistance keeping in view the population and backwardness of the State ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c) The size of the Plan of all the States was finalised at the meeting of the National Development Council which met in New Delhi on September 24-25, 1976 in connection with the finalisation of the Fifth Five Year Plan. The outlay for Bihar for the entire five-year period amounts to Rs. 1,269.06 crores. The allocation of Central assistance to the States is in accordance with the formula accepted by all the States and takes into account not only population, backwardness expressed in terms of per capita income but also efforts at resource mobilisation of States concerned as well as special problems.

Workers arrested in Madhya Pradesh during Emergency

75. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the categories of Workers for the arrest of whom orders were issued by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh or their officials at the time emergency was proclaimed on 25/26th June 1975; and

(b) whether the said order or other orders relating to arrest are still available ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) No orders were issued to the Government of Madhya Pradesh specifying the categories of Government officials to be arrested, at the time of proclamation of emergency in June, 1975.

(b) Does not arise.

आपात् स्थिति के दौरान जेलों में राजनीतिक बंदियों पर किये गये अत्याचारों की जांच

76. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 26 जून, 1975 से आरम्भ हुई आपात स्थिति के दौरान विभिन्न जेलों में राजनीतिक बंदियों पर किए गए अत्याचारों की जांच कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके निर्देश पद क्या हैं ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार को इस प्रकार की आम शिकायतों की जानकारी है । यदि विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं, तो क्या उनकी जांच की जानी चाहिए और किसी खास मामले के बारे किस ढंग से जांच की जानी चाहिए, इसके बारे में मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जायगा ।

Political detenus under Section 16-A of M.I.S.A.

77. SHRI UGRASEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to various political parties detained by the State Governments under Section 16-A of the Maintenance of Internal Security Act during the period ending 31st January, 1977 since the declaration of the State of Emergency on 26th June, 1975;

(b) the number of persons still in jails; and

(c) the number of political detenus who died in jails during the period between 1975-76 and 31st January, 1977 along with the names of prominent persons among them ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) As on 29th January 1977, 2861 persons belonging to various political parties, and in whose cases Section 16-A of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 was invoked, were in detention. State-wise break-up is given in the attached statement.

The information regarding the number of persons belonging to the various political parties detained under Section 16-A of the Maintenance of Internal Security Act, 1971, during the period 26th June, 1975 to 31st January, 1977 is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

(b) With the revocation of emergency proclaimed on 25th June, 1975, Section 16-A of the Maintenance of Internal Security Act, 1971, has lapsed. All persons detained under this Section of the Act have been released from detention.

(c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the table of the House.

Statement

Statement showing State-wise break-up of persons belonging to various political parties in detention under Section 16-A of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 as on 29-1-1977.

Sl. No.	*Name of State/Union Territory*	*Number of political detenus*
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	19
2.	Assam	13
3.	Bihar	230
4.	Gujarat	17
5.	Haryana	45
6.	Himachal Pradesh	—
7.	Jammu & Kashmir	15
8.	Karnataka	20
9.	Kerala	34
10.	Madhya Pradesh	846
11.	Maharashtra	697
12.	Manipur	—
13.	Meghalaya	1

1	2	3
14.	Nagaland	1
15.	Orissa	37
16.	Punjab	22
17.	Rajasthan	3
18.	Sikkim	—
18.	Tamil Nadu	61
20.	Tripura	18
21.	Uttar Pradesh	681
22.	West Bengal	31
23.	Arunachal Pradesh	—
24.	Andaman & Nicobar Islands	2
25.	Chandigarh	1
26.	Dadra & Nagar Haveli	—
27.	Delhi	44
28.	Goa Daman & Diu	9
29.	Lakshadweep	—
30.	Mizoram	12
31.	Pondicherry	—
32.	Central Government	2
	Total ..	2861

Subsistence Allowance of Families of Political Persons Detained Under MISA

78 SHRI CHHABIRAM ARGAL
SHRI BASHIR AHMAD
SHRI UGRASEN } : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the States where subsistence allowance was paid to the families of persons belonging to political parties detained under MISA and also the names of those States where no such allowance was paid;

(b) the number of persons to whom this allowance was paid alongwith the amount of monthly allowance paid and the total expenditure incurred by the States on the payment of subsistence allowance; and

(c) the names of States in which the request for this allowance was turned down ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

केरल के विचाराधीन आवेदन

79. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस लेने हेतु केरल के कुल कितने आवेदन मंत्रालय के विचाराधीन हैं; और

(ख) उन आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) तथा (ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिए केरल से 31-3-77 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कुल 14 आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेते समय अवस्थापना संबंधी सुविधाएं, कच्चे माल, जानकारी की उपलब्धता की मांग, अधि-

ष्ठापित क्षमता आदि अनेक बातों पर विचार किया जाता है । विचाराधीन आवेदन-पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग

80. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य-मंत्री श्री जे० वी० पटनायक ने जनवरी, 1976 से 15 मार्च, 1977 के दौरान वायु सेना के विमानों का कितनी बार उपयोग किया; और

(ख) उनकी यात्राओं के क्या प्रयोजन थे और उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) श्री जानकी बल्लभ पटनायक, भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री, को मांग-पत्र पर भारतीय वायु सेना अति विशिष्ट व्यक्ति विमान (आई० ए० एफ० वी० आई० पी०) में 64 सार्टी दी गईं ।

(ख) श्री जानकी बल्लभ पटनायक द्वारा जिन स्थानों की यात्रा की गई वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-102/77**] । यात्राओं के सही प्रयोजन का पता नहीं है । तथापि भूतपूर्व मंत्री के सचिवालय द्वारा दिये गए यात्री पत्रों (पैस्निजर मैनिफेस्टों) में सभी यात्राओं को सरकारी प्रमाणित किया गया है ।

विदर्भ क्षेत्र में एक प्रसारण केन्द्र की स्थापना

81. **श्री बसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान विदर्भ क्षेत्र में एक प्रसारण केन्द्र की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र पहले ही राज्य में स्थित आकाशवाणी के वर्तमान केन्द्रों की प्राथमिक सेवा क्षेत्र के भीतर आता है । इस क्षेत्र में कोई नया केन्द्र स्थापित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रुग्ण लघु औद्योगिक एकक

82. **श्री बबन्त साठे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या रुग्ण एककों का प्रश्न बहुत गम्भीर हो गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की गणना से ज्ञात हुआ है कि 1972 में 12151 रुग्ण एकक थे । उन एककों की राज्यवार संख्या अनुबंध में दी गई है । इसके पश्चात् लघु एककों की कोई और गणना नहीं की गई है ।

(ग) रुग्ण एककों के प्रकरणों का विश्लेषण करने तथा इन एककों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की समन्वय समितियां हैं । लघु उद्योग सेवा संस्थानों के निदेशक इन समितियों के सदस्य सचिव हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	लघु उद्योगों की गणना के अनुसार 1972 में रुग्ण एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	726
2.	आसाम	269
3.	बिहार	512
4.	गुजरात	1116
5.	हरियाणा	737
6.	हिमाचल प्रदेश	250
7.	जम्मू और कश्मीर	142
8.	केरल	424
9.	कर्नाटक	298
10.	मध्य प्रदेश	572
11.	महाराष्ट्र	968
12.	मणिपुर	23
13.	मेघालय	16
14.	नागालैण्ड	4
15.	उड़ीसा	162
16.	पंजाब	686
17.	राजस्थान	620
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	1332
20.	त्रिपुरा	41
21.	उत्तर प्रदेश	465
22.	पश्चिम बंगाल	2401

क्रम सं०	संघ शासित प्रदेश का नाम	लघु उद्योगों की गणना के अनुसार 1972 में रुग्ण एककों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	चंडीगढ़	32
4.	दादरा व नागर हवेली	8
5.	देहली	187
6.	गोआ, दमन और द्वीप	94
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	—
9.	पांडचेरी	66
		12151

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

83. **श्री शिव्वन लाल सक्सेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन योजना के आरम्भ से लेकर अब तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों ने (एक) पेंशन और (दो) अन्य प्रकार की सहायता के लिए आवेदन दिए थे और राज्यवार कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन मंजूर किए गए, कितनों के नामंजूर किए गए और कितनों के राज्य-वार विचाराधीन हैं और उनके क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त योजना के आरम्भ से अब तक प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) (i) वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक के लिए प्राप्त, स्वीकृत तथा नामंजूर किए गए आवेदन पत्रों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण I से V तक के अनुलग्नक [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-103/77] में दिया गया है। 31-3-77 को, निम्नलिखित राज्यों के 607 मामले निपटान के लिए लम्बित थे:—

1. आंध्र प्रदेश . .	6
2. बिहार . .	567
3. केरल . .	34
जोड़	607

ये आवेदन पत्र अभी हाल ही प्राप्त हुए हैं तथा उनकी जांच की जा रही है। 40184 आवेदन पत्र पर्याप्त सबूत की कमी के कारण फाइल कर दिए गए हैं।

(क) (ii) जहां तक अन्य सहायता का संबंध है वह पात्र मामलों में गृह मंत्री के स्वेच्छानुदान से से दी जा रही है। इस अनुदान से जिन सेनानियों को सहायता दी गई है उनकी राज्यवार वर्ष वार संख्या अनुलग्नक- IV [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० -103/77] में दी गई है।

(ख) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के शुरू होने के बाद उस पर किया गया व्यय इस प्रकार है:—

	वर्ष	वास्तविक व्यय, रुपये करोड़ों में
1.	1972-73	0.63
2.	1973-74	16.32
3.	1974-75	22.96
4.	1975-76 . . .	24.11
5.	1976-77	25.00 (पूर्वानुमानित)

सिविल और दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन

84. **श्री बशीर अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में हाल में किए गए संशोधनों का निरसन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत रक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों का वापस लिया जाना

85. श्री बशीर अहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत रक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों के ब्यौरे केन्द्र को तत्काल भेजने के बारे में राज्य सरकारों को निदेश देने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आपात स्थिति के दौरान शुरू किए गए ऐसे सभी मामले वापस लेने के बारे में आदेश जारी करने का है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने उन मामलों के ब्यौरे नहीं मांगे हैं जिन में भा० र० आ० सु० नि० के अधीन कार्रवाई की गई है बल्कि राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों को यह अनुरोध करते हुए निदेश जारी किए गए हैं कि आर्थिक अपराधों तथा हिंसक कार्यों के मामलों को छोड़कर सभी मामले वापस लेने के विचार से ऐसे सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाए। ये अनुदेश उन अभियुक्तों पर भी लागू होते हैं जिन्होंने न्यायालयों द्वारा दी गई सजाएं नहीं काटी हैं तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आर्थिक अपराधियों तथा हिंसक कार्यों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को छोड़कर आपात स्थिति के दौरान भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन अपराधों के उन सभी अपराधियों की सजा जो काटी नहीं गई है, को माफ करने के लिए सलाह दी गई है।

Production and Demand of Energy

86. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state;

(a) the extent to which production and demand of energy increased during the last two years: and

(b) the extent to which the production fell short of the demand ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b). The net demand of electrical energy and production at the generating station bus bars and corresponding shortfall during the last three years are given below. Percentage increase in demand and production from 1974-75 to 1975-76 and from 1975-76 to 1976-77 are also given :

(All figures in million units)

	Demand	Percentage increase in demand	Production	Percentage increase in production	Shortfall
1974-75	80255	4·05	65546	13·8	14709
1975-76	83508		74609		8899
1976-77	88482	5·09	83266	9·61	5216

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की अदायगी

87. श्री अण्णा साहेब गोटखिण्डे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता सेनानियों को पेन्शन की अदायगी पर सरकार द्वारा कितना मासिक तथा वार्षिक खर्च किया जा रहा है; और

(ख) ऐसे जाली पेन्शनरों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके बारे में अब तक सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के भुगतान के बारे में वार्षिक व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	वास्तविक व्यय
	(रुपये करोड़ों में)
1972–73	0.63
1973-74	16.32
1974-75	22.96
1975-76	24.11
1976-77	25.00 (पूर्वानुमानित)

वर्ष 1976-77 के दौरान औसत मासिक व्यय लगभग 2.01 करोड़ रुपये है।

(ख) अलग-अलग स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने गलत और झूठी सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करके पेंशन लेने का प्रबन्ध किया है अथवा प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों की जांच उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार की जाती है तथा संदेह के मामलों में सत्यापन तथा शीघ्र उत्तर के लिए संबंधित राज्य सरकार को लिखा जाता है। ऐसे मामलों में, जहां पक्का अनुमान है कि स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन लेने का हकदार नहीं है, अगली जांच पड़ताल होने तक पेंशन स्थगित करने के लिए कार्रवाई तत्काल की जाती है। जांच के पूरी होने पर, यदि पेंशन गलत तरीके से प्राप्त की गई पायी जाती है तो इसे रद्द कर दिया जाता है और उसको वसूल करने के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जहां यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने पेंशन लेने के लिए जालसाजी के तरीके अपनाए हैं, राज्य सरकारों से संबंधित व्यक्ति पर अभियोग चलाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए कहा जाता है।

प्राप्त शिकायतें, मामले जिनमें पेंशन स्थागित की गई, उन मामलों की संख्या जिनमें पेंशन रोकी अथवा फिर से चालू की गई और निपटान के लिए लम्बित मामलों की राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-104/77]

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यवस्था

88. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकार का विचार लोकप्रिय व्यवस्था प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार को मामले में अभी निर्णय लेना है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उद्योग

89. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उद्योग की स्थापना हेतु उद्यमकर्त्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र घाषित किए गए हैं तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता,

आयकर में छूट निशुल्क तकनीकी परामर्श सेवाएं, अचल पूंजी निवेश के लिए राजसहायता, परिवहन संबंधी राजसहायता आदि जैसे विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध हैं । इन उद्यमियों को, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभ भी उपलब्ध हैं ।

राजनैतिक बन्दियों को राजक्षमा

90. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी राज्यों में नजरबन्द तथा सजा प्राप्त राजनैतिक बन्दियों को राजक्षमा की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सभी गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिए जायेंगे तथा सभी राजनैतिक दलों के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध चलाए गए मामले भी वापस ले लिए जाएंगे, और

(ग) क्या सभी महिला राजनैतिक बन्दियों की सजा माफ कर दी जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (ग) : 25 जून, 1975 को उद्घोषित आपात स्थिति के 21 मार्च, 1977 को रद्द किए जाने के बाद आपात स्थिति के उद्देश्य के लिए आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 की धारा 16-क के अन्तर्गत नजरबन्द सभी व्यक्ति रिहा कर दिए गए हैं । 25 मार्च, 1977 को सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों को भारत रक्षा व आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन के विरुद्ध कार्रवाई की गई, के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए भी निदेश जारी किए गए हैं । राज्य सरकारों को आर्थिक अपराधियों तथा हिंसक कार्यों में दोषी पाये गए व्यक्तियों के मामलों को छोड़कर न्यायालयों में विचारण के लिए लम्बित मामलों अथवा जांच पड़ताल के लिए लम्बित मामलों को वापस लेने तथा जिनके मामलों में पहले सजा दी जा चुकी है किन्तु सजा काटी नहीं गई है को माफ करने की सलाह दी गई है ।

आपात स्थिति के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों के लिये जांच आयोग की स्थापना

91. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपात स्थिति के दौरान परिवार नियोजन के नाम पर अधिकारियों द्वारा किए गए कुकृत्यों और ज्यादतियों की जांच के लिए एक जांच आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) और (ख) : जांच आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन किसी से यदि कोई खास शिकायत मिलती है तो इसकी जांच की जाएगी और जहां कहीं भी शिकायत सही पाई गई उस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

भारतीय भाषाओं के छोटे समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के साथ अनुग्रहपूर्ण व्यवहार

92. श्री बसन्त साठे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय का भारतीय भाषाओं के छोटे समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के साथ अनुग्रहपूर्ण व्यवहार करने हेतु प्रयोग करने के संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : समाचारपत्रों को विज्ञापन प्रचार की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं न कि वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में । परन्तु, इन सीमाओं में रहते हुए, छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों विशेषकर उन समाचारपत्रों जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, का सरकारी विज्ञापनों के लिए उपयोग वर्जित मात्रा में किया जायेगा । इसलिए इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा रहा है ।

तारापुर परमाणु बिजली घर के लिये अमरीका द्वारा यूरेनियम ईंधन की सप्लाई

93. श्री बसन्त साठे : क्या परमाणु उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए यूरेनियम ईंधन की सप्लाई के समझौते का नवीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) से (ग) : तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के बारे में अमरीका के साथ हुए करार की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, और इसलिए उस करार के नवीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता।

फसल काटने की मशीनों का निर्माण

94. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फसल काटने की मशीनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) देश में अभी फसल काटने वाली स्वचालित मशीनों का निर्माण नहीं किया जा रहा है । खींचकर चलाई जाने वाली (पुल टाइप) फसल काटने की मशीनें पहले देश में बनाई जाती थीं किन्तु इस प्रकार को फसल काटने वाली मशीन की मांग न होने के कारण 1974 से इनका उत्पादन बन्द कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) फसल काटने वाली स्वचालित मशीनों को देश में बनाए जाने के लिए योजना सहित आयात करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उद्योगों का बन्द हो जाना

95. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नवाब सिंह चौहान :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
} क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1975 में आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् बन्द हुए (एक) बड़े (दो) मध्य स्तर के और (तीन) छोटे उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है :

(ख) आज तक कितने संस्थान फिर से चालू हो चुके हैं ;

(ग) सभी संस्थानों को फिर से चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : : (क) से (घ) : जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तार किये गये राजनैतिक व्यक्ति

96. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
डा० बसन्त कुमार पंडित :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री युवराज :
} क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1975 में आन्तरिक आपात स्थिति की उद्घोषणा के बाद भारत रक्षा नियमों और "आसुंका" (मीसा) के अधीन राजनीतिक दलों से संबंधित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया (यदि सुगमता से पता चल सके तो उन्हें किस-किस धारा एवं उप-धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया);

(ख) तब से कितने व्यक्ति रिहा किए जा चुके हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी रिहा किया जाना है; और

(घ) ये व्यक्ति किन कानूनों की किन धाराओं के अधीन अभी तक जेल में हैं।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (घ) : मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आपात स्थिति के दौरान "आंसुका" भारत रक्षा नियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 107 और 109 का दुरुपयोग

97. श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री लक्ष्मी नारायण नायक
श्री छविराम अगंल } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जून, 1975 से फरवरी, 1977 की अवधि के दौरान "आंसुका", भारत रक्षा नियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 107 और 109 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन आरोपों की पूरी जांच कराने का है; और

(घ) क्या सरकार गिरफ्तारियों तथा नजरबन्दियों का राज्यवार ब्यौरा देगी ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार इस तथ्य की सामान्य शिकायतों से अवगत है। क्या जांच करायी जानी चाहिए तथा जांच किस प्रकार से करायी जानी चाहिए, इस निर्णय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) इस प्रश्न के संबंध में एक विवरण 5-4-77 को सभा पटल पर रख दिया गया है।

आपात स्थिति लागू किये जाने के कारण

98. श्री समर गुह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सूरज भान :
श्री वशीर अहमद : } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपात स्थिति लागू किए जाने के कथित कारणों की जांच करने के लिए कोई राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया जायेगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

आपात स्थिति के दौरान सेंसर शिप आदेश के अन्तर्गत दण्डित समाचारपत्रों के नाम

99. श्री समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान सेंसरशिप आदेशों के अन्तर्गत दण्डित दैनिक पत्रों तथा पत्रिकाओं सहित समाचार पत्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) आपातकालीन स्थिति के दौरान दैनिक पत्र तथा पत्रिकाओं सहित जिन समाचारपत्रों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया था उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या इन मामलों की जांच करने तथा प्रेस की स्वतन्त्रता को बहाल करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक आयोग की स्थापना की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) : एक विवरण [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-105/77] सदन की मेज पर रख दिया गया है । इस विवरण में उन समाचार-पत्रों के नाम शामिल नहीं हैं जो सैंसरशिप आदेशों तथा मध्य प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम से भिन्न कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत दंडित किए गए हैं ।

आपात स्थिति तथा 20+5 सूत्री कार्यक्रम का औचित्य ठहराने के लिये किताबों आदि का प्रकाशन

100. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपात स्थिति और 20+5 सूत्री कार्यक्रम का औचित्य ठहराने के लिए जिन पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है, उनके नाम तथा संख्या क्या है ;

(ख) उनके प्रकाशन पर कितना व्यय किया गया है ।

(ग) आपात स्थिति पर सरकार के दृष्टिकोण के समर्थन में अथवा उसका औचित्य ठहराने के लिए अथवा उसका प्रचार करने के लिए प्रेस, समाचारपत्रों तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं को कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए; और

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपातस्थिति के उपायों का औचित्य ठहराने तथा उनके प्रचार के संबंध में कुल कितना धन व्यय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (क) आपात स्थिति और पिछली कांग्रेस सरकार के 20+5 सूत्री कार्यक्रम का औचित्य ठहराने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुल मिला कर 216 पुस्तकें/पुस्तिकायें प्रकाशित की। उनके नाम एवं संख्या दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। संख्या एल० जटी० 106/77]

(ख) लगभग 1,64,39,850/- रुपये ।

(ग) लगभग 1,18,00,000/- रुपए ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आपात स्थिति के दौरान की गई गिरफ्तारियां

101. श्री वी० सी० काम्बले :
श्री हुकमनारायण देव यादव } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने स्त्री और पुरुष गिरफ्तार किए गए ;

(ख) ऐसे गिरफ्तार व्यक्तियों की पार्टीवार, ग्रुप-वार और संगठनवार संख्या कितनी है, और क्या सभी व्यक्तियों को अब तक रिहा किया जा चुका है ;

(ग) क्या इन गिरफ्तार व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों की जेल में या जेल से रिहाई के बाद मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के क्या-क्या मुख्य कारण हैं ; और

(घ) क्या गिरफ्तार किए गए और अपनी मृत्यु से पूर्व बीमार पड़ने वाल व्यक्तियों के तत्कालीन सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) 25-6-1975 से 19-3-77 तक की अवधि के दौरान आंसुका के अधीन 34,630 व्यक्ति नज़रबन्द किए गए थे ।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश के गांवों में पीने का पानी

102. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को उन गांवों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कोई राशि आवंटित की गई है जहां हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदाय के व्यक्ति रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई और उक्त अवधि के दौरान कितने गांव तथा क्षेत्र इससे लाभान्वित हुए ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदाय के व्यक्ति जिन गांवों में रहते हैं, उनमें पीने के पानी की सप्लाई के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। परन्तु ग्रामीण जल सप्लाई के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए क्रमश: 400 लाख रुपए और 350 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। आशा की जाती है कि जिन क्षेत्रों में हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, उनको मिलाकर राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र इस कार्यक्रम के अधीन आ जायेंगे।

बांकुरा और पुरुलिया जिलों का विकास

103. **डा० विजय कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बांकुरा और पुरुलिया जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं; और

(ख) सरकार ने इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और मध्यम दर्जे के तथा भारी उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के रूप में चयन कर लिया गया है जिससे वे वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त पाने के पात्र हो जाते हैं।

(ii) पुरुलिया जिले के केन्द्र की विनियोजना राजसहायता योजना के लिए पात्र के रूप में चयन कर लिया गया है।

(iii) इन दोनों ही जिलों का औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा उन उद्योगों का पता लगा लिया गया है जिनमें उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश है। पुरुलिया में उद्यमकर्त्ताओं को प्रेरणा देने तथा मौके पर उन्हें परामर्श देने हेतु औद्योगिक विकास अभियान आयोजित किए गए हैं तथा बांकुरा में औद्योगिक विकास अभियान पूर्व सर्वेक्षण कर लिए गए हैं।

(iv) अनेक अन्य प्रोत्साहन जैसे; रियायती शर्तों पर मशीनरी का संभरण आदि पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध हैं।

(v) इन जिलों के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) गहन सहायता प्रदान करता है। एक अधिकारी को अलग से यह जिले सौंप दिए गए हैं। वह इन जिलों का दौरा करता है, उद्यमकर्त्ताओं को प्रेरित करता है और उद्योगों का विकास करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(vi) लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता पहुंचाने के लिए (विशेषकर बढ़ईगीरी तथा लुहारी का विकास करने हेतु) एक विस्तार केन्द्र बांकुरा में कार्यरत है।

(vii) पुरुलिया जिले में स्थापित किए जाने के लिए सीमेंट तथा हाई एलाय स्टील के उत्पादन की परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

(viii) पुरुलिया में एक नए विकास केन्द्र का विकास भी किया जा रहा है।

(ix) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इन जिलों में 56 केन्द्रों को सहायता दी है । इनमें से 29 केन्द्रों में काम हो रहा है। इनमें 47.52 लाख रुपए का निवेश हुआ । 1975-76 में 33.59 लाख रुपए का उत्पादन हुआ और लगभग 3000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया ।

(x) 1974 में पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए 4 आशयपत्र तथा 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे । 1975 में 6 आशय पत्र जारी किए गए थे । तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दो योजनाएं पंजीयत की गई हैं ।

(xi) ये जिले केन्द्रीय ग्रामोद्योग परियोजना तथा ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आ जाते हैं ।

इसके अलावा राज्य सरकार भी संवर्धक अभिकरणों को प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है ।

राज्यों में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

104. श्री सुशील कुमार धारा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा ऐसे ही अन्य बलों को तैनात किए जाने के बारे में कोई नया निर्णय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : सम्भवत: प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 257-क के उपबन्धों के संदर्भ में है। यदि ऐसा है तो इस मामले का संविधान के बयालिसवें संशोधन के अन्य उपबन्धों के साथ यथासमय पुनरीक्षण किया जायगा ।

Employees of Bokaro Steel Plant Detained under DIR and MISA

105. SHRI G. P. YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of employees of the Bokaro Steel Plant in Bihar State detained under MISA and DIR during emergency ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHRI CHARAN SINGH) : According to the information received from the Government of Bihar, no employee of Bokaro Steel Plant was detained in the State under the Maintenance of Internal Security Act, 1971, during the emergency.

19 employees of the Plant were arrested under the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, during the emergency. The State Government have already issued orders for withdrawal of cases instituted against these employees.

राज्यपालो की नियुक्ति

106. श्रीमती चन्द्रावती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यपालों की नियुक्तियों संबंधी नियम क्या हैं और वे कितनी अवधि के लिए पद पर रहते हैं ;

(ख) हरियाणा के राज्यपाल, स्वर्गीय श्री बी० एन० चक्रवर्ती का कार्यकाल कब समाप्त हुआ और कार्यकाल के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी वह किन नियमों के अन्तर्गत अपने पद पर आसीन रहे; और

(ग) यदि वे कार्यकाल के समाप्त होने के उपरान्त भी अपने पद पर आसीन रहे तो क्या उन पर हुआ व्यय उनके उत्तराधिकारियों से वसूल करने का विचार है ।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) संविधान के उपबन्धों के अधीन, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 155)। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है । राज्यपाल के पद की अवधि उसके पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक है, परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किए रहेगा (अनुच्छेद 156)। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त

होने का पात्र नहीं होता जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो (अनुच्छेद 157)।

(ख) तथा (ग) राज्यपाल के रूप में स्व० श्री बी० एन० चक्रवर्ती के पद की सामान्य अवधि 14-9-1972 को समाप्त हो गई थी। परन्तु अपने उत्तराधिकारी के नियुक्त होने तक अनुच्छेद 156 (3) के उपबन्ध के अनुसार वे अपने पद की अवधि समाप्ति के बाद भी पद धारण किए रहे। अतः उनकी पदावधि समाप्त होने के बाद राज्यपाल के रूप में उन पर हुए खर्च को उनके उत्तराधिकारियों से वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

Akashvani and Doordarshan as Autonomous Corporations

107. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether in the event of formation of an autonomous organisation, past as well as present service conditions of the employees working in AIR and Television departments would be taken into consideration and whether the irregularities committed earlier would be removed; and

(b) if so, the policy and procedure in this regard and whether any steps would be taken for giving justice to the artistes also?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) : The question of conversion of Akashvani and Doordarshan as Autonomous Corporations is, at present, under consideration. It is premature at this stage to formulate views with regard to other matters.

Alleged Irregularities by Police and Officers During Emergency Period

108. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any judicial enquiry is proposed to be conducted into the irregularities committed and the powers misused by the police department and the officers responsible for maintaining law and order during the last 20 months *i.e.*, during the emergency period; and

(b) whether the victims of these irregularities will be paid compensation and the guilty punished ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) & (b) The demand to conduct an enquiry into the excesses committed during the emergency is already under consideration of the Government.

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष योजना

109. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कितने क्षेत्र चुने गए ;

(ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उक्त क्षेत्रों के विकास के लिए 1975-76 और 1976-77 वर्षों में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) उक्त आवंटित धनराशि में से 1975-76 और 1976-77 के वर्षों में कितनी धनराशि का वास्तविक उपयोग किया गया ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विशेष पिछड़े क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की स्कीम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों से संबंधित है, जहां रियायती वित्त और निवेश सहायता की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके संबंध में सूचना संलग्न विवरण की क्रम संख्या (1), (2) और (3) में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए)

केन्द्रीय स्कीम	मध्य प्रदेश					महाराष्ट्र				
	क्षेत्रों की संख्या	परिव्यय		व्यय		क्षेत्रों की संख्या	परिव्यय		व्यय	
		1975-76	1976-77	1975-76	1976-77		1975-76	1976-77	1975-76	1976-77
(1) जन-जातीय उप-योजना	3 संपूर्ण जिले और 18 अन्य जिलों के भाग	500.00	1011.00	उ० न०	1273.89*	10 जिलों के भाग	104.00	231.00		उ०न०
(2) जनजातीय विकास अभि-करण	2 जिले	69.99	91.00	91.19	33.22	—	—	—	—	—
(3) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	6 जिल	215.00	250.00	348.11**	198.77**	6 जिले	176.00	255.00	255.36**	198.15**
(4) रियायती वित्त	36 जिल	£				13 जिले	£			
(5) निवेश सहायता दी गई धनराशि	6 जिले					3 जिले				

*प्रत्याशित। @दिसंबर, 1976 तक। **इसमें राज्य का अंशदान भी शामिल है।

£राज्यों को चुने हुए जिलों/क्षेत्रों के लिए धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। अखिल भारतीय सावधिक ऋण देनेवाले वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यमियों को इस दृष्टि से चुने गए औद्योगिक दृष्टि से जिलों में उद्योग स्थापित करने/वर्तमान इकाइयों में पर्याप्त विस्तार करने के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से, इस प्रयोजन के लिए चुने गए क्षेत्रों/जिलों में उद्योगों को निवेश सहायता की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जाती है।

आपात कालीन स्थिति के दौरान पुलिस गोलाबारी

110. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् कालीन स्थिति के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी का क्या ब्यौरा है; और

(ख) आपात्कालीन अवधि के दौरान हताहतों की संख्या कितनी थी ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Persons Killed due to Firing by C.R.P. and B.S.F. during Emergency

111 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state .

(a) the place-wise break-up of persons killed during the last internal emergency as a result of firing resorted to by the C.R.P. and B.S.F.;

(b) the number of times these forces had to be sent to various States indicating the dates in which and places where they were sent; and

(c) whether these forces were sent on the request of State Governments ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURY CHARAN SINGH) : (a) A statement (Annexure-I) [Placed in Library See No. L.T.107/77] showing place-wise break-up of persons killed as a result of firing by the C.R.P. during the last internal emergency is attached. B.S.F. did not resort to firing while deployed for internal security duties.

(b) Two statements (Annexure-II & III) [Placed in Library See No. L.T.107/77] indicating number of Coys. of B.S.F./C.R.P. deputed to different States for internal security duties during the last internal emergency are attached.

(c) Yes, Sir.

Employees of Bhilai Steel Plant Arrested under MISA

112. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of the employees of Bhilai Steel Plant arrested under MISA during the emergency;

(b) whether financial assistance was provided to the families of the MISA detenus and if so, the amount provided; and

(c) whether these MISA detenus were allowed the facility of parole and if so, the number of employees who availed of this facility ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

आपातकालीन स्थिति के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियां

113. **श्री एस० कुंदू :**

श्री निर्मल चन्द जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरी आपातकालीन स्थिति की अवधि के दौरान निरपराध नागरिकों पर किए गए अधिकारियों की ज्यादतियों के कृताकृत कार्यों, पुलिस के जुल्म आदि के बारे में जाँच करने और इन कार्यों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या इन दोषी व्यक्तियों पर दीवानी और सिविल मुकदमा चलाने तथा विभागीय कार्यवाही करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस तरह की व्यापक शिकायतों की जानकारी है। जब कभी विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाएंगे तो हर मामले के गुणदोषों के आधार पर, इस प्रकार की शिकायतों में जांच करने के बारे में निर्णय किया जाएगा। इस प्रकार की जांच-पड़तालों के परिणामों पर निर्भर करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री द्वारा मैक्सिको में दिया गया वक्तव्य

114. **श्री एस० कुंडू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री ने 1976 में, जब वह मैक्सिको में थे, इस आशय का वक्तव्य दिया था कि भारत में आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत केवल आतंकवादी व्यक्ति ही पकड़े गए थे; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में लोगों को सही बात कहने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) मैक्सिको में हमारे मिशन के अनुसार गृह मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री ने कहा था:—

"वास्तव में बहुत गिरफ्तारियां की गई थी और आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। कुछ समय बाद आतन्कवादियों को छोड़कर अधिकांश राजनैतिक बंदी, छोड़ दिए गए थे।"

(ख) सदन में रखे गए अनेक प्रश्नों के उत्तर में आपात स्थिति के दौरान आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन की गई नजरबन्दियों के तथ्यों के बारे में सूचना प्रस्तुत की जाएगी। सार्वजनिक सूचना के लिए ये तथ्य प्रेस द्वारा भारत में तथा विदेशों में प्रकाशित किए जाएंगे।

श्री जयप्रकाश नारायण के लिये "डायलाइसिस' की व्यवस्था

115. **श्री समर गुहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक नायक जयप्रकाश नारायण की उचित चिकित्सा के लिए जहां कहीं आवश्यक हो उन सभी स्थानों पर अतिरिक्त डायलाइसिस की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक उपाय करेगी; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) इस समय जयप्रकाश नारायण जसलोक अस्पताल, बम्बई में दाखिल हैं और अपनी पसन्द का इलाज करा रहे हैं। उनको बम्बई और पटना में डायलाइसिस लगाया जा रहा है। यदि किसी अन्य स्थान पर कोई सुविधा देनी आवश्यक समझी गई तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर विचार करेगा।

पश्चिम बंगाल को लाइसेंस दिया जाना

116. **श्री सौगत राय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में पश्चिम बंगाल को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिए गए; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं 1976 से फरवरी 1977 की अवधि में 55 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) पार्टी का नाम, उत्पादन की जाने वाली वस्तु, क्षमता, परियोजना का स्थापना स्थल आदि सहित औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज़ इम्पोर्ट लाइसेंसेज़ एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज़" "इंडियन ट्रेड जर्नल" तथा "मन्थली लिस्टस आफ लैटरस आफ इन्टेन्टस एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज़" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

कलपक्कम और राणा प्रताप सागर में आण्विक ऊर्जा केन्द्रों का निर्माण पूरा होना

117. **श्री सौगत राय** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपक्कम और राणा प्रताप सागर में आण्विक ऊर्जा केन्द्रों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस निर्माण कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन केन्द्रों के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता की स्थिति संतोषजनक है; और

(घ) भावी ऊर्जा केन्द्रों के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट दिसम्बर, 1973 से व्यावसायिक स्तर पर बिजली का उत्पादन कर रहा है। राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के दूसरे यूनिट की विभिन्न प्रणालियों का संचालन-पूर्व परीक्षण किया जा रहा है। जहां तक कलपक्कम में बनाए जा रहे मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट का सवाल है, प्रमुख न्यूक्लीर उपकरणों तथा टर्बो-जनित्र को लगाने के काम में काफी प्रगति हो चुकी है। दूसरे यूनिट से सम्बन्धित सिविल निर्माण-कार्य का ज्यादातर भाग पूरा हो चुका है तथा उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) नाभिकीय तथा पारम्परिक किस्म के मुख्य उपकरणों का निर्माण देश में ही करने में हुए विलम्ब, निर्माण-कार्य के लिए आवश्यक सामग्री के कई बार उपलब्ध न होने तथा कुछ देशों द्वारा माल की सप्लाई पर लगाई गई रोक से प्रभावित विशेषीकृत उपकरणों को वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त करने में सामने आई कठिनाइयों के परिणामस्वरूप इस निर्माण-कार्य के पूरा होने में विलम्ब हुआ है ।

(ग) अब हम राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं हैं। मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना की स्थापना किसी भी विदेशी सहायता के बिना की जा रही है।

(घ) सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है ताकि अन्ततोगत्वा अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थोरियम को प्रयोग में लाकर काफी ज्यादा बिजली पैदा की जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तक तमिलनाडु के कलपक्कम नामक स्थान पर एक प्रायोगिक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना करना शामिल है, जिससे प्रथम चरण के रूप में, सोडियम द्वारा शीतित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के निर्माण एवं संचालन में अनुभव प्राप्त किया जा सके। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के संचालन से पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद हमारा अगला कदम व्यावसायिक स्तर के फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों का निर्माण करना होगा ।

पश्चिम बंगाल नक्सलवादी बन्दी

118. **श्री सौगत राय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में भिन्न-भिन्न आरोपों पर कितने नक्सलवादी बंदी पकड़े गए; और

(ख) नक्सलवादियों के संबंध में सरकार की भावी नीति क्या है।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत विशेष अपराधों के लिए हिरासत में, जैसे विचाराधीन नक्सलियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) हालांकि सरकार उनकी विचारधारा का अनुमोदन नहीं करती और बार-बार यह कहती है कि नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार दृढ़ता से कार्रवाई की जाएगी, सरकार का यह भी विचार है कि ऐसे व्यक्तियों का अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द रहना उन समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता जो उन्होंने उत्पन्न की हैं । इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि नजरबन्द ऐसे सभी नक्सलियों को, उन मामलों को छोड़ कर जहां ऐसी नजरबन्द हाल की हिंसक गतिविधियों में अन्तग्रस्त होने के कारण की गई थी, रिहा कर दिया जाए। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी जा रही है किजिन मामलों में नक्सलवादी अन्तर्ग्रस्त हैं, उनको शीघ्र निपटाया जाए ।

20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित विज्ञापनों/प्रचार को बन्द करना

119. **श्री एस० जी० मुरुगेयन :**
श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर : } क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भूतपूर्व सरकार द्वारा बनाए गए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी प्रकार के विज्ञापन बंद कर दिए हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई और उसका महीनेवार ब्यौरा क्या है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) : सभी माध्यमों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे उस प्रचार नीति का पालन करें जो आपात स्थिति की घोषणा से पहले विद्यमान थी। तथापि, महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का प्रचार किया जाना जारी रहेगा।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

120. **श्री के० ए० राजन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति रोकने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम स्पष्टतः तदर्थ प्रकार का है। इसमें न तो परस्पर प्राथमिकताएं नियत की गई हैं और न ही उनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस कार्यक्रम और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे कितने ही विषय इस कार्यक्रम में नहीं हैं जो स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के अंग हैं। इस प्रकार रह गए विषयों पर सरकार सावधानी से विचार करेगी और उसके बाद, हमारी योजना के आकार-स्वरुप के अंतर्गत और कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषणों में स्पष्ट किए गए सामान्य आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार उन्हें एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम का अंग बनाया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के लिये योजना परिव्यय

121. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : } क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया है ;

(ख) चालू योजना-अवधि के लिए राज्य क्षेत्र (सरकारी क्षेत्र) के लिए कुल कितनी धनराशि का वार्षिक नियतन किया जाना है ; और

(ग) इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की विकास दर कितनी रही ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974-79 के पांचवें अध्याय में योजना परिव्ययों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 24 और 25 सितम्बर, 1976 को हुई बैठक द्वारा अनुमोदित सरकारी क्षेत्र का संशोधित योजना परिव्यय 39,303

करोड़ रुपए है, जिसमें सामग्री-सूचियों के लिए की गई व्यवस्था सम्मिलित नहीं है । इस परिव्यय का वर्षानुसार ब्यौरा और वर्ष-प्रतिवर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत इस प्रकार है :—

वर्ष	वार्षिक योजना परिव्यय	पिछले वर्ष के योजना परिव्यय की तुलना में हुई वृद्धि का प्रतिशत
1974-75	4843.68	10.9
1975-76	5978.09	23.4
1976-77	7851.92	31.3
1977-78	9953.00	26.8

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों हित के लिये सिफारिशों का कार्यान्वयन

122. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के हित के लिए वर्ष 1968 में की गई सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : अनुमान है कि प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली पुलिस आयोग (1966-68) द्वारा की गई सिफारिशों से है ।

आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर विचार किया जा चुका है। तत्सम्बन्धी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०.टी० 10877]**

वर्ष 1977-78 सें अन्तरिक्ष केन्द्रों की स्थापना

123. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1977-78 में सरकार का कितने अन्तरिक्ष केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) वर्तमान केन्द्रों का कार्य निष्पादन किस प्रकार का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, कोई भी नहीं।

(ख) वर्त्तमान अन्तरिक्ष केन्द्रों अर्थात्, त्रिवेन्द्रम में थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट, प्रक्षेपण केन्द्र (थु० भू० रा० प्र० के०), अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र (प्रा० उ० सं० भू० के०), दिल्ली में दिल्ली भू-केन्द्र (दि० भू० के०), तमिलनाडु, कवलूर में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केन्द्र (उ० अ० स० के०), का कार्य-निष्पादन सन्तोषप्रद है ।

आन्तरिक सुरक्षा कानून तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई

124. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों के आन्तरिक सुरक्षा कानून तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) और (ख) : सम्भवतः 25 जून, 1975 को लागू की गई आपात स्थिति के संदर्भ में आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना मांगी गई है। 19 मार्च, 1977 को 10903 व्यक्ति, जिनके मामलों में अधिनियम की धारा 16 क लागू की गई थी, नजरबन्द थे। 21 मार्च 1977 को आपात स्थिति रद्द करने पर ये नजरबन्द व्यक्ति रिहा कर दिए गए थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न किए गए विवरण में दिया है।

भारतीय रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नजरबंदी निरोध के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

रिहा किए गए उन व्यक्तियों की संख्या का, जो आंसुका के अधीन 19-3-1977 को नजरबन्द थे और जिनके मामलों में अधिनियम की धारा 16क के लागू होने से आपात स्थिति के संदर्भ में नजरबन्दी के आदेश दिए गए थे, का विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	256
2	असम	129
3	बिहार	1412
4	गुजरात	266
5	हरियाणा	19
6	हिमालचल प्रदेश	2
7	जम्मू और कश्मीर	221
8	कर्नाटक	110
9	केरल	388
10	मध्य प्रदेश	1390
11	महाराष्ट्र	1414
12	मणिपुर	29
13	मेघालय	22
14	नागालैण्ड	24
15	उड़ीसा	137
16	पंजाब	28
17	राजस्थान	143
18	सिक्किम	4
19	तमिलनाडू	130
20	त्रिपुरा	13
21	उत्तर प्रदेश	4406
22	पश्चिम बंगाल	217
23	चण्डीगढ़	4
24	दिल्ली	74
25	गोवा, दमन और दीव	8
26	मिजोरम	55
27	पांडिचेरी	2
	जोड़	10903

अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के बारे में सूचना "शून्य" है।

औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिये ऊर्जा की खपत

125. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 के दौरान औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कितनी ऊर्जा की खपत हुई ;

(ख) क्या बिजली उपलब्ध न होने के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने ऊर्जा नीति में परिवर्तन करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामचन्द्रन) : (क) 1974-75 और 1975-76 के दौरान औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन में ऊर्जा की खपत नीचे लिखे अनुसार हुई :–

	उद्योग	कृषि
	(मिलियन यूनिट)	
74-75	38278	7763
75-76	43346	8721

1976-77 के दौरान हुई ऊर्जा की वास्तविक खपत के आंकड़ों का अभी तक संकलन नहीं किया गया है क्योंकि सामान्यतया वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद ही आंकड़ों का संकलन किया जाता है ।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हुई ऊर्जा की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1975-76	8.330 मिलियन यूनिट
1976-77	12.754 मिलियन यूनिट

(ख) और (ग) केवल बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि का निर्धारण कर सकना संभव नहीं है क्योंकि इसमें कई अन्य बातें भी शामिल रहती हैं।

(घ) और (ङ) ऊर्जा नीति की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:—

(1) जहां तक व्यवहार्य हो और किफायतदार हो, वहां तक देश में ऊर्जा का मुख्य साधन कोयला ही रहेगा, इसलिए तदनुसार ही इसकी खोज करने, इसका खनन करने और इसका इस्तेमाल किए जाने के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ।

(2) तेल के संबंध में नीति यह होगी कि आयात की मात्रा को कम किया जाए और देश में उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए ।

(3) तेल के स्थान पर ऊर्जा के दूसरे रूपों का प्रयोग करना जहां भी तकनीकी तौर पर और किफायतदारी से संभव हो वहां दूसरे रूपों का ही प्रयोग किया जाएगा।

(4) बिजली उत्पादन में वृद्धि की दर की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि तेल के स्थान पर बिजली का प्रयोग करने से जो अतिरिक्त मांग हो उसे पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी यह वृद्धि पर्याप्त होनी चाहिए।

(5) बिजली का उत्पादन, जल-विद्युत्, तापीय तथा परमाणु ऊर्जा के प्रयोग पर आधारित होना चाहिए ।

(6) ऊर्जा के वाणिज्यिक स्वरूपों से संबंधित नीति का शुरू-शुरू में प्रति वर्ष पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ।

(7) परिवहन प्रणाली का अध्ययन, ऊर्जा की आवश्यकताओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लिए भविष्य की आवश्यकताओं की वृद्धि के लिए योजना बनाई जाए।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(9) गोबर गैस के प्रयोग में तेजी से बढ़ोत्तरी की जाएगी।

(10) सामाजिक वनरोपण कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा।

(11) मिट्टी के तेल की जगह दूसरे ईंधन उपलब्ध किए जाने चाहिएं और मिट्टी के तेल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए विशेषकर मूल्य संबंधी प्रक्रिया का प्रयोग करके ऐसा किया जाना चाहिए।

(12) ऊर्जा के उत्पादन तथा इसके उपयोग को हर संभव प्रकार से कार्यक्षम बनाया जाना चाहिए।

(13) ऊर्जा का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि उचित स्तर की प्रचालन कार्यक्षमता पर इस उद्योग को सुनिश्चित पर्याप्त लाभ हो तथा विकास कार्यों के लिए प्रचुर धन इससे मिले। मूल्य ऐसे भी हों कि ऊर्जा प्रयोग के वांछित तरीकों में बढ़ावा मिले और ऊर्जा का संधारण भी होता रहे।

(14) सौर ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा, गोबर गैस, ज्वारीय विद्युत् आदि जैसे गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का विकास किया जाना चाहिए तथा सौर ऊर्जा और गोबर गैस को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(15) ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

(16) ऊर्जा नीति के कार्यान्वियन का समुचित तौर पर निदेशन होना चाहिए और बारम्बार इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ।

ऊर्जा नीति अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हो यह बात सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ऊर्जा नीति के विभिन्न पहलुओं का निरंतर पुनरीक्षण करती रहेगी।

भूतपूर्व सैनिकों की बढ़ी हुई पेंशन

126. **श्रीमती पार्वती कृष्णन: रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन मिली है; और

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में सिपाहियों की कितनी विधवाओं को स्वनियोजन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें मान लिए जाने और उनपर सरकार के निर्णय के परिणाम-स्वरूप, 1-1-1973 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त अब तक 1,970 कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अफसर पद से नीचे के 55,736 कार्मिकों की पेंशन बढ़ाई गई हैं।

(ख) पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय ने जिन मामलों में वित्तीय सहायता का प्रबंध किया है उनकी संख्या निम्नांकित है :—

1972-73	—	शून्य
1973-74	—	3
1974-75	—	10

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का स्थापित किया जाना

127. **श्री पी० के० कोदियान :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक संख्या में स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थापित होंगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) तथा (ख) परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने पश्चिमी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों के बारे में अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं। समिति की रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

केरल में एक दूर-दर्शन केन्द्र की स्थापना

128. **श्री स्कैरिया थौमस :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल राज्य में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस स्थान का क्या नाम है जहां यह केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है और क्या इस संबंध में कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है और यह केन्द्र संभवतः कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में वनस्पति की कमी

129. **श्री स्कैरिया थौमस :** क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य में वनस्पति की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार द्वारा केरल में अक्तूबर, 1976 से वनस्पति की कमी होने की सूचना दी गई है। वनस्पति विनिर्माताओं से केरल को सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा गया था और परिणामस्वरूप राज्य की प्रतिमास 310 टन की अनुमानित मांग की तुलना में केरल राज्य को अक्तूबर, 1976 से निम्नलिखित मात्रा में वनस्पति भेजा गया :—

मास	भेजी गई मात्रा (टनों में)
अक्तूबर, 1976	163
नवम्बर, 1976	266
दिसम्बर, 1976	342
जनवरी, 1977	336
फरवरी, 1977	310

कारों की कोटि

130. **श्री स्कैरिया थौमस :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित कारों की अच्छी कोटि तथा मानक में दिन प्रति दिन गिरावट आ रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) कारों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए उनकी कोटि में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) कारों का मूल्य अधिक होने तथा पैट्रोल तथा लुब्रीकेंट के मूल्य में वृद्धि हो जाने से रख-रखाव की लागत बढ़ जाने के परिणामस्वरूप क्रेता बाजार में यात्री कारों की मांग कम हो गई है। इसके फलस्वरूप 1 जनवरी, 1975 से सभी तीनों मेकों की यात्री कारों पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है । तब से यात्री कारों के मूल्यों में गिरावट आई है। फिर भी आमतौर पर भारतीय कारों की क्वालिटी को वांछनीय स्तर तक लाने की जरूरत है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये उत्पादन स्तर से ही सावधिक परीक्षण करने तथा परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के बारे में निर्माताओं को बताया जाए जिससे कि निर्माता क्वालिटी में सुधार करने के लिए समुचित उपाय करें, इस तरह कारों की क्वालिटी की जांच करने के लिए एक योजना लागू की गई है। अहमद नगर में निरीक्षण नियंत्रक (गाड़ी) द्वारा एक किस्म सुनिश्चय प्रकोष्ठ (क्वालिटी अस्योरेंस सेल) स्थापित किया गया है जिसका कार्य पूरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद पाई गई कमियों का विश्लेषण करना, उसके कारणों को बताना और सुधार करने के उपाय सुझाना और यह देखना है कि निर्माता निर्धारित क्वालिटी को ठीक से लागू करें।

त्रिवेन्द्रम में युववाणी कार्यक्रम का आरम्भ किया जाना

131. **श्री स्कैरिया थौमस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम में युववाणी कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि हां, तो वह कब से आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र ने "युववाणी" कार्यक्रम का प्रसारण 3 अप्रैल, 1977 से शुरू कर दिया है ।

आर्थिक अपराधियों का रिहा किया जाना

132. **श्री राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा आंतरिक आपातस्थिति हटाये जाने के बाद आर्थिक अपराधियों को रिहा कर दिया गया है ;

(ख) क्या उन मामलों के साथ निपटने के लिए कोई नया कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भूतलक्षी प्रभाव से ऐसा किया जायेगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) आन्तरिक गड़बड़ी के संदर्भ में 25 जून, 1975 को लागू की गई आपातस्थिति के 21 मार्च, 1977 को समाप्त करने से आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम का धारा 16क और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निरोध अधिनियम की धारा 12क के अधीन पकड़े गए आर्थिक अपराधी छोड़ दिए गए क्योंकि उक्त उपबन्ध समाप्त हो गए। जहां तक उन आर्थिक अपराधियों का संबंध है जिनके विरुद्ध भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जा रही है, सरकार आपातस्थिति के दौरान शुरू की गई कार्यवाही को वापस लेना उचित नहीं समझती ।

(ख) तथा (ग) आर्थिक अपराधियों से निपटने के वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने की जांच 28 मार्च, 1977 को कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में निहित नीति को ध्यान में रख कर की जा रही है ।

आपातस्थिति के दौरान निषिद्ध चल-चित्रों की संख्या

133. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंसर बोर्ड ने आपातस्थिति के दौरान राजनीतिक कारणों के आधार पर कितने चलचित्रों को निषिद्ध कर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि सेंसर बोर्ड ने राजनीतिक आधार पर अमृत नाहाटा द्वारा निर्मित 'किस्सा कुर्सी का' फिल्म निषिद्ध कर दी थी;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी सभी फिल्मों पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने निर्णयों को बदला गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार सेंसर बोर्ड को नहीं है किन्तु सरकार को है । सरकार ने इस अवधि के दौरान हिंसा, सैक्स, अभद्रता आदि से भिन्न कारणों से केवल एक ही फिल्म 'एट फाइव पास्ट फाइव' पर प्रतिबन्ध लगाया था ।

(ख) इस फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था, बल्कि इसको प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में समाचार-पत्रों पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगाना

134. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मार्च, 1977 को अथवा इसके आस-पास अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा जनता पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने से सम्बन्धित समाचार के मुद्रण/प्रकाशन पर रायपुर (मध्य प्रदेश) के समाचार-पत्रों पर पूरी सेंसरशिप लागू कर दी गई थी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने सेंसरशिप के उपरोक्त आदेश दिए थे;

(ग) क्या मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ (रायपुर यूनिट) के अध्यक्ष ने इस घटना के बारे में शिकायत की है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) समाचार पत्र में छपी इस घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। तथापि, सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछताछ की है, किन्तु, अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

Pending Cases of Political Detenus under DIR

135. SHRI YUVRAJ
SHRI CHHABIRAM ARGAL } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether cases of political detenus under Defence of India Rules are pending;

(b) if so, State-wise number thereof; and

(c) the time by which Government propose to withdraw cases instituted under D.I.R.?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) and (b) The information regarding number of political persons involved in cases under DISIR is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations.

(c) Instructions have been issued to the State Governments/Union Territory Administrations to review the cases pending investigation and trial under DISIR and withdraw all cases except those against economic offenders and persons guilty of violent acts. These instructions also include persons convicted by courts under various provisions of DISIR and the State Governments/Union Territory Administrations have been advised to remit the unserved sentences of all such convicts except those belonging to the two categories mentioned above namely economic offenders and persons guilty of violent acts.

भू-तापीय ऊर्जा स्रोत

136. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में भू-तापीय ऊर्जा के कोई स्रोत हैं ; और

(ख) क्या सरकार उन स्रोतों का उपयोग कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) देश के कई भागों में गरम जल के झरनों के रूप में भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत दिखाई देते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उत्तर-पश्चिमी हिमालय में तथा पश्चिमी समुद्र तट के साथ-साथ स्थित है।

(ख) भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाएं सुनिश्चित करने तथा विद्युत् उत्पादन के लिए इसके उपयोग की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए उत्तर-पश्चिमी हिमालय के और पश्चिमी समुद्र तट के साथ लगे संभावनापूर्ण क्षेत्रों में इस समय अन्वेषण चल रहे हैं। कुछ अन्वेषण छिद्रों की भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत-उत्पादन से इतर कार्यों यथा बोरेक्स और गन्धक को साफ करने जैसे कार्यों में उपयोग में किए जाने के लिए प्रयोग किए गए हैं।

सौर ऊर्जा का उपयोग

137. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर ऊर्जा के उपयोग किए जाने के बारे में कोई अनुसंधान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप (1) सौर ऊर्जा के तापीय प्रयोग करने; तथा (2) सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत् में परिवर्तित करने की दिशा में किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के तापीय प्रयोगों के लिए यह आवश्यक है कि संग्राहक प्रणालियाँ खोज निकाली जाएं तथा इस ऊर्जा का सीधे ही अथवा इसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग किया जाए। समतल प्लेट संग्राहकों को विकसित करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है जिससे सौर ऊर्जा का निम्न और मध्यम तापमानों में उपयोग कर पाना संभव हो सकेगा। उपयुक्त चयन की हुई कोटिंग विकसित करके तथा संग्रहण की लागत को कम करके संग्रहण प्रणाली में सुधार लाने का काम निरन्तर चल रहा है। इस प्रकार की ऊर्जा के अन्तिम प्रयोग के लिए अग्रताएं भी निर्धारित कर दी गई हैं और संबंधित मुख्य मदें निम्नानुसार हैं :—

(1) सिंचाई प्रयोजनों के लिए पम्पिंग
(2) कृषि-उत्पादों का शुष्कीकरण
(3) खाद्य की सुरक्षा के लिए शीतलीकरण
(4) नमकीन और अरुचिकर पानी को नमकरहित करना
(5) जल गर्म करना तथा स्थान गर्म रखना
(6) वातानुकूलन

इन मदों के लिए उपयुक्त प्रणालियों का विकास करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है। अभी तक केवल जल गरम रखने तथा स्थान गरम रखने वाली मद ही, वाणिज्यिक दृष्टि से, जीवन क्षमता के निकट है। इसके अलावा परम्परागत शिल्प-विज्ञान का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन करने के लिए समतल प्लेट संग्राहकों से एकत्रित की गई तापीय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु एक मार्गदर्शी परियोजना का कार्य भी हाथ में लिया जा चुका है। आशा है कि यह प्लांट 1977 के अन्त तक चालू हो जाएगा।

सौलार सेलों का प्रयोग करके और ऊर्जा को सीधे ही बिजली में परिवर्तित करने की तकनीकी व्यावहार्यता सुनिश्चित की जा चुकी है परन्तु ये प्रणालियाँ महंगी हैं और आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम नहीं हैं। लागत को कम करने और शिल्पविज्ञान में सुधार लाने का कार्य निरन्तर चल रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

138. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नामक कोई संस्था है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कार्य हैं; और

(ग) क्या राज्यों में इसकी शाखाएं हैं?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) देश में उपभोक्ता आन्दोलन को उठाने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस शीर्ष संस्था के लिए जिन कार्यक्लापों की परिकल्पना की गई है, उनमें ये शामिल हैं :— आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करना तथा उपचारात्मक कार्यवाही आरंभ करना, व्यापार पद्धतियों अथवा विशिष्ट वस्तुओं के मूल्यों से सम्बन्धित समस्याओं को सम्बन्धित अभिकरणों के ध्यान में लाना, उपभोक्ताओं के मामलों के बारे में सूचना एकत्र करना तथा उसका प्रसार करना, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में उपभोक्ता आंदोलन का विकास करने में सहायता देना और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए गठित किए गए संगठनों तथा संस्थाओं को सहायता देना जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है।

(ग) परिषद् के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । उसके बाद परिषद् अपनी कार्य पद्धति के बारे में निर्णय करेगी, जिसमें शाखाओं की स्थापना भी शामिल है।

उपग्रह का छोड़ा जाना

139. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**
श्री मुरली मनोहर जोशी } : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एक उपग्रह छोड़ने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके कब तक छोड़े जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) और (ग) निकट भविष्य में दो उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव है अर्थात् भू-प्रेक्षण संबंधी उपग्रह, जो कि 1978 में किसी-समय छोड़ा जाएगा तथा रोहिणी उपग्रह, जो कि 1979 में छोड़ा जाएगा ।

(ख) अधिक जटिल नीतभार, दत्त प्रबंध और नियन्त्रण प्रणाली वाला भू-प्रेक्षण संबंधी उपग्रह वस्तुत: आर्यभट का रूपान्तरण है । इस उपग्रह का भार 400 किलोग्राम से कुछ अधिक होगा और यह दो दूरदर्शन कैमरे और माइक्रोवेव रेडियोमीटर संबंधी नीतभार ले जायेगा । इससे कुल लक्षणों का फोटो चित्रण और सदूर संवेदन सम्भव होगा, जो कि वानिकी, जीवभारों के अध्ययन, जल-विज्ञानीय लक्षणों इत्यादि पर लागू होगा ।

रोहिणी उपग्रह, जो कि भारत में निर्मित उपग्रह, प्रक्षेपक राकेट की सहायता से छोड़ा जायेगा, का भार 40 किलोग्राम के लगभग होगा । यह उपग्रह वस्तुत: प्रक्षेपक राकेट के कार्य-निष्पादन की जांच के लिए प्रौद्योगिकीय नीतभार ले जायेगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० में निदेशक का चुनाव

140. **श्री शिव सम्पत** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली और दिल्ली

सहकारी समितियां नियम, 1973 में यह उपलब्ध है कि किसी निर्वाचित डेलीगेट को, यदि उसका कोई सम्बन्धी इस समिति में कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है तो निदेशक नहीं चुना जा सकता ;

(ख) क्या उपर्युक्त समिति के किसी डेलीगट ने निदेशक मण्डल के चेयरमैन को इस सम्बन्ध में कुछ निदेशकों के बारे में पत्र लिखा है, यदि हां, तो कब; और

(ग) प्रबन्धकों ने इस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की है तथा कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 में यह व्यवस्था है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति निदेशक के पद के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ, समिति के किसी वेतनभोगी कर्मचारी का कोई निकट सम्बन्धी हो, और यदि कोई प्रश्न इस बात को लेकर उठता है कि क्या कोई सदस्य उक्त कर्मचारी का निकट सम्बन्धी है या नहीं तो इसे रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, जिसका इस पर निर्णय अन्तिम होगा।

फिर भी समिति के उप नियमों में इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान् 4 सितम्बर, 1976 को ।

(ग) प्रबन्धकों ने इस शिकायत को, बाद में उस महीने सक्षम प्राधिकारों अर्थात् सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्णय के लिए भेज दिया है। कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं हुई है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा सहकारी समितियों के पंजीयक को निर्देशित मामले

141. श्री शिव सम्पत : क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में काम कर रही उपभोक्ता सहकारी समितियों ने और विशेष रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता समिति लि०, नई दिल्ली ने वर्ष 1976 के दौरान पंजीयक, सहकारिता समितियां, दिल्ली को कितने एवं किस प्रकार के मामले निर्देशित किए; और

(ख) उक्त मामले पंजीयक के कार्यालय में कब प्राप्त हुए थे और उक्त कार्यालय द्वारा उनका निपटान कब किया गया तथा सम्बद्ध समिति को निर्णय से कब अवगत कराया गया ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली में कार्य कर रहीं उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों द्वारा 1976 के दौरान पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, दिल्ली को लगभग 550 मामले भेजे गए । ये मामले भिन्न-भिन्न प्रकार के थे, जैसे—उपविधियों में संशोधन, पतों के बदलने के बारे में सूचना, दुकानों के आबंटन, जब्तशुदा माल, नियंत्रित कपड़े, उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए अनुरोध, वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध, आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र, चुनाव विवाद, कालातीत चुनाव संबंधी शिकायतें, माल के सत्यापन, डूबी रकमों को बट्टे खाते डालना, भुगतान के बारे में दावे, रिकार्ड न रखना, लेखापरीक्षा, पंचनिर्णय के लिए आवेदन और इसी तरह के अन्य मामले।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली का सम्बन्ध है, 1976 के दौरान इससे पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, दिल्ली की साधारण सभा की बैठक, लाभांश घोषित करने, कर्मचारियों के दावों, डूबी रकमों को बट्टे खाते डालने के लिए स्वीकृति, माल के सत्यापन, गोदाम की जगह के लिए अनुरोध, आरक्षित निधि के उपयोग, उप-विधियों में संशोधन करने तथा दूसरे सम्बद्ध विषयों के बारे में 21 मामले प्राप्त हुए।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी से मिले 21 मामलों में से पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, दिल्ली द्वारा 14 मामले निपटा दिए गए हैं और 7 मामलों के बारे में सोसायटी से स्पष्टीकरण मांग गया है । इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 109/77]**

तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के लिये अमरीका द्वारा यूरेनियम की सप्लाई

142. **श्री शिव सम्पत :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के लिए युरेनियम की सप्लाई का मामला अभी तक अनिश्चित स्थिति में पड़ा है ;

(ख) यूरेनियम के कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है और इसके पहुंचने में विलम्ब से क्या प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई): (क) जी, हां।

(ख) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि समृद्ध यूरेनियम कब तक प्राप्त हो जाएगा। तथापि, यदि यह मई, 1977 के बाद भी नहीं मिलता है तो तारापुर परमाणु बिजलीघर के संचालन पर 1978 के मध्य तक इसका प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता पर इस प्रकार की देरी से पड़ सकने वाले दुष्प्रभावों से अमरीकी अधिकारियों को अवगत करा दिया है तथा उन्हें जोरदार शब्दों में यह भी बता दिया है कि इस प्रकार की देरी तारापुर बिजलीघर के रिएक्टरों के ईंधन की सप्लाई के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अन्तर्गत शामिल बाध्यताओं के अनुरूप नहीं है।

आकाशवाणी के नेपाल यूनिट में कर्मचारियों की कमी

143. **श्री के० बी० चेत्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण आकाशवाणी के 'न्यूज सर्विसिस डिवीजन' और 'एक्सटर्नल सर्विसिस डिवीजन' के नेपाल यूनिट में सुचारू रूप से काम करने में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक कर्मचारी भर्ती करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Government Employees Arrested under MISA and DIR

144. SHRI G. P. YADAV :
SHRI SUBHASH AHUJA :
SHRI ARIF BEG :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees arrested under MISA and DIR during the emergency;

(b) whether a number of employees have still not been reinstated;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard; and

(d) whether salary for the period of suspension and removal from service will also be paid to them ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Decentralisation of Industries

145. SHRI G. P. YADAV : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken by Government for the decentralisation of industries;

(b) whether Government have been indifferent towards rural industrialisation so far; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) to (c) The Industiral Policy Resolution of 1956 continues to govern Government's policy for achieving the objectives of growth, social justice and self-reliance in the industrial sphere. The Industrial Policy Resolution of 1956 stresses that the aim of the State policy will be to ensure that the de-centralised sector acquires sufficient vitality to be self-supporting and its development is integrated with that of large scale industry. The State will, therefore, concentrate on measures designed to improve the competitive strength of the small-scale producer. It is also the policy of the Government to bring about balanced regional development so that industries are set up in the different parts of the country. It is one of the aims of national planning to ensure that facilities regarding power, transport etc. are steadily made available to areas which are at present lagging behind industrially or where there is greater need for providing opportunities for employment, provided the location is otherwise suitable. The present government is seriously thinking on what necessary steps should further be taken to decentralise industries.

Expenditure on Ministers

146. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the expenditure incurred by Government on account of telephone, electricity, maintenance of residences and tours of each of the Central Ministers from 1-1-1976 to 31-12-1976, under each head ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shri Sanjay Gandhi Travelled in Government Aeroplanes

147. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Shri Sanjay Gandhi, the son of the former Prime Minister, travelled in Government aeroplanes after the 25th June, 1975; and

(b) if so, the number of times he travelled therein and the expenditure incurred by Government thereon ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) He travelled on 49 occasions in the Air Force planes as per the list of flights attached as Statements 'A' and 'B' [Placed in Library. *See* No. L.T.-110/77]. In the case of flights shown in Statement 'A', Shri Sanjay Gandhi travelled as party member of the Prime Minister and other Central Ministers on whose indents the flights were arranged. Under the existing orders, the Prime Minister and the Ministers concerned are authorised to use VIP aircraft of the Indian Air Force. They can also carry any person(s) whose travel in aircraft is necessary for the purpose of the Minister's visit on Government duty.

In the case of flights shown in Statement 'B', Shri Sanjay Gandhi travelled in the Indian Air Force plane with State Chief Ministers for whom the flights were provided on payment.

No separate expenditure was incurred by the Central Government for travel of Shri Sanjay Gandhi in IAF planes as he availed of airlift in the aircraft indented by the

authorised VIP/VVIPs or in the aircraft made available to State Governments on payment.

मारूति कार फैक्टरी में कथित अनियमितताएं

148. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की सीमा पार स्थित मारूति कार फैक्टरी के निर्माण के दौरान विभिन्न व्यक्तियों और प्राधिकारियों ने कई प्रकार की कथित अनियमितताएं की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सार्वजनिक और स्वतन्त्र जांच कराई जायेगी ;

(ग) क्या उक्त कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो आज तक के उसके उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) तथा (ख) उद्योग मंत्रालय को मारूति कार फैक्टरी के निर्माण के दौरान की गई किसी भी कथित अनियमितता का पता नहीं है। किन्तु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित कारखाना इमारत के ब्यौरे के आधार पर उपयुक्त प्राधिकारी से यह सिफारिश की गई थी कि वह इसे निर्माण में काम आने वाले 5655 मी० टन इस्पात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दें ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मै० मारूति लिमिटेड द्वारा मई, 1976 में दी गई जानकारी के अनुसार 7 जुलाई, 1975 से कारों का निर्माण शुरू हो गया है और प्रति मास लगभग 15/20 कारें बन रहीं हैं।

"टाइम कैपसूल"

149. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में ज़मीन में दबाए गए "टाइम कैपसूल" को निकालने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) और (ख) सरकार विस्तार से सम्पूर्ण मामले पर यथाशीघ्र विचार करके इस दिशा में की जाने वाली कार्यवाही को अंतिम रूप देगी।

श्री संजय गांधी पर कथित हमले की जांच

150. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने 14 मार्च, 1977 को प्रातः श्री संजय गांधी पर कथित हमले का समाचार दिया था, जो उन पर 14 मार्च, 1977 से पूर्व की रात को किया गया बताया गया; और

(ख) क्या उस कथित घटना की जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आकाशवाणी ने श्री संजय गांधी पर कथित हमले का समाचार 15 मार्च, 1977 को सुबह प्रसारित किया था (14 मार्च, 1977 को नहीं) ।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत केस नं० 39 पुलिस स्टेशन, अमेठी में 15 मार्च, 1977 को रात के 12.45 बजे दर्ज किया गया है । इस केस की जांच चल रही है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्त करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करना

151. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के वर्ष 1966 के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी र० देसाई) : (क) तथा (ख) सरकार ने केन्द्र में लोकपाल तथा लोकायुक्तों की स्थापना के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यथाशीघ्र आवश्यक विधान पुरः स्थापित करने की दृष्टि से मामले की जांच करने की कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

बलात् नसबन्दी के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा सभा से बहार नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के बारे में

SHRI KESHAVRAO DHOUDGE (NAUDED) : I am raising Privilege Motion under rule 222. It is sad that the Minister of Health and Family Planning made a statement regarding compensation of Rs. 5000/- to the persons who suffered due to forced steralization and family planning programme, at Kanpur, at a time when Parliament was in session. He should have first made the statement in the House and then announced it outside.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI RAJ NARAIN) : I welcome the question of privilege raised against me. Whatever I said at Kanpur is not a new policy statement, but a part of old policy relating to grant of compensation to a person who dies after steralisation or other operations under family planning programme. This policy is already under implementation. All the State Governments are prepared to implement our circular issued in this connection.

Previous Government decided to give compensation of Rs. one lakh to the victim of air crash. Should not a poor man who dies after police firing or after operation get sufficient compensation ? Our Government is trying to remove disparities in such matters.

अध्यक्ष महोदय : इससे विशेषाधिकार भंग होने का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक लेखे, विवरण, समीक्षायें, वार्षिक प्रतिवेदन, अधिसूचनायें आदि

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी र० देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(पांच) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(छः) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(सात) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(आठ) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(नौ) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दस) काण्डला पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(बारह) मरमुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) (एक), (दो), (चार) और (छः) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया दखिए सं० एल० टी० 112/77]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(घ) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1975-76 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 113/77]

(4) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मोटरयान कराधान अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 2341 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० ओ० एम० 2479 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

(तीन) जी० ओ० आर० संख्या 4070 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० ओ० एम० 2520 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० ओ० एम० संख्या 2722 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० ओ० एम० संख्या 2732 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० ओ० एम० संख्या 2885 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० ओ० एम० संख्या 3352, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० ओ० एम० संख्या 14 जो दिनांक 12 जनवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 114/77]

(6) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) छटा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 853(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 856 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सोलहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 857 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बाईसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 859 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1581 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 18 नवम्बर, 1976 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 883 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सोलहवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 894 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) 17वां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 895(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1678 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 17वां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 928(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) अठ्ठारहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 929(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पच्चीसवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 946(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौबीसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 947(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सा० सां० नि० 1765 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 504 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(पन्द्रह) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) दूसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1866 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पर्यवीक्षा) पांचवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1767 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1768 में प्रकाशित हुए थे।

(अठ्ठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1769 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौबीसवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, सा० सां० नि० 953(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेईसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 954 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) अखिल भारतीय सेवाएं (मकान किराया भत्ता) नियम, 1977 जो दिनांक 4 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 5(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 28 जनवरी, 1977 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 45(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 28 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 44 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 126 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग) पहला संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 124 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 125 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 1 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 51(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 1 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 52(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 10 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 73(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 5 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 155 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 243 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 28 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 97(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 28 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 99(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 28 फरवरी 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 98(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पेंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) पहला संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 285 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) संशोधित नियम, 1977 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 358 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 22 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 119 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) अधिसूचना संख्या 11052/15/70-एआईएस(II) दिनांक 10 नवम्बर, 1976 जिसमें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1133 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है जो 25 अक्तूबर, 1976 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 115/77]

राष्ट्रपति पेंशन, अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अन्तर्गत नियम

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं चौधरी चरण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति पेन्शन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति पेन्शन (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 96(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 116/77]

(2) (क) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 100/77-एलएसजी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 मार्च, 1977 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या यू-13021/17/75-दिल्ली (एक) में कतिपय संशोधन किया गया है।

(3) उपर्युक्त अधिसूचना जारी करने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 117/77]

(4) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 58(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 118/77]

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 52 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 12 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 75 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 119/77]

तमिलनाडु राज्य विधान मंडल अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिनियम, अनिवार्य वस्तु अधिनियम तथा धन कूटन उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा): मैं श्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) तमिलनाडु ऋण राहत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 46) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) तमिलनाडु ऋण राहत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 3) जो दिनांक 12 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 120/77]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 854(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 696(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा० सां० नि० 865(ङ) जो दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सा० सां० नि० 880(ङ) जो दिनांक 15 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) गुजरात तथा दादरा और नागर हवेली चावल (निर्यात) और धान (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1976 के. भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1675 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) राजस्थान धान (लाने-ले-जाने का विनियमन) आदेश, 1976 जो दिनांक 4 दिसम्बर 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1705 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) सा० सां० नि० 917(ङ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 19(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) सा० सां० नि० 65(ङ) जो दिनांक 8 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 121/77]

(3) धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) धान कूटन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 29 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 490(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) धान कूटन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 284 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 122/77]

(4) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, सा० सां० नि० 338 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 123/77]

(5) (क) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (vi) के अन्तर्गत तमिलनाडु भाण्डागारण निगम, मद्रास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 124/77]

(7) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु भाण्डागारण अधिनियम, 1951 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 341 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 125/77]

रेड टैरिफ (संशोधन) नियम 1977

रेल मंत्री (श्री मधु दंडवते) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किए गए रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो

दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 404 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 126/77]

निर्यात अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पटसन उत्पाद निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4462 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूखी मछली निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 27 नवम्बर 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4494 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इस्पात ट्यूबों तथा ट्यूबलरों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 60 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पाइप फिटिंगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 62 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) काजू गिरी का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 410 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) केकड़े के डिब्बा-बन्द मांस का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 5 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 456 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कालीन निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 825 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 127/77]

(2) (एक) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 की धारा 22 के अन्तर्गत भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त मद (एक) में उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 128/77]

(3) भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 129/77]

(4) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक प्रति जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1529 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 130/77]

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1974-75 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 131/77]

(6) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1974-75 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 132/77]

(7) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 133/77]

वार्षिक प्रतिवेदन, अधिसूचनायें आदि

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 134/77]

(दो) ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 135/77]

(तीन) न्यू इण्डिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 136/77]

(चार) जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई का वर्ष 1975 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 137/77]

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु चिट फण्ड अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1917 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जनवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 138/77]

(3) तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976

का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 40) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 139/77]

(4) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल का निर्धारण) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 863(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 140/77]

(5) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1790 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 21 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 952 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 141/77]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सां० आ० 4060 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सा० सां० नि० 4061 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सा० सां० नि० 4062 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सा० सां० नि० 4063 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) सा० सां० नि० 4064 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) सा० सां० नि० 4065 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सां० आ० 842 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 142/77]

(आठ) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 18 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 23(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सां० आ० 578 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) सां० आ० 579 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) सां आ० 583 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) सां० आ० 584 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) सां० आ० 585 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) सां० आ० 587 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 5 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 210(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 143/77]

(7) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) धन-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 702(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) धन-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 732 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) धन-कर (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 12 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 16(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) धन-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 15 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 166(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 144/77]

(8) ब्याज-कर अधिनियम, 1974 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत ब्याज-कर (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 843(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 145/77]

(9) दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दान-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 722(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 146/77)

(10) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 167(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 147/77)

(11) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (नौवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (2)/76-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 25 जनवरी, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (62), 76-फिन (जी) (तीन) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 25 फरवरी, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (78) 75-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 148/77]

(12) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा बिक्री) (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 962(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 149/77]

(13) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (25वां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1608 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (26वां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 920(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (27वां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1792 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 96 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 152 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 408 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 25 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 128(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 150/77]

(14) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1547 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 872(ङ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 878(ङ) और 879(ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 1607 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 881(ङ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 891(ङ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 905(ङ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 1719 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 1762 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 966 (ङ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 42(ङ) जो दिनांक 27 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 871(ङ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 882(ङ) जो दिनांक 17 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 910(ङ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 921(ङ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 1791 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 32 (ङ) जो दिनांक 24 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 43(ङ) जो दिनांक 28 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 51(ङ) जो दिनांक 1 फरवरी, 1977 के भारत के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और सा० सां० नि० 70(ङ) जो दिनांक 8 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० सां० नि० 97 जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 123 जो दिनांक 22 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० सां० नि० 66(ङ) जो दिनांक 8 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० सां० नि० 90(ङ) और 91(ङ) जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० सां० नि० 281, 282 और 283 जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 102(ङ) जो दिनांक 1 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 109(ङ) जो दिनांक 11 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० सां० नि० 127(ङ) जो दिनांक 25 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 151/77]

(15) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 867(ङ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 876(ङ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 893(ङ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 896(ङ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 897(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 902(ङ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 903(ङ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 1720 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 909(ङ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 1723 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 919(ङ) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 926(ङ) जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० सां० नि० 930(ङ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 951 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० सां० नि० 1(ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० सां० नि० 7(ङ) और (8) (ङ) जो दिनांक 6 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० सां० नि० 39 जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 67 जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 11(ङ) और 12(ङ) जो दिनांक 11 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा० सां० नि० 20(ङ) और 21(ङ) जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० सां० नि० 26(ङ), 27(ङ) और 28(ङ) जो दिनांक 22 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा० सां० नि० 29(ङ) जो दिनांक 22 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा० सां० नि० 30(ङ) और 31(ङ) जो दिनांक 24 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा० सां० नि० 60(ङ) जो दिनांक 7 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा० सां० नि० 61(ङ) जो दिनांक 7 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा० सां० नि० 63(ङ) जो दिनांक 7 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा० सां० नि० 67(ङ) और 68(ङ) जो दिनांक 8 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा० सां० नि० 69(ङ) जो दिनांक 8 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा० सां० नि० 84(ङ) जो दिनांक 24 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा० सां० नि० 85(ङ) जो दिनांक 24 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस) सा० सां० नि० 106(ङ) जो दिनांक 7 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा० सां० नि० 107(ङ) और 108(ङ) जो दिनांक 9 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा० सां० नि० 111(ङ) जो दिनांक 11 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा० सां० नि० 112 के(ङ) जो दिनांक 11 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा० सां० नि० 113(ङ) जो दिनांक 11 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा० सां० नि० 407 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 152/77]

(16) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 53 का उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 68 जो दिनांक 23 जनवरी, 1976 के तामिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० ओ० पी० संख्या 211 जो दिनांक 10 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० ओ० एम० 219 जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० ओ० एम० संख्या 1347 जो दिनांक 13 अक्तूबर 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० ओ० एम० संख्या 1363 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० ओ० पी० संख्या 1417 जो दिनांक 5 अक्तूबर 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० ओ० प्रेस संख्या 1606 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० ओ० एम० संख्या 1536 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० ओ० एम० संख्या 1583 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) जी० ओ० एम० संख्या 1534 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी० ओ० पी० संख्या 1760 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० ओ० पी० संख्या 72 जो दिनांक 2 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० ओ० एम० संख्या 80 जो दिनांक 2 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपर में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) जी० ओ० पी० संख्या 169 जो दिनांक 3 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) जी० ओ० एम० संख्या 1908 जो दिनांक 9 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० ओ० एम० संख्या 163 जो दिनांक 23 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) जी० ओ० पी० संख्या 535 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1974 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठारह) जी० ओ० पी० संख्या 752 जो दिनांक 16 जुलाई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० ओ० पी० संख्या 883 जो दिनांक 20 अगस्त, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० ओ० एम० संख्या 1160 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) जी० ओ० पी० संख्या 1399 जो दिनांक 18 नवम्बर 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बाइस) जी० ओ० एम० संख्या 1540 जो दिनांक 2 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेइस) जी० ओ० एम० संख्या 90 जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौबीस) जी० ओ० एम० संख्या 348 जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पच्चीस) जी० ओ० पी० संख्या 394 जो दिनांक 19 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छब्बीस) ज्ञापन संख्या 27291/III(2)/75-7 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सत्ताइस) जी० ओ० पी० संख्या 99 जो दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठाइस) जी० ओ० एम० संख्या 637 जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उनतीस) ज्ञापन संख्या 48532/III(2)/75-2 जो दिनांक 2 जून 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीस) जी० ओ० एम० संख्या 789 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इकतीस) जी० ओ० एम० संख्या 931 जो दिनांक 21 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बत्तीस) जी० ओ० एम० संख्या 932 जो दिनांक 18 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तैंतीस) जो० ओ० पी० संख्या 1049 जो दिनांक 25 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौतीस) जी० ओ० एम० संख्या 1087 जो दिनांक 18 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पैंतीस) जी० ओ० एम० संख्या 1392 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(17) उपर्युक्त (16) के (सत्रह) से (पैंतीस) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 153/77]

(18) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 778 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प नियम, 192 में 5 कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 154/77]

समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1977-78 का बजट प्राक्कलन तथा भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड निगम, 1976

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक व टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 155/77]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 156/77]

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1977-78 के बजट प्राक्कलन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 157/77]

(4) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1709 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 158/77]

कर्मचारी बीमा, निगम के वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के लेखा परीक्षित लेखे तथा वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के बजट प्राक्कलन तथा एक विवरण

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1972-73 के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1973-74 के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1974-75 के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1976-77 के पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा वर्ष, 1977-78 के बजट प्राक्कलन ।

(2) उपर्युक्त मद (47) के (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 159/77]

(3) लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण:—

(एक)	विवरण संख्या 43	दसवां सत्र, 1970	चौथी लोक सभा
(दो)	विवरण संख्या 31	ग्यारहवां सत्र, 1970	
(तीन)	विवरण संख्या 38	दूसरा सत्र, 1971	पांचवीं लोक सभा
(चार)	विवरण संख्या 26	तीसरा सत्र, 1971	
(पांच)	विवरण संख्या 33	चौथा सत्र, 1972	
(छः)	विवरण संख्या 23	आठवां सत्र, 1973	
(सात)	विवरण संख्या 21	नवां सत्र, 1973	
(आठ)	विवरण संख्या 19	बारहवां सत्र, 1974	
(नौ)	विवरण संख्या 23	तेरहवां सत्र, 1975	
(दस)	विवरण संख्या 7	पन्द्रहवां सत्र, 1976	
(ग्यारह)	विवरण संख्या 6	सोलहवां सत्र, 1976	
(बारह)	विवरण संख्या 3	सत्रहवां सत्र, 1976	

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 160/77]

Annual Report of Development Council for Automobile Ancillary Industries etc. for 1975-76, Notifications, Reviews and Annual Reports

MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VARMA) : I beg to lay on the table.

(1) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन गाड़ी उद्योग, ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने के उपक्रम और

अन्तर्दह इंजिन विकास परिषद् के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 161/77]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तांबा (विद्युत् केबलों तथा तारों के निर्माण में उद्योग पर प्रतिबंध) संशोधन आदेश 1976 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 750(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) तांबा (विद्युत् केबलों तथा तारों के निर्माण में उपयोग पर प्रतिबंध) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 31 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 59(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 162/77]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 163/77]

वित्तीय समितियां (1976-77)—एक समीक्षा
FINANCIAL COMMITTEES (1976-77)—A REVIEW

महासचिव : मैं वित्तीय समितियां (1976-77)—एक समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

संसदीय समितियां कार्य सारांश—सभा पटल पर रखा गया
PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

महासचिव : मैं 1 जून, 1976 से 18 जनवरी, 1977 की अवधि के लिए 'संसदीय समितियां—कार्य सारांश' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं—

कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनरिंग (इंडिया) लिमिटेड तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक —जारी
CALTEX [ACQUISITION OF SHARES OF CALTEX OIL REFINING (INDIA) LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS INDIA OF CALTEX (INDIA) LIMITED] BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद 15 पर विचार आरम्भ करते हैं ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं श्री बहुगुणा के इस विधेयक का स्वागत करता हूं । और कि इसका सम्बन्ध हमारी अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू से है। इस सदन में तथा आम जनता द्वारा

गत अनेक वर्षों से यह मांग की जा रही थी कि तीनों विदेशी परिशोधनशालाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। इनमें से दो बड़ी विदेशी परिशोधनशालाओं का पहले ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और तीसरी प्रमुख कालटैक्स कम्पनी के सम्बन्ध में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

[(कुमारी आभा मैटी पीठासीन हुईं)
KUMARI ABHA MAITI *in the Chair*]

इन परिशोधन शालाओं की स्थापना 1950 के आरम्भ में की गई थी तथा इस सम्बन्ध में एक समझौता भी हुआ था जिसके अनुसार इन परिशोधन शालाओं का राष्ट्रीयकरण 25 वर्षों की अवधि के पूर्व नहीं किया जाना था। अतः अब उसी समझौते के इन विदेशी कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने के लिए एक अन्य समझौता करना पड़ेगा। वैसे तो इसमें नया कुछ नहीं है जो कुछ भूतपूर्व सरकार ने किया था वर्तमान सरकार उसे ही आगे बढ़ा रही है इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब विदेशी लोगों को भारत में परिशोधन शालाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो उस समय हमारे यहां तेल संबन्धी प्रौद्योगिकी बिलकुल उपलब्ध नहीं थी। परन्तु अब स्थिति पूर्णतया बदल गई है। अब भारत में तेल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है तथा देश में तेल का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। इतना ही नहीं हमारी परिशोधन क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। क्या यह सब सरकार की उपलब्धि नहीं है अतः मेरा यह सब कहने का उद्देश्य यह है कि चुनाव परिणामों के सन्दर्भ में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को पूर्णतया दृष्टि से ओझल करने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। आज जनता सरकार को जो अर्थ व्यवस्था विरासत में प्राप्त हुई है, यह काफी अच्छी है। यह केवल मेरा अपना मत नहीं है, यह विचार एक प्रतिष्ठा सम्पन्न पत्र 'दि इकनामिक्स' का है।

बम्बई हाई की कहानी तो काफी आश्चर्यजनक है। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान मंत्री बम्बई हाई के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे ताकि देश कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सके। इससे देश की लगभग 1,200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बच जाएगी।

कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हमारे देश में पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हुई है। आम जनता को इस वृद्धि के कारण जनता को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी उपाय से मिट्टी के तेल, पैट्रोल तथा कुकिंग गैस की कीमत में कुछ कमी की जा सके।

हमारे देश की परिशोधन क्षमता के विस्तार का कार्यक्रम भी था। हमने आसाम में बोरैगांव में दूसरी परिशोधनशाला स्थापित करने का कार्यक्रम भी बनाया था हमारा विचार कोयाली परिशोधनशाला की क्षमता में वृद्धि करने तथा मथुरा में नई परिशोधनशाला स्थापित करने का भी था। अतः इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस के साथ ही मैं यह भी बता दूं कि देश के भीतरी भागों के बजाय, तटीय क्षेत्रों में परिशोधनशालाएं स्थापित करना अधिक लाभप्रद होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर नए सिरे से विचार करना चाहिए कि पाइप लाइनों के माध्यम से कच्चे तेल को मथुरा लाने की अपेक्षा तटीय क्षेत्र के आस पास की शोधनशाला में उसे ले जाना अधिक उपयुक्त नहीं होगा? इसी प्रकार मेरा विचार है कि एक परिशोधनशाला पराद्वीप में तो दूसरी तूतीकोरिन में स्थापित की जानी चाहिए। वैसे गोआ भी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त स्थान रहेगा।

अन्त में मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें देश में तेल की अधिकाधिक खोज करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। कावेरी तट दूर, उडीसा तटदूर, कच्छ तटदूर आदि क्षेत्रों को कम्पनियों को किराए पर दे दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन सभी मामलों पर विचार करेंगे तथा संसद के अगले सत्र में इनसे सम्बद्ध प्रस्तावित नीति सम्बन्धी व्यापक विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि प्रस्तुत विधेयक तो भूतपूर्व सरकार द्वारा ही थोपा गया विधान है जिसे वर्तमान सरकार को पूरा करना पड़ रहा है। यह न तो अर्जन है और न ही राष्ट्रीयकरण। हमें अभी तक यह समझ नहीं आया कि आखिर

सरकार ने ऐसी कम्पनियों को मुआवजा देने का निर्णय क्यों किया जिन्होंने कि आज तक हमारे देश को बुरी तरह लूटा। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि मुआवजे का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है ।

हाल ही के कुछ वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है यदि इस वृद्धि का एकमात्र कारण यह था कि कर अधिक लगाए गए तो यदि सरकार कर कम कर देती तो सम्भवतः मूल्यों में स्वतः ही गिरावट आ जाती । मेरा यह सुझाव है कि सरकार को इस ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए क्योंकि देश की गरीब जनता को इसके कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

कालटेक्स कम्पनी ने जब कुछ समय हुआ अपने यहां संगणननीकरण को अपनाया तो उससे हजारों कर्मचारियों की छंटनी हो गई । केवल कलकत्ता स्थित कम्पनी के मुख्यालय में ही सैंकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई । छंटनी के बाद उन्हें बदले में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन अर्जित कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

मेरे मित्र श्री अलगेशन ने अपने वक्तव्य में इस ओर संकेत किया कि आरम्भ में हमें विदेशी सप्लायरों पर निर्भर रहना पड़ता है । मैं समझता हूं कि हमें तत्काल ही इसके लिए उपाय करने चाहिएं कि हम तटवूर खुदाई तथा खोज कार्य स्वयं ही कर सकें ताकि इन कम्पनियों के एकाधिकार द्वारा किए जा रह शोषण को समाप्त किया जा सके।

श्री आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "आयकर से मुक्त" शब्दों का लोप कर दिया जाए। भुगतान में छूट देने का औचित्य हमारी समझ में नहीं आया। क्या यह विधेयक भूतपूर्व सरकार द्वारा तैयार किया गया था? आखिर इस उपबन्ध को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारासात) : इस विधेयक का उद्देश्य कालटेक्स कम्पनी के शतप्रतिशत अर्जन का है तथा वे माध्यम से सभी आस्तियां प्राप्त की जा रही हैं । कालटैक्स सबसे बड़ी विदेशी कम्पनी है जोकि काफी पहले से देश में कार्यरत है । पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जिसका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है । इतना ही नहीं इसका देश की सुरक्षा के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । अतः इस पदार्थ के बारे में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही खेद की बात है कि हमारी भूतपूर्व सरकार ने गत 30 वर्षों में पैट्रोलियम के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में समुचित ध्यान नहीं दिया है । यह खेद की बात है कि विदेशी कम्पनियों को इस देश से अपने देश में बहुत अधिक धन राशियां भेजने की अनुमति दी जाती रही । अब समय आ गया है जबकि वर्तमान सरकार को इस दिशा में शीघ्र उपयुक्त कदम उठाने होंगे। मंत्री महोदय को यह भी पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि कालटेक्स कम्पनी ने पिछले कुछ वर्षों में कितनी धनराशि भारत के बाहर भेजी? जहां तक मुझे जानकारी है इस कम्पनी ने अन्य दो कम्पनियों के साथ मिल कर अकेले वर्ष 1963 में ही 100 करोड़ रुपए की धनराशि अपने देशों को भेजी। मैं इस बात का भी सख्त विरोध करता हूं कि कम्पनी की परिसम्पत्ति खरीदने के लिए इसे 14 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। इससे ऐसा आभास होता है मानों हम राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इंटरनेशनल कापर कम्पनी के सम्बन्ध में चिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। चिल्ली सरकार ने अनेक कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर लिया । जनता सरकार को भी इसी प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। सरकार द्वारा खण्ड II में वर्तमान कर्मचारियों की कार्य शर्तों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है । मैं इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कार्यकर रहे कर्म चारियों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : (कोयम्बेटूर) विदेशी कम्पनियों तथा विशेष रूप से पेट्रोलियम उद्योग से सम्बद्ध कम्पनियों को अपने हाथ में लेने का कदम एक सराहनीय कदम है । परन्तु इसके साथ ही मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि मुआवजे के रूप में कम्पनी को काफी धनराशि दी जा रही है। विदेशी कम्पनियों ने हमारे

देश से बहुत अधिक धनराशि विदेशों को भेज उसका शोषण किया है। अतः मुआवजे की राशि के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिए।

मैं अपने मित्र श्री भट्टाचार्य के साथ इस बात के लिए पूर्णतया सहमत हूं कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कमी करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। विभिन्न शुल्कों के बावजूद भी कुकिंग गैस के प्रत्येक सिलिन्डर की कीमत आठ या नौ रूपये से अधिक नहीं आती, जबकि उसकी कीमत उपभोक्ता से 30 रुपये के लगभग ली जाती है।

यह स्वागत योग्य तथा सराहनीय बात है कि पेट्रोलियम उद्योग को अधिकाधिक रूप में भारतीय प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जाये तथा इसमें भारतीय शीघ्र से शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। मेरा निवेदन यह है कि हमें इसके लिए उपयुक्त ढांचा तैयार करने के लिए भी अपेक्षित कदम उठाने चाहिएं।

अन्त में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करते समय सरकार को इनके कर्मचारियों के संघों को विश्वास में लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें इस कार्य से सम्बद्ध बोनस आदि सम्बन्धी अनेक समस्याओं का समाधान करने में आसानी हो जायेगी। अनेक प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का कार्य भी सरकार के लिए आसान हो जायेगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर अपेक्षित ध्यान देंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। भूतपूर्व सरकार ने इस प्रकार से 300 करोड़ रुपया देश के लिए बचाया। इन कम्पनियों को भविष्य में कई वर्षों तक 13 करोड़ रुपया तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने का क्या औचित्य है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को कम्पनी के साथ बातचीत कर यह राशि 5 या 6 करोड़ के लगभग करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए खरीदे गए फ्लेटों का सम्बन्ध है, वह उन्हीं अधिकारियों के पास रहने दिए जाने चाहिएं, जिन्होंने उन की कीमत अदा कर, उन्हें खरीद लिया हुआ है। इन फ्लैटों का अर्जन करना, उन अधिकारियों के साथ अन्याय करना होगा क्योंकि वह उनकी कीमत पहले ही कम्पनी को दे चुके हैं।

इस कम्पनी के कर्मचारी अब तक एक विदेशी कम्पनी के कर्मचारी थे अब वह भारत सरकार के लिए काम करेंगे उन्हें अधिक उत्साह और मेहनत से काम करना चाहिए ताकि यह संस्था लाभ पर चले और देश में समृद्धता आए।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर चर्चा जारी रखी जाए और सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित न की जाए क्योंकि सभा के समक्ष अभी काफी कार्य बाकी है।

सभापति महोदय : यह सभा की राय पर निर्भर करता है।

कुछ माननीय सदस्य : हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं।

श्री विनोद भाई शेठ (जामनगर) : यह एक अत्याधिक विवादास्पद विधेयक है। कई सदस्यों ने अधिग्रहण की आलोचना की है और कुछ ने इसका समर्थन किया है मैं आशा करता हूं कि जिन सदस्यों ने इसका समर्थन किया है वह भविष्य में भी उन कम्पनियों जिनमें साम्यवादी देशों ने पूंजी निवेश किया है, के अधिग्रहण का समर्थन करेंगे।

यह विधेयक भूतपूर्व सरकार की बपौती है। कम्पनी को करों की छूट तथा ब्याज दोनों ही लाभ दिए गए हैं। पूंजी के लिए दी जाने वाली 13 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त उस पर 4.29 करोड़ रुपए का कर भी नहीं लिया जा रहा है। इस तरह सरकार इस कम्पनी को 20 करोड़ रुपए दे रही है। सरकार को कर मुक्त ब्याज पूंजी लाभ कर के मामले पर विचार करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कम्पनी इस राशि का भुगतान करेगी। कर में जुर्माना भी शामिल होता है यदि आयकर विभाग धारा 271 (क) और 271 (ग) के अन्तर्गत कोई जुर्माना लगाए तो क्या सरकार उसको भी अदा करेगी।

13 करोड़ रुपए की राशि कैसे निर्धारित की गई है। क्या यह बाजार मूल्य है। हमें कम्पनी के शेयरों के विवरण का पता नहीं है। मालूम नहीं 13 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करने में कौनसा तरीका अपनाया गया। मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

यहां तक कालटैक्स कम्पनी के कर्मचारियों के फ्लैटों को अर्जित करने संबंधी खण्ड का संबंध है यह कानूनी तौर पर से अनुचित नैतिक और अन्यायपूर्ण तथा समाजिक तौर पर दुर्भावनापूर्ण है। हम कर्मचारियों के क्वार्टरों को अपने अधिकार में नहीं ले सकते क्योंकि वे मध्यम वर्ग परिवारों के हैं सरकार को कम्पनी तथा कर्मचारियों के बीच हुए समझौते में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एस्सो, बर्माशैल और कालटैक्स के कर्मचारियों में कोई भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए।

श्री बयालर रवि (चिरियांकील) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस बात का मुझे बड़ा खेद है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के मन में अभी भी कांग्रेस विरोधी भावनाएं बनी हुई हैं। हर कोई जानता है कि भूतपूर्व सरकार की पैट्रोलियम के संबंध में निश्चित नीति थी 1961 में स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन 0.45 मिलियन टन था और 1974-75 में बढ़कर यह 7.5 मिलियन टन हो गया इसी प्रकार कच्चे तेल के आयात में भी समुचित कमी हुई है चूंकि हमारा तेल का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है हम विदेशी तेल पर निर्भर हैं। यदि जनेवा ने ओ० पी० ई० सी० देशों ने कुछ किया है तो इसके लिए भूतपूर्व सरकार को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है।

जहां तक रोजगार तथा वितरण नीतियों का संबंध है कुछ परिशोधन शालाएं कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करके उन्हें भारतीय तेल निगम को बेच रही हैं। भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं जबकि उत्पादन एककों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। उदाहरणार्थ कोचीन परिशोधनशाला को ही ले लीजिए उनके पास वितरण एजेंसी नहीं। भारतीय तेल निगम ही उसकी वितरण एजेंसी है। अब बोनस अदायगी का मामला उठा तो कोचीन परिशोधनशाला के कर्मचारियों को 1974-75 में बोनस के रूप में एक पैसा नहीं दिया गया यह कहा गया चूंकि घाटा हो रहा है इस लिए बोनस नहीं दिया जाएगा लेकिन इसके विपरीत भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को मूल्य नीति के कारण 20 प्रतिशत बोनस दिया गया। अतः मंत्री जी को वितरण तथा मूल्य नीतियों की ओर ध्यान देना चाहिए।

केरल के लोग निराश हैं कि कोचीन परिशोधनशाला को सुपर टैंकर वर्थ देने से इन्कार किया गया है। कोचीन परिशोधनशाला की क्षमता पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और अब यह अधिक कच्चे तेल का शोधन कर सकती है। राज्य क्षेत्र परिशोधन शालाओं की कुल क्षमता 2 करोड़ एक लाख टन है। यदि कोचीन परिशोधनशाला का विस्तार कर दिया जाए क्षमता और भी बढ़ाई जा सकती है और ऐसा तभी हो सकता है यदि कोचीन में एक सुपर टैंकर वर्थ की स्थापना कर दी जाए।

कर्मचारियों की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतनों को 10,000 रुपए से घटाकर 5,000 रुपए करके समझदारी का काम किया है। प्रबंधकीय तथा अन्य संवर्गों में वेतन नीति समान होनी चाहिए और अधिक वेतन प्राप्त अधिकारी तथा श्रमिक के बीच विषमता कम की जानी चाहिए।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भूतपूर्व सरकार ने अधिक मुआवजा क्यों दिया है तथा करों की बकाया राशि बट्टे खाते में क्यों डाली है।

श्रीराम गोपाल रेड्डी ने सुझाव दिया है कि हम मुआवजे का भुगतान 5 किश्तों की बजाए एक मुश्त में कर सकते हैं और इस प्रकार अपना ब्याज बचा सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय की सफलता की कामना करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उन्हें सभी प्रदेशों के हितों का ध्यान रखना चाहिए मथुरा परिशोधनशाला को अभी भी कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि मद्रास और कोचीन परिशोधनशाला की तरह इस में भी अच्छी तरह काम होने लगेगा मंत्री महोदय को तीनों परिशोधनशालाओं को समान महत्व प्रदान करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

परिशोधनशालाएं वहीं स्थापित की जानी चाहिएं जहांकि कच्चा तेल नज़दीक उपलब्ध हो । सुझाव दिया गया है कि नई परिशोधनशालाएं केवल तटीय क्षेत्रों में ही स्थापित की जानी चाहिएं किन्तु समूचे देश का आकार कुछ ऐसा है कि हमें क्षेत्रीय विषमता तथा कई अन्य बातों को ध्यान में रखना है । खपत की बातों को भी हमें ध्यान में रखना है । चाहे हम कच्चे तेल का उत्पादन करें या पैट्रोलियम पदार्थों का, असली प्रश्न तो यह है कि सारे देश के हित में अधिक लाभप्रद क्या है ।

मुआवजे की बात की गई है । यह वास्तव में मुआवजा नहीं है । हम तो केवल यह कह रहे हैं कि अर्जन के विचार से उन्हें यह राशि दे रहे हैं । जैसाकि सभा को ज्ञात है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी कम्पनी है और भूतपूर्व सरकार तथा जिन लोगों ने कम्पनी के साथ समझौता किया है उन्हें इसका पूरा पता है इन सब बातों को उन लोगों ने स्वीकार किया है ।

मैं यह नहीं कहता कि पैट्रोलियम के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं थी । कांग्रेस के शासन में इस विशिष्ट क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई और यह देश के लिए गौरव का विषय है ।

यह पूछा गया है कि 15 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान किस प्रकार लगाया गया । कालटेक्स तथा अन्य कम्पनियां जिनको अपने अधिकार में लिया गया है उनकी आस्तियों का मूल्य उतना ही होगा जितना कि उनकी लेखा पुस्तकों में दर्ज है और हमें वह मूल्य स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उन्हें उतनी राशि अधिग्रहण के बदले अदा कर उचित ही होगा ।

एक माननीय सदस्य ने आयकर के संबंध में प्रश्न उठाया है और कहा है कि उन्हें आयकर से छूट क्यों दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उन जुर्मानों का क्या होगा जो कालटेक्स पर पिछले कुछ वर्षों में लगाए गए हैं अथवा चालू वर्ष में लगेंगे चाहे वह आयकर के बारे में हैं अथवा अन्य करों के बारे में हैं अथवा शुल्कों के बारे में जिनके संबंध में विवाद है। इसलिए हम सारी राशि का भुगतान एक साथ नहीं कर रहे ताकि तीन चार वर्षों के भीतर यदि वह आयकर तथा अन्य मामलों के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते तो हम उस राशि में से कटौती कर लेंगे। इसीलिए हम कुछ राशि अदा नहीं कर रहे ।

कर्मचारियों के संबंध में भी प्रश्न किया गया है जहां तक सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का संबंध है मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार की नीति सेवा की शर्तों और दशाओं में परिवर्तन करने की बिल्कुल नहीं है ।

जहां तक कालटेक्स द्वारा कर्मचारियों की छंटनी का संबंध है यदि उन कर्मचारियों में से हम किन्हीं की सेवाओं का उपयोग अपनी नई शोधनशालाओं और नए संगठन के लिए करना उपयुक्त समझेंगे तो निश्चय ही हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन इन शोधनशालाओं में अथवा इन विशिष्ट स्थानों में जहां कि संगणक कार्य की संभावना बिल्कुल नहीं है उन्हें उन्हीं स्थानों पर वापिस लाना संभव नहीं है।

मूल्य नीति के संबंध में काफी चर्चा हुई है । मूल्य कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है । समस्त विश्व में तेल के बढ़ते हुए मूल्य के संबंध में कुछ बातें अपरिहार्य हैं । हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी। हम लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहते जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पैट्रोलियम तथा संबद्ध पदार्थों के मामले हमने अभी आत्म निर्भरता नहीं प्राप्त की है ।

ब्याज की दर के संबंध में भी कुछ कहा गया । इस मामले पर सरकार ने एक तरफा निर्णय नहीं लिया है। सरकार तथा कालटेक्स के बीच एक समझौता हुआ है यह सब कुछ उसी समझौते का परिणाम है। हम पुराने समझौते को एक दम रद्द नहीं कर सकते और न ही नया समझौता कर सकते हैं क्योंकि सरकार द्वारा किया गया वायदा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय

क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा घटे और बाहर के लोगों के मन में भारतीय आर्थिक प्रणाली के प्रति भय न बैठ जाए।

गोबर के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। हम यह नहीं चाहते कि गोबर को बेकार जाने दिया जाए। हमें गोबर से गैस बनाने का कार्य लेना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में इस गैस का प्रयोग खाने पकाने के काम में किया जा सकता है। गोबर से गैस बनाने की तकनीक का विकास किया जाना चाहिए तथा किसानों को भी अकार्बनिक खाद के रूप में इसके प्रयोग पर बल देना चाहिए।

यह ठीक ही कहा गया है कि जब शोधनशाला स्थापित की गई थी तो 1950 में एक समझौता हुआ कि 25 वर्ष तक इसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अतः यह समझौते की अवधि के अनुरूप है। यह कोई बुरा समझौता नहीं और यह सदभावना से किया गया है।

जहां तक कर्मचारियों का संबंध है उनके कुछ मकानों के बारे में उल्लेख किया गया है। कालटेक्स ने बम्बई और दिल्ली में कुछ मकान किराए पर लिए हुए थे जिन्हें वह अपने अधिकारियों को रहने के लिए देती थी जब सरकार ने 1974 में अपनी नीति की घोषणा की तो उन्होंने यह फ्लैट अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को दे दिए जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें खरीद लिया और आज भी कई अधिकारी उन फ्लैटों में रह रहे हैं और कालटैक्स को उनका पट्टा छोड़ना है। मेरे रसायन मंत्री बनने से पहले ही सब काम तैयार था लेकिन जहां तक खण्ड 7(2) का संबंध है निश्चय ही इसमें कुछ बदमाशी है। हमारी नीति उन लोगों को बाहर निकालने की नहीं है जिन्होंने यह फ्लैट खरीद लिए हैं। हमें बहुत दुख है कि कालटैक्स ने इन लोगों के साथ ऐसा किया है। हम कोई ऐसा उपाय खोजेंगे जिससे इस समस्या का हल हो सके। हम उन लोगों को तंग नहीं करना चाहते जिन्होंने फ्लैटों को इस विधेयक में पुरःस्थापित किए जाने से पहले ही खरीद लिया था।

अन्त में मैं फिर एक बार उन सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पैट्रोलियम नीति के बारे में अमूल्य सुझाव दिए मुझे इस सभा तथा जनता की सद्भावना की आवश्यकता है। तेल की खुदाई में भाग्य का बड़ा हाथ होता है। कई देशों ने अरबों रुपए तेल की खुदाई कार्य पर व्यय कर दिए पर हाथ कुछ नहीं लगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस कार्य में हमें सफलता प्रदान करे।

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम अधिक तेल का पता लगाने की कोशिश करेंगे मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में तेल मिलने की संभावना है वहां पर खुदाई कार्य शुरू किया जाएगा। मैं विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में बोल रहा हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में कुछ सर्वेक्षण कराए जा चुके हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां पर तेल की संभावना होगी वहां हम खुदाई कराएंगे।

श्री वयालर रवि : अधिग्रहण के बाद क्या कालटेक्स के कर्मचारियों का प्रबंध में स्थान दिया जाएगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस संबंध में सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों के भाग लेने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार की जरूरत है और उचित समय पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा है इस बारे में सरकार की नीति नहीं बदली है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : जैसा आप को पता है पूर्वी तट पर विदेशी कम्पनियों ने पट्टे पर जगह ले रखी है पर वे काम कुछ नहीं कर रहीं। इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने एक कुआं खोदा था लेकिन उसमें तेल नहीं मिला और आगे वे कार्य में लगे हैं। लेकिन अभी विधेयक के साथ उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अण्णासाहेब गोट खिंडे : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कालटेक्स के साथ जो समझौते हुए हैं उनको मान्यता दी जाएगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन समझौतों को माना जायेगा जो इस विधेयक के लाये जाने से पूर्व या नियत दिन से पहले किए गए थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने पहले ही कहा है कि इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले समझौते वे हैं जो 1974 से 1976 के बीच हुए। इस अवधि पर धारा 7(2) लागू होती है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोकहित में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और भारत में कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हितों के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा उक्त उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पेट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 6 के लिए कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री राम जेठमलानी : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विनोद भाई शेठ : मैं संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामजेठमलानी : अब चूंकि विधेयक के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है, यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति देश में विदेशी पूंजी को हतोत्साहित करने की नहीं है। अब तक विदेशी पूंजी की तर्कहीन आलोचना की जाती रही है जिससे राष्ट्रहित की हानि हुई है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि खण्ड 7(2) बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध है। मंत्री जी उसे वैध नहीं ठहरा सकते पर चूंकि मंत्री महोदय कुछ कठिनाई में हैं अतः हम धारा 7(2) को रिकार्ड में जाने देंगे पर यह आश्वासन दिया जाये कि उन सभी व्यक्तियों की संरक्षा प्रदान की जायेगी जिन्होंने वैध रूप से संपत्ति के अधिकार प्राप्त किए हैं और जहां वे कालटेक्स से सेवानिवृत्त होने से पूर्व रह रहे थे।

श्री विनोद भाई शेठ (जामनगर) : यदि श्री जेठमलानी का उपबंध स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। पर यदि यह कहा जाता है कि मुआवजे की राशि सम्पत्ति के लिखित मूल्य के बराबर है तो यह बात विवादास्पद है। जब मूल्य के सम्बन्ध में बातचीत हुई तो मूल्य 13 करोड़ रु० रखा गया तब 4.29 करोड़ रुपए का पूंजी लाभ हुआ। यदि कम्पनी की आस्तियों के बराबर मुआवजे की राशि दी जाती है तो पूंजी लाभों का प्रश्न नहीं उठता। यदि हम खंड 10(3) के अनुसार मुआवजा दे रहे हैं तो आयकर मुक्त उपबंध बना रहना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं श्री विनोदभाई का आभारी हूं कि वह 8 प्रतिशत से सहमत हो गए हैं। जहां तक 4.29 करोड़ रुपए पूंजी लाभ का प्रश्न है मैं फिर कहता हूं कि यह तो समझौते का एक अंग है तथा किताबों में दर्ज है। उसे तो हमें देना ही होगा। मैं श्री रामजेठमलानी की बात से सहमत हूं लेकिन कठिनाई यह है कि मंत्रिमण्डल में उस पर विचार होना है। तब हम इस सम्पूर्ण खंड को हटाने के लिए सोच सकते हैं।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn

संशोधन संख्या 11, 12 और 13 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment Nos. 11, 12 and 13 were, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 7 विधेयक से जोड़ा गया।

Clause 7 was added to the Bill

श्री अण्णासाहेब गोट्टखिडे : मैं प्रस्ताव करता हूं

"पृष्ठ 5, पंक्ति 27,--

"एक" के स्थान पर 'एक उचित' शब्द रख दिए जाएं यह संशोधन बहुत साधारण है। इसमें संविदा चलते रहने की व्यवस्था है जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसे भंग न कर दे।

सरकार ने अवसर दिए जाने की बात पहले ही मान ली है। यह अवसर उचित होना चाहिए। यही मेरा संशोधन है ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"पृष्ठ" 5, पंक्ति 27,--

"एक" **के स्थान पर** "एक उचित" शब्द रख दिए जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 8 संशोधित विधेयक से जोड़ दिया गया।

Clause 8, as amended was added to the Bill

श्री अण्णा साहे ब गोटखिडे : मैं अपने संशोधन संख्या 7,8 और 9 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 7, 8 और 9 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

Amendment Nos. 7, 8 and 9 were, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 9 विधेयक से जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : I beg to move Amendment No. 3.

Sir, I fail to understand the mystery behind this deal. I think the words 'free of income-tax' should not have been added. Income-tax concession is given only upto Rs. 10,000/-. But in this case we are paying lakh dollars free of income-tax. It is not Socialism.

SHRI H. N. BAHUGUNA : It is under the agreement that we are paying this amount to Caltex. This is an international foreign Company and it will not be fair to go back upon the Commitments made with the Company as it will creat difficulties at the international level. We are taking over the organisation and for that we have entered into an agreement. We are committed to pay Rs. 13 crores to the company.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 3 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill

श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 14,—

एक (an) शब्द **के स्थान पर** "एक उचित" (a reasonable) शब्द रख दिए जाएं (संख्या 10)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 14,—

"एक" (an) शब्द **के स्थान पर** "एक उचित" (a reasonable) शब्द रख दिए जाएं (संख्या 10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 11 संशोधित रूप में विधेयक से जोड़ दिया गया ।

Clause 11, *as amended, was added to the Bill*

श्री हुकम देव नारायण यादव : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं :

Sir, It is clear that this agreement was entered into by the previous Government. But I think it is not nationalisation but State take over. A private company has been taken over but its working will not change. The huge difference between the salaries of a peon and a director will remain as before. The bureaucracy will not undergo any change. We have not tried to remove the inequality. There is no provision in this Bill to protect the employees from the exploitation by the big officers. I would like to say that previously they used to get their salary from the American Company and now they will be paid their salary by the Govt. of India. Nothing has been said about the representation of the farmers and consumers in the management of the company. Government should reconsider the entire matter because the existing provision goes against the declaration made by the Janata Party in its election manifesto.

There is nothing in this Bill to ensure that workers' participation will be sought in the management of this company. Government will have to change their attitude in regard to nationalisation. The present Bill will only bring about officialisation of this company and the object of nationalisation namely, seeking the partnership of workers in the administration of the company will not be achieved.

SHRI H. N. BAHUGUNA : We have not used the word 'nationalisation'. There is difference between 'take over' and 'nationalisation'. I have already told that agreement has been concluded between the culture and the Government of India. So, this aspct should not be forgotten.

Secondly, the Caltex does not deal in producing oil and diesel. Indian Oil Corpn. and O.N.C.C. and other institutions do the refinery work. So, the question regarding constitution of Board of Directors will be taken up at the time of discussion about Indian Oil Corpn. At present we are discussing the matter of take-over of Caltex.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 5 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13 से 24, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 13 to 24, The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक

THE PETROLEUM PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USE IN LAND) AMENDMENT BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सदन को यह भलीभांति मालूम है कि कुद्रेमुख परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे प्राथमिकता के आधार में रिकार्ड समय में पूरा किया जाना है । पेट्रोलियम को ले जाने के लिए एक अतिरिक्त पाइप लाइन है। सरकार के पास पहले से अधिकार हैं पर इस विधेयक द्वारा सरकार अतिरिक्त अधिकार प्राप्त कर रही है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : इस विधेयक के द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए मूल अधिनियम को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के उपबन्धों को और व्यापक बनाने से पहले सरकार को देश में पाइप लाइन के कार्यकरण पर विचार करना चाहिए। पेट्रोलियम पाइप लाइन कांड पर कांग्रेस राज में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था। मामले की जांच करने के लिए टक्करू आयोग नियुक्त किया गया था जिसने सरकार को कई लाख की हानि होने का मामला बताया था। कांग्रेस सरकार को टक्करू आयोग की रिपोर्ट दिए जाने के बाद संसद को यह नहीं बताया गया कि आयोग के निष्कर्षों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ऐसा सन्देह किया जा रहा है कि समूचा मामला दबा दिया गया है और सम्बन्धित अधिकारी रुपया हजम करके भाग गए हैं। अतः यह आवश्यक है कि जनता सरकार सारे तथ्य प्रकाश में लाए जिससे भविष्य में उच्च अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें।

पाइप लाइन से बड़ी मात्रा में खनिज ले जाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। सरकार को इस बात पर और गम्भीरता से सोचना चाहिए कि क्या वर्तमान परिस्थिति में यह प्रक्रिया भारत में अपनाई जानी चाहिए? परम्परागत तरीकों से खनिज ले जाने से हजारों लोगों को काम मिलेगा जबकि पाइप लाइन की प्रक्रिया को अपनाने से नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो सकेंगे। यदि ये तरीके अपनाए जाते हैं तो 10 वर्ष की अवधि में पूर्ण रोजगार देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा । अतः मैं सरकार से इस बात पर गहराई से पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हुं कि क्या यह काम शारीरिक श्रम द्वारा किया

जा सकता है, ताकि देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कुछ हद तक रोका जा सके । कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना, जहाँ पर यह तकनीक लागू किए जाने का प्रस्ताव है, से उस विदेशी कम्पनी को लाभ होगा जो भारत को मशीनरी बेचेगी। यदि सरकार श्रमोन्मुख तरीकों का प्रयोग करती है तो इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और आन्तरिक मार्केट को बढ़ावा मिलेगा । अतः सरकार को इस पहलू पर कुछ और सोच विचार करना चाहिए। मुख्य अधिनियम में उन किसानों को, जिनकी भूमि अर्जित की गई है, पर्याप्त मुआवजा देने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। कहीं-कहीं वैकल्पिक स्थान भी नहीं दिए गए हैं। इससे समस्या और भी बढ़ गई है अतः यह आवश्यक है कि सरकार इस सम्बन्ध में अपना रवैया बदले ताकि उन किसानों को कुछ राहत मिल सके ।

श्री बीजू पटनायक : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि पाइप लाइन लौह अयस्क बेल्ट से ईरान के लिए जहाज में लादने के लिए खनिज लाने के लिए बिछाई जा रही है। क्या उनका यह अर्थ कि यह मजदूरों द्वारा सिर पर लादकर बन्दरगाह तक ले जाया जाए ? केवल इसी तरीके से अधिक मानवशक्ति का प्रयोग किया जा सकता है । इसलिए यह कहना गलत है कि इससे रोजगारों में कमी होगी क्योंकि पाइप लाईन के रखरखाव के लिए और खान में काम करने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। विधेयक में पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की भी व्यवस्था है और वह मुआवजा जिलाधीश निर्धारित करेगा।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भविष्य में अन्य लौह अयस्क खानों पर भी लागू होगा ।

श्री बीजू पटनायक : जी हां । इस विधेयक में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा अन्य सामान पाइप लाइनों द्वारा ले जाने की व्यवस्था है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 4 पर श्री गोटखिंडे का एक संशोधन है ।

श्री बीजू पटनायक : इस संशोधन पर मैंने श्री गोटखिंडे को स्थिति पहले से स्पष्ट कर दी है। मेरे विचार में वह अपना संशोधन पेश नहीं करेंगे ।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : मैं इसे पेश नहीं करूंगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और विरोधात्मक सिफारिशें होंगी ।

श्री बीजू पटनायक : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कालटेक्स और इण्डियन आयल दो अलग-अलग कम्पनियां एक ही क्षेत्र में काम कर रही हैं । इसके साथ एक अन्य प्राधिकरण लौह अयस्क की लाइन को देखेगा इससे और भी कठिनाई पैदा होगी। इसलिए इस विधेयक में, उसी क्षेत्र या अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, 5 और 6 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 4, 5 and 6 were added to the Bill.

खण्ड 7 (धारा 6 का संशोधन)

Clause 7 (Amendment of section 6)

श्री अण्णा साहिब गोटखिडे : मैं सशोधन संख्या 2 पेश करता हूँ।

मंत्री महोदय ने मुझे स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे खुशी है कि सरकार उपभोक्ताओं और मालिकों के हितों की रक्षा करना चाहती है। अतः मैं संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was by leave, withdrawn

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 और 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोडे गये।

Clause 7 and 8 were added to the Bill.

खण्ड 9 (धारा 9 का संशोधन)

Clause 9 (Amendment of Section 9)

श्री अण्णा साहिब गोटखिडे : मैं संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं। जहां तक मूल्य निर्धारण का सम्बन्ध है, न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। इसे वही मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा जो सक्षम प्राधिकयरी ने निर्धारित किया होगा। अतः इस मामले में कि क्या मूल्य उचित है या नहीं इसका निर्णय जिला न्यायालय करेगा।

श्री बीजू पटनायक : जब कोई जिलाधीश किसी भवन को हटाए जाने के बारे में जांच करता है तो वह उस भवन की लागत की भी जांच करता है। अतः इस में दोनों बातें आ जाती हैं। सरकार प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करेगी। यह सरकार पहली सरकार की तरह किसी भी मूल्य पर किसी की सम्पत्ति नहीं लेगी। अतः मैं माननीय सदस्य से संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री अण्णा साहिब गोटखिडे : मैं संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 11, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 9 से 11 खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

Clause 9 to 11, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन) विधेयक

PREVENTION OF PUBLICATION OF OBJECTIONABLE MATTER (REPEAL) BILL

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

गत 19/20 महीनों में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता को बहुत हद तक कम कर दिया गया था। इस अधिनियम से समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अतः सरकार ने इस विधेयक को सबसे पहले पेश किए जाने वाले विधेयकों में रखा है।

समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता देना हमारी नीति ही नहीं वरन् विश्वास है। हमारा यह पक्का विश्वास है कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के बिना लोकतन्त्र अर्थहीन और जब तक यह अधिनियम सांविधिक पुस्तक में रहता है समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता की बात सर्वथा काल्पनिक है और उसका कोई अर्थ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI J. RAMESHWAR RAO (Mehboobnagar) : I am not against this Bill. We support this Bill whole heartedly. Freedom of press is a must for democracy. Democracy cannot survive without freedom of expression which includes freedom of press as well. Therefore, I fully support the Bill.

But how the Government is going to curb yellow journalism. Newspapers should not be allowed to damage the prestige of an individual or a firm. The dignity of press should be maintained. For this, it is necessary to evolve a code of conduct and to establish a Press Council which can keep a watchful eye on the trends of press. Government should enlighten the House as to what they propose to do in regard to establishing a Code of conduct for the press.

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) : चुनावों के बाद सत्तारूढ दल लोगों की सेवा और लोकतन्त्र के आदर्शों को बनाए रखने के लिये कटिबद्ध है। प्रेस की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की आधारशिला है। प्रेस की स्वतन्त्रता सभी स्वतन्त्रताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। भूतपूर्व सरकार ने फिरोज गांधी अधिनियम को समाप्त कर दिया। प्रेस आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार किया गया तथा सभा के समक्ष अधिनियम लाया गया जिसे काला अधिनियम कहा जाना चाहिए। यद्यपि उस अधिनियम का अब निरसन किया जा रहा, मैं अधिक कुछ न कहते हुए चन्द शब्द कहना चाहूंगा।

हर व्यक्ति को ज्ञात है कि 1930 में प्रेस आपात शक्तियां अधिनियम पास किया गया था तथा फिर 1951 में आक्षेपणीय सामग्री प्रकाश अधिनियम पास किया गया था। इन दोनों अधिनियमों का 1957 में

निरसन कर दिया गया था। इन अधिनियमों में यह उपबन्ध था कि जमानत जब्त की जा सकती है परन्तु साथ-साथ यह भी व्यवस्था थी कि केवल न्यायालय ही जमानत जब्त कर सकेगा। परन्तु कांग्रेस सरकार एक ऐसा अधिनियम लाई थी, जिसका अब निरसन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत एक जिलाधीश या उप-सचिव के दर्जे का कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भी आपत्ति उठा सकता है और इस विधेयक के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह से भारत सरकार के पास वह सभी शक्तियां आ जाती हैं जिससे न्यायालय में किसी मामले को भेजने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस निरसन विधेयक के द्वारा उन उपबन्धों को समाप्त किया जा रहा है। मैं इस का स्वागत करता हूं।

मैं सभा का ध्यान निवारक निरोध अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि विपक्ष के नेता ने यह तो स्वीकार किया है कि ज्यादतियां हुई हैं, परन्तु फिर भी उन्होंने कहा है कि वह 42वें संविधान संशोधन का समर्थन करते हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ज्यादतियां करने के लिए ही 42वां संविधान संशोधन पास किया गया था, जब कि निवारक निरोध अधिनियम और आंसुका जैसे कानून पहले ही बनाए जा चुके थे। आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम भी काले कानूनों की श्रेणी में आता है।

जिस विधेयक का अब निरसन किया जा रहा है उसमें एक उपबन्ध था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा मंत्रि परिषद् के विरुद्ध कोई भी बात प्रकाशित नहीं की जाएगी, भले ही उन्होंने दुष्कर्म किए हों। इस तरह उन्हें अपने काले कारनामों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रधान मंत्री को विशिष्ट दर्जा दिया जाता है तो अनुच्छेद 14 को, जिस के द्वारा विधि के समक्ष समानता की गारंटी दी गई है, कैसे बनाए रखा जा सकता है। जब तक यह अधिनियम लागू है तब तक संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 20 पर सदन में कैसे चर्चा की जा सकती है। इससे अनुच्छेद 14 का हनन होता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह विधेयक विपक्ष का दमन करने, श्रमिक वर्ग का गला घोंटने तथा पत्रकारों और साधारण जनता को दण्ड देने के लिए लाया गया था। हर तानाशाह पहले समाचारपत्रों का गला घोंटता है और यही भूतपूर्व सरकार ने किया था।

चूंकि मेरे पास समय सीमित है, मैं अधिक कुछ न कहते हुए माननीय मंत्री का समर्थन करता हूं कि विधेयक का निरसन किया जाना चाहिए। यद्यपि मैं समाचारपत्रों को कोई सलाह देने में समर्थ नहीं हूं, तथापि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस चुनाव क्षेत्र से आया हूं, जो भारत के सब से पवित्र स्थानों में से एक है तथा जहां लाखों यात्री प्रतिवर्ष यात्रा के लिए जाते हैं। उन स्थानों के नाम हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। वहां पुष्पों की घाटी है, जहां लगभग 2000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं और जो कि वनस्पतिशास्त्रियों के लिए स्वर्ग है तथा पर्यटकों के लिए स्मरणीय स्थान है। मैं माननीय मंत्री तथा सरकार के माध्यम से समाचारपत्रों से अनुरोध करूंगा कि वे सनसनीखेज पत्रकारिता को छोड़कर हिमालय की छुपी हुई सम्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करें। वे यह पता लगाने का प्रयास करें कि कुबेर की अलका नगरी और इन्द्र की अमरावती नगरी कहां थी।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल): मैं प्रकाशन के अधिकार को अभिव्यक्ति का अधिकार ही मानता हूं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अन्तर्गत एक मूलभूत अधिकार है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हमारे संविधान द्वारा प्रत्याभूत भारत की जनता का अत्यन्त महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इस विधेयक के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पुनः स्थापित की जा रही है। इसलिए मैं इस का हार्दिक समर्थन करता हूं।

सेंसरशिप को स्वतन्त्रता दिला कर समाचार पत्रों के लिए एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। परन्तु देश में कई प्रकार के समाचार पत्र हैं। कुछ समाचार पत्र तो केवल अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने के लिए ही आरम्भ किए गए हैं। सरकार को ऐसे समाचारपत्रों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कुछ समाचारपत्र कुछ मंत्रियों, कुछ राजनीतिक दलों अथवा राजनैतिक नेताओं को ब्लेकमेल करने की दृष्टि से ही आरम्भ किए गए हैं। वे केवल सनसनीखेज समाचार छापते हैं।

उनके उद्देश्य आपराधिक हैं। तमिलनाडु में कुछ ऐसे समाचार पत्र है तथा अन्य राज्यों में भी ऐसे समाचार पत्र हैं। अतः ऐसे समाचारपत्रों को जिनका उद्देश्य केवल किसी को बदनाम करना अथवा ब्लैकमेल करना है जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

समाचारपत्रों को प्रकाशन के अधिकार में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। समाचार प्रकाशन पर उचित प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। उचित प्रतिबन्ध के बिना उन्हें मनमाना अधिकार देने से अराजकता और भ्रान्ति ही पैदा होगी।

सरकार को उन एकाधिकारवादी समाचारपत्रों का, जिन के पास करोड़ों रुपया का काला धन है, राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। समाचारपत्रों पर लगाया गया यह काला धन श्वेत धन में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसे एकाधिकारवादी समाचार पत्र सदैव पूंजीपति विचारधारा का ही समर्थन करते हैं ये प्रगतिशील नीतियों का समर्थन कभी नहीं करते। सरकार द्वारा ऐसे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों में कार्य करने वाले मुख्य सम्पादकों, सम्पादकों, उप-सम्पादकों तथा अन्य कर्मचारियों को सेवाओं का संरक्षण प्राप्त नहीं है। कभी कभी हस्तक्षेपणीय अपराधों के लिए ही इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन पर मुकदमा चला दिया जाता है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई कार्यवाही किये जाने से पहले कर्मचारियों को पर्याप्त समय पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री और प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विभिन्न समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Mr. Speaker, Sir, two years ago, while bringing forward the bill, which is now sought to be repealed, the then Minister of Information and Broadcasting had said that the measure was being brought to save democracy. The Minister said that the Press did not behave with responsibility and had published so many things which were objectionable and therefore it had to be brought under check. When he was asked to state as to who was going to decide whether the Press had misbehaved or not and what would be the criterion of the freedom of press he had no satisfactory answer.

The fact was that the district officer or an officer of the rank of a Deputy Secretary was authorised to sit in judgment over the freedom of Press. Was it fair and proper? It is a matter of great satisfaction that the Act is now being repealed.

There was a code of conduct evolved by the Press. So what was the necessity of bringing forward that Act. The Act was brought to instil fear in the minds of the people and the Press. Fear is the enemy of democracy. Both cannot exist together. Now since the fear is being removed by bringing forward this Bill one could say that real democracy has started now.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : विपक्ष के नेता से यह आशा की जाती थी कि वह गत सरकार द्वारा आपात के दौरान की गई गलतियों को सुधार करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त करेंगे। उन्हें कल आकाश-वाणी पर अपना भाषण प्रसारित करने की सुविधा दी गई थी समूचे देश का वातावरण बदला हुआ है तथा वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है कि वह इतनी जल्दी जनता को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाई है।

पिछली सरकार ने दमनकारी कानूनों के द्वारा संवैधानिक उपबन्धों का दुरुपयोग कर अपनी सत्ता कायम रखी थी। उसने समाचारपत्रों की आजादी को समाप्त करने के लिए काले कानून बनाए थे। उसने फिरोजगांधी अधिनियम रद्द कर दिया था तथा उसके स्थान पर यह कानून बनाया गया था जिस का अब निरसन किया जा रहा है। पिछली सरकार अब अपने कार्यों की जांच से बचना चाहती है। उसने देश की

जनता और राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। उन्होंने समझ लिया था कि वे ही शासक हैं, जबकि वास्तविक शासक जनता है।

हमें खुशी है के कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी गलती महसूस की है और अब वे इस विधेयक का निरसन किए जाने का समर्थन कर रहे हैं।

तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने वह विधेयक, जिस का इस समय निरसन किया जा रहा है, पेश करते हुए कहा था, कि इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को शक्ति प्रदान करना है, जो अनुशासन में विश्वास रखते हैं, मानो कांग्रेस पार्टी ही आत्म अनुशासन का एक मात्र भंडार हो। 'आक्षेपणीय सामग्री' से उन का तात्पर्य क्या है? प्रधान मंत्री अथवा अध्यक्ष या राष्ट्रपति के प्रति अपमानजनक कोई वक्तव्य या उन की आलोचना को आक्षेपणीय सामग्री समझा जाता था। इस का वास्तविक उद्देश्य एक व्यक्ति विशेष को सर्वोपरि बनाना था। लेकिन कहा यह गया था कि प्रैस अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय दण्ड संहिता, भारत रक्षा नियम आदि अन्य अनेक कानून हैं, जो प्रैस और सम्वाददातओं के अविवेक के नियंत्रण में रखने के लिए अपने आप पर्याप्त हैं। फिर भी उस सरकार ने यह कानून लागू किया, क्योंकि वह ऐसा कानून चाहती थी जिस से प्रैस को कार्यपालिका के अधीन रखा जा सके।

इस कानून को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, क्योंकि वे जानते थे कि आपात की स्थिति समाप्त होते ही इस कानून को किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जायेगा।

व्यक्ति पूजा का विकास हुआ, इस का प्रयोग हुआ और सम्पूर्ण प्रशासन का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया। संसद् तो रबड़ स्टैम्प बन कर रह गई। लेकिन अब जनता के रुख को देख कर कांग्रेस पार्टी भी इस निरसन विधेयक का समर्थन कर रही है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि इस देश की जनता दमनकारी शासन को सदा के लिए आत्मसम्पर्ण नहीं करेगी। मेरा दल प्रैस की स्वतन्त्रता में विश्वास रखता है। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वह इतनी जल्दी यह विधेयक ले आए हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मंत्री महोदय, आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव कर रहे हैं। मैं अपने कुछ सन्देह दूर करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के लाने का सरकार का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार प्रैस के एकाधिकारवादी मालिकों की स्वतन्त्रता चाहती है या सम्पादक की स्वतन्त्रता चाहती हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रैस की अनियंत्रित स्वतन्त्रता चाहती है या कुछ नियम बनाना चाहती है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि क्या सरकार समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के लिए एक स्वतन्त्र एजेंसी बनाना चाहती है या वह इस अधिकार को अपने पास ही रखना चाहती है।

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma) : So far as the question of the Press is concerned, every body should have the freedom of expression and there should not be any restriction whatsoever on the freedom of expression. If the freedom of expression is curbed it amounts to denial of fundamental right of expression given to an individual in the Constitution.

श्री एस० कुन्डू (बालासोर) : एक अत्यन्त घातक कानून का निरसन करने वाले इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। गांधी जी ने देश आजाद कराया और भाषण की स्वतन्त्रता प्रदान की लेकिन आश्चर्य है गांधी जी के नाम की दुहाई देने वालों ने ही इस काले कानून को बनाया जब संसद द्वारा इस कानून को पास किया गया था तब हम जेल में थे। जब हमें इसका पता चला तो हम भयभीत हो गए। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था तथा उसका प्रैस तथा अन्य सम्पत्ति सुरक्षा के नाम पर जब्त की जा सकती थी मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कानून का निरसन करने के लिए यह विधेयक पेश किया है।

1889 में लार्ड लिटन ने एक वर्नकुलर प्रैस अधिनियम पास किया था जिसके अनुसार प्रकाशित होने वाली सामग्री प्रूफ की सरकार द्वारा जांच करवाना अनिवार्य था। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर देशवासियों में देश प्रेम और उत्साह जागृत करने वाली कविताएं लिख रहे थे। वाइसराय से यह सहा नहीं गया इसलिए उसने उक्त अधिनियम पास किया और लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया अन्ततः लार्ड रिपन को उस विधेयक को वापिस लेना पड़ा लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्षों बाद भूतपूर्व सरकार ने एक ऐसा अधिनियम बनाया जो कि लार्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रैस अधिनियम से भी अधिक घातक था और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इस संबंध में अपना मुंह बन्द रखकर देश का बड़ा अहित किया है। लेकिन हमने प्रजातन्त्र को कायम रखने की कसम खाई है। हमने लोकतन्त्र की जो मशाल जलाई है उसे हम प्रज्वलित रखेंगे।

विश्व को मालूम होना चाहिए कि आपातस्थिति के दौरान क्या हुआ और कैसे प्रैस का गला घोंटा गया। इसकी पूर्ण जांच करानी आवश्यक है। मंत्री महोदय को उन व्यक्तियों के आचरण की जांच करानी चाहिए जो प्रैस का गला घोंटने तथा सम्पूर्ण सूचना और प्रसारण विभाग को भौण्डे प्रचार का माध्यम बनाने के जिम्मेवार हैं। हम चाहते हैं कि प्रैस गतिशील और वास्तव में स्वतन्त्र बने। प्रैस को हमारे देश के लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूपण करना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि प्रैस इस देश के अमीरों के बारे में ही अभिव्यक्ति करे। हम यह भी नहीं चाहते कि प्रैस का कुछेक बड़े औद्योगिक गुटों द्वारा नियंत्रण किया जाए तथा उस पर एकाधिकार किया जाए।

हमें इस बात पर विचार करना चाहिए क्या प्रैस में काम करने वाले संवाददाताओं तथा अन्य लोगों के कार्य को दृष्टि में रखते हुए भारत में सहकारी क्षेत्र संभव है। जापान में ऐसी व्यवस्था है वहां के एक लोकप्रिय दैनिक "असाही शिमभून" का नियंत्रण श्रमजीवी पत्रकारों की एक सहकारी समिति कर रही है। यदि ऐसा हो सकता है तो हम प्रैस को एकाधिकारियों के प्रभाव और शक्ति से मुक्त कर सकते हैं और प्रैस की स्वतन्त्रता कायम रख सकते हैं।

अन्त में मैं छोटे समाचारपत्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं छोटे समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की बहुत दयनीय स्थिति है। यदि हमने छोटे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को कुछ लाभ नहीं पहुंचाया तो प्रैस की स्वतन्त्रता सार्थक नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री वयालार रवि (चिरयंकील) : हर्ष का विषय है कि मंत्री महोदय पुराने अधिनियम का निरसन करने वाला विधेयक लाए हैं। प्रैस की स्वतन्त्रता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

{श्री एस० डी० पाटिल पीठासीन हुए
Shri S. D. Patil in the chair.}

प्रैस की स्वतन्त्रता से किसी की स्वतन्त्रता का आशय है। क्या यह समाचार पत्र के मालिक की स्वतन्त्रता है अथवा उसके विचारों की अभिव्यक्ति की? प्रैस की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। ना कि प्रैस के मालिकों की। हमें उन लोगों को अधिक स्वतन्त्रता देनी चाहिए जो वहां कार्य करते हैं। मंत्री महोदय को समाचार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों तथा संवाददाताओं को प्रबन्ध में शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार पत्र धन कमाना आरंभ न कर दें। नगरों तथा कुछेक क्षेत्रों में 500 या 1000 प्रतियों के परिचालन से सायंकालीन दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने तथा उसे बेच कर धन कमाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। यह बहुत गलत है। यह देश के अनेक भागों में अभी तक जारी है। सरकार को इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

पिछली सरकार ने समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने का प्रयास किया था। मंत्री महोदय को इस मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। आशा है वह हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI UGRASEN (Deoria) : The Hon. Minister deserves congratulations for bringing forward this Bill to restore the freedom of the Press.

During the emergency the press was completely muzzled. It published only those things which government wanted it to publish. I want to ask my ADMK friends whether they wanted to read such news only. The government tried to strangulate the press by all means. Who was responsible for it ? Press was gagged at the instance of Mrs. Gandhi and her son. But mainly two persons were responsible for it Shri Vidya Charan Shukla and Shri Mohd. Yunus.

Free press is very essential for successful functioning of democracy. The people must get the true picture of the happenings in the country. Without free press democracy cannot survive. One of my colleagues has referred to monopoly houses. I am a socialist and I am totally against monopoly houses. The truth cannot be suppressed by terror of capitalists.

An hon'ble Member has said we have to consider whether it will be possible in India to have the co-operative sector taking the working Journalists and the people who work in Press. It is a very good suggestion and I support it. Today one black law is being repealed and I am happy that the members of opposition party are also supporting it.

[Shri Tridib Chaudhuri *in the chair*]

श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए

After destroying the freedom of the press the Government crushed the news media. UNI, PTI Samachar Bharti and Hindi Samachar were merged. After repealing the present Act the Government should take steps to ensure the freedom of Press is fully restored.

With these words I support this Bill.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : बड़े हर्ष का विषय है कि नई छठी लोक सभा के प्रथम सत्र में ही यह महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक तथा अन्य अनुवर्ती विधेयक के अतिरिक्त मंत्री महोदय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के अनुरूप एक नई, दृढ़ और सुचारू नीति का पालन कर रहे हैं। जनता सरकार अपने आरंभिक काल में ही ऐसे कदम उठाने के लिए बधाई की पात्र हैं।

इस तरह एक महत्वपूर्ण चुनाव वचन पूरा हुआ है। सामान्यतः चुनाव से पहले दिए गए वचन पूरे नहीं होते। केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई अन्य देशों की यही स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में पहली बार एक के बाद एक चुनाव वचन पूरे किए जा रहे हैं।

उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में स्पष्ट कहा गया है कि "लोकतांत्रिक संस्था के सफलता पूर्वक कार्यकरण के लिए प्रैस की स्वतन्त्रता अनिवार्य है केवल इतना ही आवश्यक नहीं है बल्कि लोकतन्त्र में प्रैस की स्वतन्त्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है निर्णायक और अनिवार्य है। इसी कारण यह कहा गया है कि स्वतन्त्रत प्रैस चौथी सम्पत्ति है वस्तुतः स्वतन्त्र प्रैस लोकतांत्रिक सरकार का एक अंग है। विभिन्न समाचारपत्रों, दैनिक, साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक, मासिक पत्रों एवं पत्रिकाओं में स्वतन्त्र टिप्पणियां तथा आलोचनाएं अनिवार्य हों जाते हैं। सन्तोष का विषय है कि मंत्री और जनता पार्टी के सदस्य यह कह रहे हैं कि हम स्वतन्त्र प्रैस की आलोचना से कुछ सीखना चाहते हैं। प्रो० हैराल्ड लास्की ने कहा है कि सरकार समर्थकों की प्रशंसा की अपेक्षा विरोधियों की आलोचना से अधिक सीखती है।

विधेयक का शीर्षक आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक स्वतः ही आपत्तिजनक है। अमुक सामग्री आक्षेपणीय है अथवा नहीं इसका निर्णय आप किस आधार पर करते हैं। यदि प्रधानमंत्री की आलोचना उसकी नीति के कारण अथवा सरकार की आलोचना उसकी नीति के कारण की जाती है तो क्या यह आक्षेपणीय है। प्रैस, संसद सदस्यों तथा स्वतन्त्र जनता का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के कार्यों पर निरंतर निगरानी रखे और जहां कहीं वह गलती करे उसे वह सुधारे और चुनौती दे। मुझे प्रसन्नता है कि अब इस विधेयक को 'आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन), विधेयक कहा जा रहा है।

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने अनेक बुरे काम किए हैं । उन्होंने इस महान देश के स्वतन्त्र प्रैस और प्रैस के व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संसद में ही नहीं अपितु सार्वजनिक जीवन में भी कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए श्री विद्याचरण शुक्ल ने केवल प्रैस के साथ दुर्व्यवहार करने तथा प्रैस कर्मचारियों का अपमान करने के ही जिम्मेदार नहीं हैं अपितु उन्होंने यह कह कर सदन को गुमराह करने का भी प्रयास किया है कि समाचार एक स्वैच्छिक संघ द्वारा बनाया गया है ।

मैं चाहता हूं कि श्री आडवानी यह स्पष्ट करें कि क्या पी० टी० आई० और यू० एन० आई० स्वेच्छा से एक साथ मिल कर 'समाचार' बनाने को राजी हुए थे या नहीं, जिससे हम भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध सदन को गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकें।

इस देश में पत्रकारिता की स्वतन्त्रता का बड़ा महान इतिहास रहा है— स्वतन्त्रता के बाद तथा उससे पहले भी। तिलक और महात्मा गांधी ने अनेकों पत्र निकाले और इन सभी ने स्वतन्त्र पत्रकारिता की एक महान परम्परा को निभाया । आपात स्थिति के दौरान भी कुछ पत्रों ने इसी परम्परा को निभाया और वे किसी भी दबाव के आगे झुके नहीं । मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक के द्वारा समाचारपत्रों को ही स्वतन्त्रता न दें बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी निडर बनाएं जिससे वे आवश्यकता के समय सच कहने से न हिचकिचाएं । ऐसा होने पर सच्ची स्वतन्त्रता मिल पाएगी।

श्री सी०एम० स्टीफन (इदुकी) : मैं वर्तमान विधेयक का विरोधी नहीं हूं। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मूल विधेयक जब लाया गया था तब देश में आपात स्थिति थी। और आपात स्थिति में कुछ कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं तथा यह भी उनमें से एक था।

समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का अर्थ केवल श्रमजीवी पत्रकारों की स्वतन्त्रता ही नहीं है, वरन् इसका सम्बन्ध समाचारपत्रों को पूंजीपतियों के बन्धन से भी मुक्त कराना है। जिस रूप में स्वतन्त्रता इस समय समाचारपत्रों को दी जा रही है यह कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों को स्वतन्त्रता देना है जो आपात स्थिति के दौरान हुई उपलब्धियों को कम करती है। इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में रखे जाने का विरोध सभी पक्षों ने किया था, मैंने भी इसका विरोध किया था।

यह विधेयक आपात स्थिति की समाप्ति के बाद लागू नहीं रहने वाला था क्योंकि इसे किसी विशेष कारण से लागू किया गया था क्योंकि इसे लागू किए बिना आपात स्थिति से नहीं निपटा जा सकता था।

संविधान में अभिव्यक्ति और भाषण की जो स्वतन्त्रता दी गई है उसके पीछे यह शर्त लगी है कि यह राष्ट्र के हितों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। बुद्धिजीवियों के लिए यह एक चिन्ता का विषय है । इस स्वतन्त्रता का उपयोग कभी भी देश हित में नहीं किया गया। अतः इसके लिए कोई आचरण संहिता होनी चाहिए।

इसलिए समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और इस स्वतन्त्रता के दुरुपयोग में संतुलन बनाए रखने के लिए कोई उपबन्ध भारतीय दण्ड संहिता में करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी अधिकारी को मनमाने अधिकार दे दिए जाएं।

वर्तमान सरकार की राय में यह अधिनियम अनावश्यक हो सकता है। जब तक वर्तमान स्थिति बनी रहती है तब तक यह अनावश्यक हो सकता है परन्तु "पति पत्रकारिता" के विरुद्ध क्या गारन्टी है।

किन्तु स्वतन्त्रता का क्या हुआ? यह तो पूंजीपतियों की स्वतन्त्रता की रक्षा की जा रही है, जिनके देश में बड़े-बड़े समाचार पत्र हैं और ये लोग जनता के विचारों को दूषित करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस अधिनियम के निरसन से समस्या हल नहीं होगी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि जनता का हित किस में है। मेरे मित्र श्री रेड्डी तथा श्री रामेश्वर राव ने बताया है कि अश्लील पत्रकारिता का प्रश्न हमारे समक्ष है। क्या आपको पता नहीं है कि

अश्लील पत्रकारिता का कितने निर्दोष लोगों को शिकार बनना पड़ा है। बड़े ही लोगों का नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन कर दिया जाता है। ऐसा न करने की क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि अश्लील पत्रकारिता द्वारा किसी का चरित्र हनन नहीं किया जायेगा। यद्यपि मैं विपक्ष का सदस्य हूं तथापि मैं समझता हूं कि जब तक प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई को सभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं की जा सकती। प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा कायम रखनी पड़ती है। जब जनता ने किसी व्यक्ति, या नीति अथवा दल के पक्ष में अपना समर्थन दिया है तो समाचार पत्रों, पत्रकारों तथा लेखकों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभायें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसका क्या समाधान है? क्या समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के नाम पर देश, जनादेश प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को कम किया जाना चाहिए। अतः यह मामला उतना साधारण नहीं है जितना कि मेरे कुछ मित्र समझते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री हेगड़े यहां उपस्थित हैं जो कि विधि विशेषज्ञ हैं। वे प्रेस की स्वतन्त्रता तथा प्रेस की स्वतन्त्रता के दुरुपयोग के बीच के अंतर को भली भांति समझ सकते हैं। यदि प्रेस की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग हुआ तो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जिसका कि हम निर्माण कर रहे हैं। हम मूलभूत अधिकार प्रदान करने तथा कुछ प्रतिबंध लगाने के बारे में जो प्रयोग कर रहे हैं, वह खतरनाक सा है। इसे सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें संतुलन रखा जाए।

मुझे इस बात का संतोष है कि विधेयक में कुछ शर्तें रखी गई हैं जो कि मनमानी नहीं हैं। इसे चुनौती दी जा सकती है तथा इस पर नियंत्रण रखा जायेगा क्योंकि यह सदन के नियंत्रण में है। सदन अधि-सूचना को रद्द कर सकता है तथा इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है क्योंकि इसके सम्बन्ध में हर समय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

समाचार पत्र एकाधिकार के नियंत्रण में हैं, और यदि सरकार को इन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा किया जा सकता है। समाचार, रेडियो, दूरदर्शन आदि सभी प्रचार माध्यमों को अपनी बैठकों के उपयोग में लाया गया। रामलीला मैदान में हुई बैठक को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने प्रसारित किया है। इसकी आलोचना करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा दुबारा हो सकता है और ऐसा होगा। हमें गलत बातों को सुधारना चाहिए। समाचार को विभिन्न भागों में नहीं बांटा जाना चाहिए।

अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक पेश किया जाना चाहिए था और हर्ष है कि यह पेश किया गया है। किन्तु इस बारे में जो विधेयक पहले पारित किया गया था मैं भी उसका समर्थक था किन्तु इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूगा क्योंकि समयानुसार ही ऐसा किया गया था। उस समय आपात स्थिति को लागू करना भी न्यायोचित था क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : In no democratic country of the world the Press was so gagged as in our country during the period of emergency. The powers of Courts were taken away and there was a reign of dictatorship in the country.

Mr. Stephen has said that TV was used by Janta Government for the public meeting held at Gandhi Ground. I agree with him but at the same time I feel it improper to use TV for public meetings. But is there a single Congress member who protested against the use of TV and All India Radio to broadcast Smt. Indira Gandhi's and Mr. Sanjay's speeches on TV? None of you could protest against it, because you had no courage to say so.

श्री सी० एम० स्टीफन : कांग्रेस की बैठक कभी भी दूरदर्शन पर नहीं दिखाई गई।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं दिल्ली में हुए कई उदाहरण दे सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : चुनाव से पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी का भाषण प्रसारित किया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Parliament is called supreme but the proceedings in Parliament were not freely communicated to the people during the Congress regime. Even the judicial judgments of High Courts and Supreme Court were censored. The newspapers which were critical of the then Government, were put to all sorts of harassment. It will be in the interest of strengthening democracy in the Country that full information and data are collected to apprise the people with the manner in which the press was denied the freedom of expression. The free and independent press of this country deserves congratulations because they remained firm in their policy and in spite of all sorts of handicaps, they discharged their duty honestly and fearlessly.

It is learnt that there are still some officials in A.I.R. and Television who are supporters of the previous Government. Such persons should not be allowed to be there and only democratic minded persons should find a place in these institutions.

Government should encourage an independent press and we should encourage them even if they are critical of the Govt. policies. Government should not withhold any assistance to those news-papers which express independent views. It is a matter of great satisfaction that this black law is being repealed. Therefor I support this Legislation.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह कहना ठीक ही है कि यह विधेयक आपात स्थिति की देन है। यदि आपात स्थिति निरंकुशता थी तो यह विधेयक भी निरंकुशता ही है।

चुनाव आपात स्थिति के मुद्दे पर लड़े गए थे। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। मैं जनादेश को स्वीकार करता हूं। चाहे हमने आपात स्थिति का समर्थन किया है अथवा नहीं, समूचे देश ने इसका समर्थन किया है। इसलिए इस विधेयक को पेश करना जनता पार्टी की जीत और आपात स्थिति के समाप्त होने का परिणाम है।

कहा गया है कि कांग्रेस दल के सभी सदस्यों ने इस बात पर मौन रखा है। हर दल का अपना अनुशासन होता है। कई कांग्रेसी लोगों को निराशा हुई जब "मेन स्ट्रीम" पर सेंसरशिप लगाई गई और "पैट्रिआट" को बिज्ञापन देने बन्द कर दिए। किन्तु कांग्रेस दल में रहकर हमेशा ही खुले रूप से किसी बात को विरोध करना असंभव होता है (व्यवधान)

आपात स्थिति से पहले देश के समाचार पत्रों का रवैया जिम्मेदारी पूर्ण नहीं था। यह मानना चाहिए कि कोई भी देश ऐसे समाचार पत्रों को सहन नहीं कर सकता। देश में सरकार चलाने के लिए समाचार पत्रों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। चरित्र हनन और व्यक्तिगत आरोप लगाये जाने पर रोक लगाने का कोई उपाय किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे विधेयक की फिर आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु इस पर रोक लगाने का कोई उपाय तो करना ही होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि छः महीने बाद वर्तमान सरकार के विरुद्ध भी समाचार पत्रों में ऐसा ही प्रचार होने लगेगा जैसा कि पिछली सरकार के लिए विरुद्ध हुआ है। सत्ताधारी दल जिन समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की बात करता था, वे ही जनता पार्टी का समर्थन करने लगे। किन्तु उनका यह समर्थन थोड़े ही दिनों के लिए है। ये लोग कभी भी विरोधी रुख अपना सकते हैं।

पूंजीवाद के अन्तर्गत समाचार पत्रों को कोई स्वतन्त्रता नहीं होती क्योंकि उन्हें अपने मासिक के अनुसार चलना पड़ता है। जो समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता में विश्वास करते हैं, वे समाचार पत्रों के स्वामित्व के विस्तार करने के लिए भी प्रयत्न करें। क्योंकि पूंजीवादी स्वामित्व में समाचार पत्र स्वतन्त्र नहीं रह सकते। कुछ समाचार पत्र विदेशों तथा विदेशी समाचार एजेन्सियों से सम्बद्ध होते हैं और वे प्रायः उन देशों के हित की ही बात करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पत्रकार ऐसे काम न करें। तथापि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और विधेयक को पेश किए जाने का स्वागत करता हूं।

CHOWDHURY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : During the period of emergency, the previous Government had imposed a ban on the free expression of one's views in the press. It is the Janta Government that has now allowed them the freedom of expression through this Bill, because we are committed to the people to restore to them the freedom which were denied to them during the Congress regime.

It is well known as to how press was gagged during the last twenty months of emergency. As this Bill restores to the newspaper the freedom to express their views freely and fearlessly, it is welcome and it deserves all support.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हमें बताया गया है कि पूंजीवाद में लोकतन्त्र नहीं रह सकता। कहा गया है कि सभी बड़े-बड़े समाचार पत्र बड़े-बड़े एकाधिकारियों के हाथों में हैं।

हम यह बात जानते हैं और यह सही भी है कि प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ जन स्वतन्त्रता नहीं है। हम जानते हैं कि बड़े-बड़े समाचार ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो अपने आदमियों का प्रचार करते हैं। आपात स्थिति से पूर्व तथा आपात स्थिति के बाद भी यही बात है।

सेंसरशिप क्यों लगाई गई? क्या इसके द्वारा एकाधिकार गृहों को पनपने से रोकना था? नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की भावनाओं को दबाना था। मुझे जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ता था। जब मैं विजयी घोषित कर दिया गया था, उसके दो दिन बाद मुझे जेव से रिहा किया गया था। आपात स्थिति की उद्घोषणा के पहले दिन ही एक हरिजन की हत्या कर दी गई किन्तु समाचार पत्रों में इस तरह की कोई खबर नहीं छपने दी।

आपात स्थिति की घोषणा के एक दिन पहले हमारे यहां एक हरिजन की हत्या कर दी गई परन्तु जब हमने उसकी हत्या का समाचार छापने के लिए कहा तो उसे छापने से इंकार कर दिया गया। हरिजनों था आदिवासियों की हिमायती होने का दम भरने वाली हमारी सरकार ने सेंसर के कारण उसे छापने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। आए दिन धनबाद में कोयलाखानों में गुंडों द्वारा आक्रमण होते रहे परन्तु उनके बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया गया। 80 वर्षीय एक वृद्ध मोलाना को लाठियों से छलनी कर जेल में बन्द कर दिया गया परन्तु जब वह बिल्कुल मृत्यु के पास पहुंच गया तो उसे जेल से रिहा कर दिया गया तथा हस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ दिया। मैं इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार के अनेक उद्धरण प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्रकार से लोगों का गला घोटने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि जनता ने समाजवाद के नाम पर तानाशाही के कष्ट झेलने से अपने आप को बचाने के पक्ष में मत दिया है। मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक से समाचारपत्रों को बिना किसी भय से तथा स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी : (जूनागढ़) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे यह देख कर कुछ आश्चर्य हुआ है कि हमारे कांग्रेसी सदस्यों ने इस अधिनियम को आपात स्थिति का परिणाम कह कर इसे न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है। परन्तु हमारी भूतपूर्व सरकार ने तो इसे अनुसूची में जोड़ कर इसे संविधान का स्थाई अंग बना दिया क्योंकि उसका मकसद आपातस्थिति के बाद भी प्रैस पर अंकुश बनाए रखने का था। परन्तु इस अधिनियम का उपयोग किस प्रकार से किया गया, मैं इस सम्बन्ध में दो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हम में से अधिकांश लोग 'नवजीवन' के बारे में जानते हैं कि वह एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था है। इस संस्था ने गांधी जी के भाषणों तथा लेखों आदि के बारे में लगभग 500 पुस्तकें प्रकाशित की हैं परन्तु इस संस्था को केवल इस लिए सील कर दिया गया कि इसने भूमिपाड़ा मामले के बारे में गुजरात उच्च-न्यायालय का निर्णय छाप दिया था। यद्यपि इस प्रकाशन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, फिर भी कुछ अधिकारियों को ऐसा आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया गया।

एक इसी प्रकार का और दिलचस्प मामला "इंडियण एक्सप्रैस" का है। इंडियन एक्सप्रस के बम्बई कार्यालय का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए सरकार इसके निदेशक मण्डल में कुछ अपने प्रतिनिधि

मनोनीत किए। उसके अध्यक्ष श्री के० के० बिड़ला थे। उन्होंने सम्पादक और कुछ अन्य लोगों को हटा दिया और एक कनिष्ठ व्यक्ति को सम्पादक नियुक्त कर दिया। सेंसर अधिकारी समाचार पत्र से गैली और प्रूफ भेजने को कहते थे। जबकि बम्बई के अन्य दो समाचार पत्रों की प्रतियों को जांच के बाद 12 बजे दे दिया जाता था, पर इंडियन एक्सप्रेस को सवेरे आठ बजे तक अपनी प्रति नहीं मिलती थी। जिसके परिणामस्वरूप वह अगले दिन दोपहर बाद 5 बजे ही निकल पाता था और वह अन्य पत्रों से प्रतियोगिता नहीं कर पाता था। इसलिए श्री रामनाथ गोयन्का ने बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। विद्वान न्यायाधीश ने इसे डिवीजन पीठ को सौंप दिया उन्होंने भी इस पर कोई अन्तरिम आदेश देने से मना कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस को हानि होती रही। तब श्री रामनाथ गोयन्का ने एक हलफिया बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे सरकार के किसी प्रतिनिधि की बात मान लेनी चाहिए। श्री गोयन्का से यह भी कहा गया कि यदि वे नहीं मानते तो उसके परिणाम स्वरूप उन्हें ही नहीं उनके पुत्र और पुत्रवधु को भी आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार के लिए मामला बड़ा पेचिदा हो गया और उसने इसके विरुद्ध कोई बयान दायर नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि सरकार इस याचिका के संबंध में विवाद पैदा नहीं करना चाहती तथा प्रति और प्रूफ समय से लौटाए जाने लगे। इस प्रकार समाचार पत्रों पर नियंत्रण किया गया और उनमें सुधार किया गया। इसका सबसे घृणित पक्ष वह था कि ये सब कदम समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने और लोगों को सच्चाई से वंचित करने के लिए उठाए गए। यह सब समाचार पत्रों को और लोकतन्त्र को शक्ति सम्पन्न करने के लिए किया गया।

समाचारपत्रों पर अंकुश लगाने के लिए असीमित अधिकार प्राप्त किए गए। सरकार ने उन्हें संरक्षण देना बन्द करने, उन्हें विज्ञापन देना बन्द करने आदि सभी प्रकार के नीचे तरीके अपनाए। जिला परिषदों और नगर निगमों तक से उन समाचारपत्रों को विज्ञापन न देने को कहा गया जो जनता को सही समाचार दे रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : सभी वर्गों द्वारा विधेयक का स्वागत किया गया है। मुझे आशा है कि आज इस पर चर्चा पूर्ण हो जायेगी। मेरा दोनों ओर के सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने विचार बिल्कुल संक्षेप में कहें।

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Ghazipur) : It is correct that when both the sides are supporting this Bill there is hardly any thing for adding more to the debate. But while supporting the Bill, the arguments which have been put forth by my friends in the opposition, force one to think that they have not learnt anything from the incidents of past twenty years. It is high time when they should understand that by criticising Prime Minister for his or her undemocratic approach. That is the moral duty of every freedom loving person and that no way reflects a bad image of the country. They should try to realise that the time has come when all those people who blindly supported the emergency and every black deed done under its name, should be criticised and brought to book. We must honour the people like Shri R. N. Goenka who stood for freedom of press at considerable risk. He has discharged his public duty at considerable risk. Anyone who has got regard for truth and public interest, should honour such persons.

What happened during emergency ? Press was completely gagged. No news with regard to people's resentment about any black laws of emergency was published. Government attained unlimited powers. Even the advertisements to the newspapers who could not fall in the line of Government were stopped. No news regarding the health of great leaders like Jaiparkash Narain was given in the papers. This did not happen even during British rule. Even during British rule, people used to get all news about Mahatma Gandhi's health.

Lastly I may submit that the policy regarding release of advertisement to newspapers be changed, and the functioning of Samachar' be looked into. All possible steps should be taken for restoring the freedom of press completely.

अध्यक्ष महोदय : अभी चर्चा में भाग लेने वाले कुछ अन्य सदस्य बाकी हैं जबकि समय लगभग समाप्त होने वाला है। यदि अगले सदस्य इससे अगले विधेयक की चर्चा में भाग लेने पर सहमत हो जाएं तो अच्छा होगा क्योंकि अगला विधेयक भी लगभग इसी प्रकार का है।

सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्री लाल कृष्ण आडवानी) इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है तथा सदन में विधेयक का जो व्यापक समर्थन किया गया है, उसके लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं। हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।

सदस्यों ने अनुभव किया है कि इस विधेयक को पास करने पर समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायेगी। भारतीय समाचारपत्रों को सौम्य तथा आत्मसंयमपूर्ण माना गया है तथा विश्व भर की धारणा हमारे समाचारपत्रों के बारे में ऐसी ही है। अतः उनसे इस प्रकार का अंकुश हटा कर हमने अच्छा ही किया है। इसके साथ ही मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्होंने यह अनुभव कर लिया है कि आपात स्थिति के दौरान जो कुछ हुआ है, वह अच्छा नहीं था, तो वह हमें अपना सम्पूर्ण समर्थन तथा सहयोग दें ताकि हम आपात स्थिति के दौरान किए गए सभी अवांछनीय कार्यों को समाप्त कर जनता को दिए हुए अपने वचनों का पालन कर सकें। मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में सभी कांग्रेसी सदस्यों को भी जनता की भावनाओं का स्वागत करने के लिए आगे आना चाहिए।

मैं समझता हूं कि विधेयक के उपबन्धों के बारे में मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में न जाने क्या होगा, मैं यह समझता हूं कि भारतीय प्रैस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत की प्रैस के बारे में विश्व में यह धारणा है कि वह काफी संयम से काम लेती है।

मेरा यह विचार है कि समाचारपत्रों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए तथा वह सरकार द्वारा नहीं अपितु स्वयं प्रैस द्वारा बनाई जानी चाहिए। आत्मानुशासन तथा संगठनात्मक व्यवस्था उसके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हमारा विचार है कि हम अगले सत्र में प्रेस परिषद की पुनः स्थापना सम्बन्धी विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब विधेयक को सभा के मतदान के लिए रखा जा सकता है। प्रश्न यह है :

"कि आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : श्री समरगुह तथा चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा के कुछ संशोधन हैं परन्तु वह अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।"

श्री लालकृष्ण अडवानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1977/17 चैत्र, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, the 7th April, 1977 Chaitra 17, 1899 (Saka)

137 LSS/77—200—16-6-77—GIPF.